COMMITTEE OF PRIVILEGES

(FIFTH LOK SABHA)

FIRST REPORT

(Presented on the 10th December, 1971)



LOK SABHA SECRETARIAT NEW DELHI

December, 1971 Agrahayana, 1893 (Saka)

28. 347 R Price : 25 paise

CONTENTS

														PAGE
ť.	Personnel o	of the	Com	mitte	e of	Privil	eges							(iii)
2.	Report		•					•	•	•		•		(v)
3.	Minutes of (Fifth Lok							Privile •			•	•		(x)
4.	Evidence g (Fifth Lok							Privi	_	•		• .	•	(xvii)
5.	Minutes, E								the		•			I

PERSONNEL OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES (1971-72)

Shri R. D. Bhandare-Chairman

- 2. Dr. Henry Austin
- 3. Shri Somnath Chatterjee
- 4. Shri Darbara Singh
- 5. Shri H. R. Gokhale
- 6. Shri Jagannathrao Joshi
- 7. Shri H. N. Mukerjee
- 8. Shri M. Muthuswamy
- 9. Shri Chintamani Panigrahi
- 10. Shri Raj Bahadur
- 11. Shri A. K. Sen
- 12. Dr. Shankar Daval Sharma
- 13. Shri Satvendra N. Sinha
- 14. Shri P. Venkatasubbaiah
- 15. Shri Chandrajeet Yadav.

SECRETARIAT

Shri P. K. Patnaik-Joint Secretary

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary

Shri J. R. Kapur-Under Secretary

FIRST REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

(FIFTH LOK SABHA)

I. Introduction and Procedure

- I, the Chairman of the Committee of Privileges, having been authorised to submit the report on their behalf, present this their First Report, to the House on the question of privilege raised' by Shri Tulmohan Ram, M.P. and re-referred' to the Committee by the House on the 8th June, 1971, regarding his alleged arrest on the 28th November, 1969 and non-intimation thereof to the Speaker, Fourth Lok Sabha and ill-treatment by Shri Chandrika Prasad, then Sub-Inspector of Police, Police Station, Mahishi (Bihar).
- 2. The Committee held six sittings. The relevant minutes of these sittings form part of the report.
- 3. At their first sitting held on the 22nd June, 1971, the Committee noted that the Committee of Privileges of the Fourth Lok Sabha, to whom the matter had been originally referred by that House on the 17th December, 1969, had already examined in person Shri Tulmohan Ram, M.P., Shri Chandrika Prasad, the concerned Sub-Inspector of Police and their respective witnesses. That Committee had concluded the evidence in this case and had to deliberate on the matter and arrive at their conclusions when the Fourth Lok Sabha was dissolved and the matter lapsed.

The Committee decided that it was not necessary to hear evidence de novo and that the evidence given before the Committee of Privileges of Fourth Lok Sabha and the relevant documents submitted to that Committee by the parties might be utilised by the Committee.

The evidence given before, and the relevant documents submitted to, the Committee of Privileges of Fourth Lok Sabha, as well as the relevant minutes of the fourteen sittings of that Committee are appended hereto and form part of the report.

4. At the third sitting held on the 7th September, 1971, the Committee deliberated on the matter and decided that Shri Chandrika Prasad, the concerned Sub-Inspector of Police, might be called to appear before the Committee to have his say in the matter.

^{1.} L. S. Deb., dt. 8-6-71, cc. 140-42.

^{2.} Ibid, c-142.

- 5. At the fifth sitting held on the 10th November, 1971, the Committee heard Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, and arrived at their conclusions
- 6. At the sixth sitting held on the 9th December, 1971, the Committee considered their draft report and adopted it.

II. Facts of the Case

- 7. On the 8th June, 1971, Shri Tulmohan Ram, M.P., raised³ a question of privilege in Lok Sabha, regarding his alleged arrest on the 28th November, 1969, and non-intimation thereof to the Speaker, Fourth Lok Sabha and ill-treatment by Shri Chandrika Prasad, then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar). Thereafter, the following motion was adopted by the House:—
 - "That the question of privilege regarding the alleged arrest of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, by Shri Chandrika Prasad, then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar) and non-intimation thereof to the Speaker, Fourth Lok Sabha, be re-referred to the Committee of Privileges of this Lok Sabha."
- 8. In his notice of question of privilege, dated the 29th May, 1971, on the above subject, Shri Tulmohan Ram, M.P., had stated interalia as follows:—
 - "On 28.11.69, the S.I., Shri Chandrika Prasad met me in the afternoon outside the village. He was coming from my paddy field after getting the paddy crops looted Kaleshwar Mandal, Sukdeo Mandal, Hardeo Mandal and others. On my questioning as to why my paddy crop was looted and that too under the protection of police, the said S. I. asked me to get down from the back of the house and showed me the said leaflet.⁵ He rebuked and told me if I get such leaflets published, I shall suffer like this. I reached my house. The S.I. accompanied by persons hostile to me reached my house and was entering my family apartments. I told the S.I. ladies and children are in the house. On this the said S.I. got me arrested. The S.I. began to again:-

^{3.} L. S. Deb. dt. 8. 6. 71, cc. 140-42.

^{4.} Ibid, c. 142.

^{6.} Annexure I to Appendix I.

- "Tumahare jaise babut se M.P. dekhe hain. Jhhoot bolna MP on ka paesa ho gaya hai Chamar. Dusadh bhi MP ka shan dikhata hai'
 - [I have seen many M.Ps. like you. It has become the profession of M.Ps. to tell lies. Even the *Chamar*, *Dusadh* boasts of being an M.P.]
 - I remained in the police custody (under arrest) for more than half an hour. I was set free on the request of hundreds of persons of my village—Sarauni.
 - The said S.I. arrested me while the session of Lok Sabha was in continuance and did not inform the Hon'ble Speaker of the House."
- 9. No intimation was received by Speaker, Fourth Lok Sabha, from the authorities concerned, regarding the alleged arrest of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969.

III. Findings and conclusions of the Committee

- 10. Shri Tulmohan Ram, M.P., had also raised a question of privilege in respect of the same matter in the Fourth Lok Sabha on the 17th December, 1969, and the House had referred the matter to the Committee of Privileges of Fourth Lok Sabha.
- 11. The Committee of Privileges of Fourth Lok Sabha had, in the first instance, called for a written explanation from Shri Chandrika Prasad, the concerned Sub-Inspector of Police, and also the factual comments of the Government of Bihar on the matter, which are reproduced at Appendices II and III, respectively.
- 12. That Committee had, thereafter, examined in person both Shri Tulmohan Ram, M.P., and Shri Chandrika Prasad, the concerned Sub-Inspector of Police, as well as three witnesses of each of them on oath.

That Committee had also examined in person, Shri H. K. Singh, Advocate, appointed as Receiver by the Court in respect of the standing paddy crops of the attached lands (disputed) in the case of Jagan Nath Prasad Vs. Thakkan Ram and others, under Section 145, Criminal Procedure Code, pending in the Court of Shri P. K. Ghosh, Magistrate, First Class, Saharsa (Bihar).

[.] L. S. Deb. dt. 17, 12, 1969, c. 376.

- 13. Sarvashri U. Sharma, Superintendent of Police, and Badri Nath Chowbey, Inspector of Police, Saharsa, also produced before the Committee of Privileges of Fourth Lok Sabha, the Police Station Diary and the Personal Diary of Shri Chandrika Prasad, the concerned Sub-Inspector of Police, pertaining to the relevant period and read out relevant entries therefrom.
- 14. The main issue for consideration by the Committee in the present case is whether Shri Tulmohan Ram, M.P., was in fact arrested on the 28th November, 1969, by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, as alleged by Shri Tulmohan Ram, M.P., which fact is denied by Shri Chandrika Prasad. The question of breach of privilege for not intimating the Speaker, Lok Sabha. about the alleged arrest of Shri Tulmohan Ram, by Shri Chandrika Prasad, will arise only if the factum of arrest of Shri Tulmohan Ram, M.P., is satisfactorily established. As is well known, in the case of arrest of a Member on a criminal charge, the only privilege of the House is the right to receive immediate information about the fact of arrest of the Member concerned together with the place of his detention and the reasons for his arrest (vide Rule 229 of the Rules of Procedure of Lok Sabha).
- 15. After a careful consideration of the evidence given before, and the documents made available to, the Committee are of the opinion that there is conflicting and contradictory evidence on the factum of alleged arrest of Shri Tulmohan Ram, MP., on the 28th November, 1969. The Committee are of the view that since the fact of arrest of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, has not been conclusively proved, it could not be said that Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, had committed a breach of privilege is not sending intimation of the alleged arrest to the Speaker, Fourth Lok Sabha.
- 16. The Committee, however, feel that, taking into consideration the totality of the circumstances of the case, Shri Tulmohan Ram, M.P., had been ill-treated and abused by the Sub-Inspector, Shri Chandrika Prasad.
- 17. When Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, appeared before the Committee on the 10th November, 1971 he was apprised of the finding of the Committee that Shri Tulmohan Ram, M.P., had been ill-treated and abused by him. Thereupon, Shri

^{7.} Appendix VII.

Chandrika Prasad expressed his unqualified regret in the following words:—

- "Sir, I did not misbehave with Mr. Tulmohan Ram, M.P., in any manner or used any abusive language. I have got high regard for the Hon. Members of Parliament. I have also not uttered any undignified word against any Hon. Member of Parliament. But if the Committee or any Member of the Committee have any feeling that I might have made any remarks or uttered any undignified words towards them, I express my unqualified regret."
- 18. In view of the unqualified regret expressed by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, the Committee feel that no further action need be taken in the matter.

IV. Recommendation of the Committee

19. The Committee recommend that the matter be dropped.

NEW DELHI;
The 9th December, 1971.

R. D. BHANDARE,

Chairman,

Committee of Privileges.

MINUTES

T

First Sitting

New Delhi, Tuesday, the 22nd June, 1971

The Committee sat from 15.00 to 15.30 hours

PRESENT

SHRI R. D. Bhandare-Chairman

MEMBERS

- 2. Dr. Henry Austin
- 3. Shri Darbara Singh
- 4. Shri H. N. Mukerjee
- 5. Shri Raj Bahadur
- 6. Shri Satyendra N. Sinha
- 7. Shri P. Venkatasubbaiah.

SECRETARIAT

- Shri P. K. Patnaik-Joint Secretary
- Shri B. K. Mukherjee—Deputy Secretary
- Shri J. R. Kapur-Under Secretary.
- 2. The Committee considered the question of privilege regarding the alleged arrest of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, by Shri Chandrika Prasad, then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar) and non-intimation thereof to the Speaker, Fourth Lok Sabha, and re-referred by the House to the Committee.
- 3. The Chairman informed the Committee that the Committee of Privileges of the Fourth Lok Sabha, to which the matter was referred by the Fourth Lok Sabha on the 17th December, 1969, had examined in person both Shri Tulmohan Ram, M.P., and Shri Chandrika Prasad, the concerned Sub-Inspector of Police, and their respective witnesses. That Committee had concluded the evidence in this case and had to deliberate on this matter and arrive at their conclusion when the Fourth Lok Sabha was dissolved.

- 4. The Committee decided that it was not necessary to hear evidence de novo and that the evidence given before the Committee of Privileges of Fourth Lok Sabha and the relevant documents submitted to that Committee by the parties might be utilised by the Committee. The Committee also decided that the said evidence and documents as well as the minutes of the sittings of that Committee might be printed and circulated to the members of the Committee.
- 5. The Committee then adjourned to meet again on Thursday, the 22nd July, 1971, at 15.00 hours.

П

Second Sitting

New Delhi, Thursday, the 22nd July, 1971

The Committee sat from 15.00 to 15.15 hours.

PRESENT

Shri R. D. Bhandare-Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri Somnath Chatterjee
- 3. Shri H. R. Gokhale
- 4. Shri Jagannathrao Joshi
- 5. Shri H. N. Mukerjee
- 6. Shri M. Muthuswamy
- 7. Shri Chintamani Panigrahi
- 8. Shri Raj Bahadur
- 9. Dr. Shankar Dayal Sharma
- 10. Shri Satyendra N. Sinha

SECRETARIAT

Shri P. K. Patnaik-Joint Secretary.

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

2. The Committee took up the question of privilege regarding the alleged arrest and abuse of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th

November, 1969, by Shri Chandrika Prasad, then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar) and non-intimation thereof to the Speaker, Fourth Lok Sabba.

- 3. The Committee decided that English translation of the Hindi portions of the evidence and documents submitted to the Committee of Privileges of Fourth Lok Sabha and Hindi translation of the English portions thereof might be prepared and circulated to the members of the Committee.
- 4. The Committee then adjourned to meet again on Tuesday, the 7th September, 1971, at 15.30 hours.

Ш

Third Sitting

New Delhi, Tuesday, the 7th September, 1971

The Committee sat from 15.30 to 17.30 hours.

PRESENT

SHRI R. D. Bhandare—Chairman.

Members

- 2. Dr. Henry Austin
- 3. Shri Somnath Chatterjee
- 4. Shri Darbara Singh
- 5. Shri Jagannathrao Joshi
- 6. Shri H. N. Mukerjee
- 7. Shri M. Muthuswamy
- 8. Shri Chintamani Panigrahi
- 9. Shri Satyendra N. Sinha
- 10. Shri P. Venkatasubbaiah

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

3. The Committee then took up consideration of the question of privilege regarding the alleged arrest and ill-treatment of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, by Shri Chandrika

Prasad, the then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar) and non-intimation of his alleged arrest to the Speaker, Fourth Lok Sabha, and re-referred by the House to the Committee.

4. The Committee persued the evidence and the documents submitted to the Committee of Privileges of Fourth Lok Sabha and deliberated on the matter.

The Committee were of the opinion that there was conflicting and contradictory evidence on the factum of arrest of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969. The Committee were of the view that since the fact of arrest of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, was not conclusively proved, it could not be said that the Sub-Inspector, Shri Chandrika Prasad had committed a breach of privilege in not sending intimation of the alleged arrest to the Speaker, Fourth Lok Sabha.

5. The Committee, however, felt that, taking into view the totality of the circumstances of the case, it appeared that Shri Tulmohan Ram, M.P., had been ill treated and abused by the Sub-Inspector, Shri Chandrika Prasad.

The Committee decided that the Sub-Inspector, Shri Chandrika Prasad, might be called to appear before the Committee on the 13th October, 1971, to have his say in the matter.

8. The Committee then adjourned to meet again on Wednesday, the 13th October, 1971, at 15.00 hours.

TV

Fourth Sitting

New Delhi, Wednesday, the 13th October, 1971.

The Committee sat from 15.00 to 15.20 hours.

PRESENT

SHRI R. D. Bhandare-Chairman.

MEMBERS

- 2. Dr. Henry Austin
- 3. Shri Somnath Chatterjee

^{*}Paras 2, 6 and 7 relate to other cases and have accordingly been ommitted.

- 4. Shri Darbara Singh
- 5. Shri Jagannathrao Joshi
- 6. Shri H. N. Mukerjee
- 7. Shri M. Muthuswamy
- 8. Shri Raj Bahadur
- 9. Dr. Shankar Dayal Sharma
- 10. Shri Satyendra N. Sinha
- 11. Shri P. Venkatasubbaiah
- 12. Shri Chandrajeet Yadav

SECRETARIAT

- Shri P. K. Patnaik-Joint Secretary
- Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary
- Shri J. R. Kapur-Under Secretary.
- 2. The Committee took up consideration of the question of privilege regarding the alleged arrest and ill-treatment of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, by Shri Chandrika Prasad, the then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar). The Chairman informed the Committee of the following telegram dated the 9th October, 1971, received from Shri Chandrika Prasad, the concerned Sub-Inspector of Police, who had been called to appear before the Committee on the 13th October, 1971:—
 - "Reference privilege motion raised by Shri Tulmohan Ram pray adjournment registered letter sent confirm through Supdt. Police Saharsa".

The Committee were also informed that the said letter was awaited.

The Committee decided that Shri Chandrika Prasad be given some time as requested by him and he be asked to appear before the Committee on the 10th November, 1971.

5. The Committee then adjourned to meet again on Wednesday, the 10th November, 1971, at 11.00 hours.

^{*}Paras 3 and 4 relate to other cases and have accordingly been omitted.

V

Fifth Sitting

New Delhi, Wednesday, the 10th November, 1971

The Committee sat from 11.00 to 13.10 hours.

PRESENT

Shri R. D. Bhandare-Chairman

MEMBERS

- 2. Shri Somnath Chatterjee
- 3. Shri Darbara Singh
- 4. Shri Jagannothrao Joshi
- 5. Shri H. N. Mukerjee
- 6. Shri M. Muthuswamv
- 7. Shri Chintamani Panigrahi
- 8. Shri Rai Bahadur
- 9. Shri A. K. Sen
- 10. Dr. Shankar Daval Sharma
- 11. Shri Satyendra N. Sinha

SECRETARIAT

Shri P. K. Patnaik-Joint Secretary

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESS

Shri Chandrika Prasad—Sub-Inspector of Police (Bihar)

- 2. Committee took up further consideration of the question of privilege regarding the alleged arrest and illtreatment of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police.
- 3. Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, was called in and examined on oath. The Chairman informed him that the Committee felt that Shri Tulmohan Ram, M.P., had been illtreated and abused by him. Shri Chandrika Prasad stated that if the Committee or any member of the Committee felt that he might have used any indignified words, he expressed his unqualified regret. (Verbatim record was kept).

(The witness then withdrew)

- 4. Shri Darbara Singh
- 5. Shri Jagannathrao Joshi
- 6. Shri H. N. Mukerjee
- 7. Shri M. Muthuswamy
- 8. Shri Raj Bahadur
- 9. Dr. Shankar Dayal Sharma
- 10. Shri Satyendra N. Sinha
- 11. Shri P. Venkatasubbaiah
- 12. Shri Chandrajeet Yaday

SECRETARIAT

- Shri P. K. Patnaik-Joint Secretary
- Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary
- Shri J. R. Kapur-Under Secretary.
- 2. The Committee took up consideration of the question of privilege regarding the alleged arrest and ill-treatment of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, by Shri Chandrika Prasad, the then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar). The Chairman informed the Committee of the following telegram dated the 9th October, 1971, received from Shri Chandrika Prasad, the concerned Sub-Inspector of Police, who had been called to appear before the Committee on the 13th October, 1971:—
 - "Reference privilege motion raised by Shri Tulmohan Ram pray adjournment registered letter sent confirm through Supdt. Police Saharsa".

The Committee were also informed that the said letter was awaited.

The Committee decided that Shri Chandrika Prasad be given some time as requested by him and he be asked to appear before the Committee on the 10th November, 1971.

5. The Committee then adjourned to meet again on Wednesday, the 10th November, 1971, at 11.00 hours.

^{*}Paras 3 and 4 relate to other cases and have accordingly been omitted.

v

Fifth Sitting

New Delhi, Wednesday, the 10th November, 1971

The Committee sat from 11.00 to 13.10 hours.

PRESENT

Shri R. D. Bhandare—Chairman

MEMBERS

- 2. Shri Somnath Chatterjee
- 3. Shri Darbara Singh
- 4. Shri Jagannothrao Joshi
- 5. Shri H. N. Mukerjee
- 6. Shri M. Muthuswamv
- 7. Shri Chintamani Panigrahi
- 8. Shri Raj Bahadur
- 9. Shri A. K. Sen
- 10. Dr. Shankar Dayal Sharma
- 11. Shri Satyendra N. Sinha

SECRETARIAT

Shri P. K. Patnaik-Joint Secretary

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESS

Shri Chandrika Prasad—Sub-Inspector of Police (Bihar)

- 2. Committee took up further consideration of the question of privilege regarding the alleged arrest and illtreatment of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police.
- 3. Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, was called in and examined on oath. The Chairman informed him that the Committee felt that Shri Tulmohan Ram, M.P., had been illtreated and abused by him. Shri Chandrika Prasad stated that if the Committee or any member of the Committee felt that he might have used any indignified words, he expressed his unqualified regret. (Verbatim record was kept).

(The witness then withdrew)

- 4. In view of the unqualified regret expressed by Shri Chandrika Prasad, the Committee decided to recommend to the House that the matter be dropped.
- 10. The Committee authorised the Chairman to fix the date of the next sitting of the Committee.

The Committee then adjourned

VI

SIXTH SITTING

New Delhi, Thursday, the 9th December, 1971 The Committee sat from 12.00 to 12.15 hours

PRESENT

Shri R. D. Bhandare-Chairman

Members

- 2. Dr. Henry Austin
- 3. Shri Darbara Singh
- 4. Shri Jagannathrao Joshi
- 5. Shri H. N. Mukerjee
- 6. Shri Raj Bahadur
- 7. Dr. Shankar Dayal Sharma
- 8. Shri Satyendra N. Sinha
- 9. Shri Chandrajeet Yadav

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

- 2. The Committee considered their Draft First Report on the question of privilege regarding the alleged arrest and ill-treatment of Shri Tulmohan Ram, M.P., on the 28th November, 1969, by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, and adopted it.
- 3. The Committee authorised the Chairman and, in his absence, Shri H. N. Mukerjee to present the Report to the House on the 10th December, 1971.

The Committee then adjourned.

^{**}Paras 5 to 9 relate to other cases and have accordingly been ommitted.

^{**}Paras 4 to 6 relate to other cases and have accordingle been omitted.

MINUTES OF EVIDENCE TAKEN BEFORE THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Wednesday, the 10th November, 1971

PRESENT

Shri R. D. Bhandare—Chairman

MEMBERS

- 2. Shri Somnath Chatterjee
- 3. Shri Darbara Singh
- 4. Shri Jagannathrao Joshi
- 5. Shri H. N. Mukerjee
- 6. Shri M. Muthuswamy
- 7. Shri Chintamani Panigrahi
- 8. Shri Raj Bahadur
- 9. Shri A. K. Sen
- 10. Dr. Shankar Dayal Sharma
- 11. Shri Satyendra N. Sinha

SECRETARIAT

Shri P. K. Patnaik-Joint Secretary

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESS

Shri Chandrika Prasad—Sub-Inspector of Police (Bihar).

(The Committee sat at 11.00 hours)

(Evidence of Shri Chandrika Prasad—Sub-Inspector of Police (Bihar).

MR. CHAIRMAN: We shall first call Sub-Inspector Chandrika Prasad in Mr. Tulmohan Ram's case.

(Shri Chandrika Prasad, SI, appeared before the Committee). MR. CHAIRMAN: Kindly take the oath.

SHRI CHANDRIKA PRASAD: I, Chandrika Prasad do swear in the name of God that the evidence which I shall give in this case shall be true, that I will conceal nothing and that no part of my evidence shall be false.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chandrika Prasad, this is the finding of the Committee.

"The Committee were of the opinion that there was conflicting and contradictory evidence on the factum of arrest of Shri Tulmohan Ram, MP, on the 28th November, 1969. The Committee were of the view that since the fact of arrest of Shri Tulmohan Ram, MP, on the 28th of November, 1969, was not conclusively proved, it could not be said that the Sub-Inspector, Shri Chandrika Prasad had committed a breach of privilege in not sending intimation of the alleged arrest to the Speaker. Fourth Lok Sabha.

The Committee, however, felt that, taking into view the totality of the circumstances of the case, it appeared that Shri Tulmohan Ram, MP, had been illtreated and abused by the Sub-Inspector. Shri Chandrika Prasad."

What have you to say?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Sir, I did not misbehave with Mr. Tulmohan Ram, MP, in any manner or used any abusive language. I have got high regard for the hon. Members of Parliament. I have also not uttered any undignified word against any hon. Member of Parliament. But if the Committee or any Member of the Committee have any feeling that I might have made any remark or uffered any undignified word towards them, I express my unqualified regret.

MR. CHAIRMAN: You can go now. Thank you.

(The witness then withdrew.)

LIST OF WITNESSES

										FAGE
	Thu	rsday	, 9th .	April,	1970					
Shri Tulmohan Ram, M.P.					•	•			•	I
	Tue	sday,	5th A	1ay, 1	970					
Shri Tulmohan Ram, M.P.	•									2
Shri Chandrika Prasad, Sub-I	nspe	ctor c	of Pol	ice	•		•	•	•	21
	Satu	rday,	25th 5	July,	1970					
Shri U. Sharma, S.P							•			36
Shri Jugal Kishore Jha .		•				•			•	42
Shri Bahadur Thakur		•	•			•	•	•	•	44
:	Tues	day, 1	8th A	ugust,	1970					
Shri Thakur Prasad Yadav					•					48
Shri Chandrika Prasad, Sub-In	nspec	tor o	f Poli	œ		•			•	59
М	londa	ıy, 31	st Au	gust,	1970					
Shri Kaleshwar Mandal .		•								60
Shri Bindeshwar Prasad Singh					•				•	72
Shri Tulmohan Ram, M.P.	•				, •					77
:	Tuesa	lay, 2	4th 1	Novem	ber, 19	7 0				
Shri H. K. Singh, Advocate, S (Appointed as Receiver by the of the attached lands in the cothers).	e Co	ourt is	resp m Na	ect of th Pro	the st	andir Tha	ng pac kkan	idy cr <i>Ram</i>	ops and	78
Shri Badrinath Choubey, Inspec	ctor		lice		•			٠	•	94
Shri U. Sharma, S.P.			_	_						94

MINUTES

I

First Sitting

New Delhi, Wednesday, the 24th December, 1969 The Committee sat from 16.00 to 16.50 hours.

PRESENT

CHAIRMAN

Shri G. G. Swell

MEMBERS

- 2. Shri Rajendranath Barua
- 3. Shri Hem Rai
- 4. Shri Thandavan Kiruttinan
- 5. Shri H. N. Mukerjee
- 6. Shri Raja Venkatappa Naik
- 7. Shri K. Narayana Rao

SECRETARIAT

i

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

6. The Committee then considered the question of privilege raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Mahishi (Bihar) regarding his arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and his alleged ill-treatment by the Sub-Inspector.

The Committee directed that the Ministry of Home Affairs might be asked to obtain and furnish to the Committee a factual report from the Government of Bihar in the matter and the explanation of the concerned Sub-Inspector of Police, Police Station Mahishi (Bihar).

7. The Committee decided to hold their next sittings on the 11th and 12th February, 1970 to consider the matters pending before the Committee.

The Committee then adjourned.

^{*}Paras 2 to 5 relate to other cases and have accordingly been omitted.

TT

Second Sitting

New Delhi, Tuesday, the 24th February, 1970 The Committee sat from 16.00 to 16.40 hours.

PRESENT

CHAIRMAN

Shri G. G. Swell

MEMBERS

- 2. Shri Rajendranath Barua
- 3. Shri N. C. Chatterjee
- 4. Shri Shri Chand Goyal
- 5. Shri Hem Raj
- 6. Shri H. N. Mukheriee
- 7. Shri Raja Venkatappa Naik
- 8. Shri P. Ramamurti
- 9. Chaudhuri Randhir Singh

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

3. The Committee next took up the question of privilege raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police. Mahishi (Bihar) regarding his arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and alleged ill-treatment to him by the Sub-Inspector. The Committee noted, that the factual report on the matter from the Government of Bihar and the explanation of the concerned Sub-Inspector of Police, called for by the Committee through the Ministry of Home Affairs had not so far been received despite repeated communications calling for such report to the Ministry of Home Affairs, viz. on the 16th and 20th December, 1969, 1st, 15th and 29th January and 18th February, 1970. The Committee took a very serious view of this failure to comply with the Committee's directions. The Committee decided that the Government of Bihar be asked for the last time to furnish the requisite information within a fortnight. The Committee directed that a copy of the communication be addressed to the Ministry of Home Affairs to this effect and a copy of it be forwarded to the Chief Secretary to the Government of Bihar for taking immediate necessary action.

^{*}Para 2, relates to other cases and has accordingly been omitted.

6. The Committee decided that the sitting fixed for Thursday, the 26th February, 1970, be cancelled.

The Committee then adjourned.

m

Third Sitting

New Delhi, Wednesday, the 11th March, 1970 The Committee sat from 16.00 to 17.10 hours.

PRESENT

CHAIRMAN

Shri G. G. Swell

MEMBERS

- 2. Shri N. C. Chatteriee
- 3. Shri Surendranath Dwivedy
- 4. Shri Shri Chand Goyal
- 5. Shri Hem Raj
- 6. Shri H. N. Mukerjee
- 7. Shri K. Raghauramaiah
- 8. Chaudhuri Randhir Singh

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

5. The †Committee then considered the question of privilege raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar), regarding his arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and alleged ill-treatment to him by the said Sub-Inspector.

The Committee perused the explanation of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Mahishi, and the comments of the Government of Bihar, received through the Ministry of Home Affairs.

^{*}Paras 4 and 5 relate to other cases and have accordingly been omitted. †Paras 2 to 4 relate to another case and have accordingly been omitted.

The Committee decided to hear Shri Tulmohan Ram, M.P., in the matter on the 30th March, 1970, at 16.30 hours.

The Committee then adjourned.

TV

Fourth Sitting

New Delhi, Monday, the 30th March, 1970 The Committee sat from 16.30 to 16.50 hours.

PRESENT

CHAIRMAN

Shri G. G. Swell

MEMBERS

- 2. Shri N. C. Chatterjee
- 3. Shri Surendranath Dwivedy
- 4. Shri Shri Chand Goyal
- 5. Shri Hem Raj
- 6. Shri Thandavan Kiruttinan
- 7. Shri H. N. Mukherjee
- 8. Shri Raja Venkatappa Naik
- 9. Shri P. Ramamurti
- 10. Chaudhuri Randhir Singh
- 11. Shri K. Narayana Rao

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee—Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

2. At the outset, the Chairman informed the Committee that he had received a letter, dated the 30th March, 1970, from Shri Tulmohan Ram, M.P., requesting that as he was unable to appear before the Committee on account of illness, he might be given some other date for his appearance before the Committee. The Committee decided to accede to his request and fixed Thursday, the 9th April, 1970, at 16.00 hours for the purpose.

The Committee then adjourned.

^{*}Para 3 relates to another case and has accordingly been omitted.

Fifth Sitting

New Delhi, Thursday, the 9th April, 1970 The Committee sat from 16.00 to 17.40 hours.

PRESENT

Shri G. G. Swell--Chairman

MEMBERS

- 2. Shri Rajendranath Barua
- 3. Shri, N. C. Chatterjee
- 4. Shri Surendranath Dwivedy
- 5. Shri Shri Chand Goval
- 6. Shri Hem Rai
- 7. Shri H. N. Mukeriee
- 8. Shri G. L. Nanda
- 9. Shri K. Raghuramaiah
- 10. Chaudhuri Randhir Singh
- 11. Shri K. Narayana Rao

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESS

Shri Tulmohan Ram, M.P.

5. Shri Tulmohan Ram, M.P., was then called in and examined by the Committee on oath in connection with the question of privilege raised by him against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station, Mahishi (Bihar), regarding his alleged arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and his ill-treatment by the Sub-Inspector.

(The Witness then withdrew.)

6. The Committee directed that the concerned Sub-Inspector of Police, Shri Chandrika Prasad, be asked through the Ministry of Home Affairs,

^{*}Paras 2, 3 and 4 relate to other cases and have accordingly been omitted.

to appear before the Committee for oral examination, on the 4th May, 1970 at 16.00 hours.

The Committee also directed that the Ministry of Home Affairs be asked to obtain and furnish to the Committee, a copy of the report regarding the incident, lodged by Shri Tulmohan Ram, M.F., with the concerned Superintendent of Police.

The Committee then adjourned.

VI

Sixth Sitting

New Delhi, Tuesday, the 5th May, 1970

The Committee sat from 16.00 to 17.15 hours.

PRESENT

Chaudhury Nitiraj Singh—Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri R. D. Bhandare
- 3. Shri N. C. Chatterjee
- 4. Shri P. Govinda Menon
- 5. Shri Raja Venkatappa Naik
- 6. Shri K. Raghuramaiah
- 7. Shri A. K. Sen

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee—Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESSES

Shri Tulmohan Ram, M.P.

Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Chousa (now) Distt. Saharsa (Bihar).

2. Shri Tulmohan Ram, M.P., was called in and examined further by the Committee in connection with the question of privilege raised by him against Shri Chandrika Prasad, then Sub-Inspector of Police, Police Station, Mahishi (Bihar), regarding his alleged arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and his ill-treatment by the said Sub-Inspector.

(The witness then withdrew.)

^{*}Para 7, relates to another case and has accordingly been omitted.

3. Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Chousa, Distt. Saharsa (Bihar), was then called in and examined by the Committee on oath

(The witness then withdrew.)

- 4. The Committee then deliberated on the matter and directed that Shri Tulmohan Ram, M.P., and Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, be asked to submit to the Committee a list of four witnesses each in their support, who might be examined by the Committee.
- 5. The Committee decided to meet again on Wednesday, the 13th May, 1970, at 16.00 hours, to consider the above matter further.

The Committee then adjourned.

VII

Seventh Sitting

New Delhi, Wednesday, the 13th May, 1970 The Committee sat from 16.00 to 16.25 hours.

PRESENT

Chaudhary Nitiraj Singh-Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri R. D. Bhandare
- 3. Shri N. C. Chatterjee
- 4. Shri P. Govinda Menon
- 5. Shri K. Raghuramaiah
- 6. Shri A. K. Sen

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

2. The Committee took up further consideration of the question of privilege raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Mahishi, Bihar, regarding his arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and his alleged ill-treatment by the said Sub-Inspector of Police. The Committee decided to examine in person, at their sitting to be held on Friday, the

^{*}Further matter from para 5 relates to another case and has accordingly been omitted.

24th July, 1970, two witnesses each from the lists of witnesses submitted by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police and Shri Tulmohan Ram, M.P. Both Shri Tulmohan Ram, M.P., and Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector might be asked to intimate the names of two witnesses for purposes of examination.

The Committee also directed that the Government of Bihar might be asked through the Ministry of Home Affairs, to send a map of the site of incident and to depute a responsible officer to explain before the Committee, on the above date, the details of that site map.

6. The Committee decided to hold their next sittings on Friday, the 24th and Saturday, the 25th July, 1970, to consider the pending cases.

The Committee then adjourned.

VIII

Eighth Sitting

New Delhi, Saturday, the 25th July, 1970 The Committee sat from 11.00 to 12.20 hours.

PRESENT

Shri N. C. Chatterjee—In the Chair.

MEMBERS

- 2. Shri R. D. Bhandare
- 3. Shri C. M. Kedaria
- 4. Shri V. Mayavan
- 5. Shri P. G. Sen
- 6. Shri Yajna Datt Sharma
- 7. Shri R. K. Sinha.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee—Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESSES

- 1. Shri U. Sharma, Superintendent of Police, Saharsa (Bihar).
- 2. Shri Jugal Kishore Jha, Secretary, Harijan Sevak Sangh, Saharsa (Bihar).
- 3. Shri Bahadur Thakur, President, District Panchayat Parishad, Saharsa (Bihar).

^{*}Paras 3 to 5 relate to other cases and have accordingly been omitted.

- 2. In the absence of the Chairman, the Committee chose Shri N. C. Chatterjee to act as Chairman.
- 3. Shri U. Sharma, Superintendent of Police, Saharsa, who was deputed by the Government of Bihar to explain the map of the site of occurrence to the Committee, and who was also cited as a witness by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, was called in and examined by the Committee on oath.

(The witness then withdrew)

4. Shri Jugal Kishore Jha, Secretary, Harijan Sevak Sangh Saharsa, a witness of Shri Tulmohan Ram, M.P., was then called in and examined by the Committee on oath.

(The witness then withdrew.)

5. Shri Bahadur Thakur, President, District Panchayat Parishad, Saharsa, another witness of Shri Tulmohan Ram, M.P., was then called in and examined by the Committee on oath.

(The Witness then withdrew)

6. The Committee then considered and acceded to, the written request of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, to permit Shri Thakur Prasad Yadav son of Shri Gokul Prasad Yadav, V. & P.O. Sarauni, P.S. Mahishi, District Saharsa, to appear before the Committee as a witness of the former in place of Shri Kaleswar Mandal, V. & P.O. Sarauni, District Saharsa, who was unable to appear before the Committee on account of illness.

The Committee also acceded to, another written request of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, for placing before the Committee certified copies of certain judgements from courts in respect of the past conduct of Shri Tulmohan Ram, M.P.

The Committee then adjourned.

IX

Ninth Sitting

New Delhi, Tuesday, the 18th August, 1970

The Committee sat from 15.00 to 16.20 hours.

PRESENT

Shri R. D. Bhandare—Chairman.

^{*}Para 7 relates to another case and has accordingly been omitted.

MEMBERS

- 2. Shri C. M. Kedaria
- 3. Shri K. Raghuramaiah
- 4. Shri A. K. Sen
- 5. Shri P. G. Sen
- 6. Shri R. K. Sinha
- 7. Chaudhuri Randhir Singh.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESSES

- Shri Thakur Prasad Yadav S/o Shri Gokul Prasad Yadav,
 V. & P.O. Sarauni, Police Station Mahishi, District Saharsa (Bihar).
- 2. Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, P.O. Bihariganj, Distt. Saharsa (Bihar).
- 2. Shri Thakur Prasad Yadav, a witness of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police was called in and examined by the Committee on oath, in connection with the question of privilege raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Mahishi (Bihar), regarding his arrest and non-intimation thereof to Speaker, Lok Sabha, and, his alleged ill-treatment by the said Sub-Inspector of Police.

(The witness then withdrew)

- 3. Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, was then called in and asked by the Chairman as to when his other witness, Shri Kaleshwar Mandal of village Sarauni, would be able to appear before the Committee for giving oral evidence. Shri Chandrika Prasad submitted that Shri Kaleshwar Mandal could appear before the Committee after ten days or so. (He then withdrew).
- 4. The Committee then considered the written request of Shri Tulmohan Ram, M.P., for calling his three other witnesses before the Committee for giving oral evidence. The Committee decided that one of the three witnesses mentioned by Shri Tulmohan Ram, namely, Shri Bindeshwar Prasad Singh, Village Lahuar, P.O. Sarauni, District Saharsa, Bihar, might be asked to appear before the Committee for oral examination.
- 5. The Committee also decided that a copy of each of the statements, if any, made by Shri Thakur Prasad Yadav (witness of Shri Chandrika Prasad) and other witnesses before the Committee, before the Police,

Saharsa, in connection with this matter, be obtained from the Government of Bihar through the Ministry of Home Affairs and circulated to the members of the Committee.

7. The Committee also decided that Shri Kaleshwar Mandai, witness of Shri Chandrika Prasad, and Shri Bindeshwar Prasad Singh, witness of Shri Tulmohan Ram, M.P., might be asked to appear before the Committee for oral examination on Monday, the 31st August, 1970 at 16.00 hours.

The Committee then adjourned.

X

Tenth Sitting

New Delhi, Monday, the 31st August, 1970

The Committee sat from 16.00 to 18.00 hours.

PRESENT

Shri R. D. Bhandare—Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri Dhireswar Kalita
- 3. Shri C. M. Kedaria
- 4. Chaudhuri Randhir Singh
- 5. Shri P. G. Sen
- 6. Shri Yajna Datt Sharma
- 7. Shri R. K. Sinha.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee—Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESSES

- 1. Shri Kaleshwar Mandal, V. & P.O. Sarauni, Police Station Mahishi, District Saharsa (Bihar).
- 2. Shri Bindeshwar Prasad Singh, Village Lahaur, P.O. Sarauni. District Saharsa (Bihar).
- 3. Shri Tulmohan Ram, M.P.
- 2. Shri Kaleshwar Mandal, a witness of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, was called in and examined by the Committee on oath, in connection with the question of privilege raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police,

^{*}Para 6 relates to other cases and has accordingly been omitted.

Police Station, Mahishi (Bihar), regarding his arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and his alleged ill-treatment by the said Sub-Inspector of Police.

(The Witness then withdrew)

3. Shri Bindeshwar Prasad Singh, a witness of Shri Tulmohan Ram, M.P., was then called in and examined by the Committee on oath.

(The witness then withdrew)

4. Shri Tulmohan Ram, M.P., was then called in and examined by the Committee.

(The witness then withdrew)

- 5. The Committee then considered the written request of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police for permission to produce certain documents in regard to the past conduct of Shri Tulmohan Ram, M.P., for consideration by the Committee, and for his re-appearance before the Committee to explain certain things. The Committee decided that it was not necessary to call for the said documents or to re-examine Shri Chandrika Prasad.
- 6. The Committee decided to hold their next sittings on the 13th and 14th October, 1970 to consider the cases pending before them.

The Committee then adjourned.

XI

Eleventh Sitting

New Delhi, Friday, the 16th October, 1970 The Committee sat from 15.00 to 16.35 hours.

PRESENT

Shri R. D. Bhandare—Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri Hem Barua
- 3. Shri Dhireswar Kalita
- 4. Shri C. M. Kedaria
- 5. Shri V. Mayayan
- 6. Shri P. G. Sen
- 7. Shri Yajna Datt Sharma
- 8. Shri R. K. Sinha.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

2. The Committee deliberated upon the question of privilege raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Mahishi, Bihar, regarding his arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and his alleged ill-treatment by the said Sub-Inspector of Police.

The Committee then adjourned to consider the matter further at their sitting to be held on the 17th October, 1970.

XII

Twelfth Sitting

New Delhi, Saturday, the 17th October, 1970 The Committee sat from 11.00 to 12.15 hours.

PRESENT

Shri R. D. Bhandare-Chairman

MEMBERS

- 2. Shri Hem Barua
- 3. Shri Dhireswar Kalita
- 4. Shri V. Mayavan
- 5. Shri P. G. Sen
- 6. Shri Yajna Datt Sharma
- 7. Shri R. K. Sinha.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee—Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

- 2. The Committee considered further the question of privilege raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Mahishi (Bihar), regarding his arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and his alleged ill-treatment and insulting language towards M.Ps. as a Class by the said Sub-Inspector of Police.
- 3. The Committee directed that the Ministry of Home Affairs be asked to cause the production of the Police Diary, in original, of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, of relevant dates of the incident i.e. 28th and 29th November, 1969 and a few days earlier thereto through a responsible Officer who can explain the relevant entries in the said Police Diary, before the Committee at their sitting to be held on the 19th November, 1970.

- 4. The Committee also decided to examine the following persons at their aforesaid sitting:—
 - (i) Shri H. K. Singh, Advocate, appointed as Receiver by the Court in respect of the Standing paddy crops of the attached lands in the case of Jagan Nath Prasad Vs. Thakkan Ram and others, under Section 145, Criminal Procedure Code, pending in the Court of Shri P. K. Ghosh, Magistrate, 1st Class, Saharsa: and
 - (ii) Sepoy Shri Jagdish Singh S/o Shri Riku Singh of Ishaur who was appointed by the said Receiver to watch the paddy of the attached lands in the above case.
- 5. The Committee directed further that a certified copy of the original complaint together with a list containing names of all the persons shown as Second Party in the said case referred to in para 4(i) above, be obtained, through the Ministry of Home Affairs, for the consideration of the Committee.

The Committee then adjourned.

XIII

Thirteenth Sitting

New Delhi, Tuesday, the 24th November, 1970 The Committee sat from 15.00 to 17.30 hours.

PRESENT

Shri R. D. Bhandare—Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri Hem Barua
- 3. Shri Dhireswar Kalita
- 4. Shri C. M. Kedaria
- 5. Chaudhuri Randhir Singh
- 6. Shri P. G. Sen.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee—Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur—Under Secretary.

^{*}Paras 6 to 8 relate to other cases and have accordingly been omitted.

WITNESSES

- 1. Shri H. K. Singh, Advocate, Saharsa (appointed as Receiver by the Court, in respect of the standing paddy crops of the attached lands in the case of Jagan Nath Prasad Vs. Thakkan Ram and others).
- 2. Shri Upendra Sharma, Superin) Deputed by the Govern-

tenuent of Police, Palamau.

3. Shri Badri Nath Choubey, Inspector of Police, Saharsa

3. The Committee then took up the consideration of the question of privilege raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Mahishi (Bihar), regarding his alleged arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and his alleged ill-treatment by the Sub-Inspector.

Shri H. K. Singh, Advocate, Saharsa, was then called in and examined. by the Committee on oath.

(The Witness then withdrew)

4. Sarvashri Upendra Sharma, Superintendent of Police, Palamau District and Badri Nath Choubey, Inspector of Police, Kishanganj, District Saharsa, were then called in and examined by the Committee. The witnesses produced the Police Station Diary and the Personal Diary of Shri Chandrika Prasad, then Sub-Inspector of Police, Mahishi (Bihar), and read out therefrom the relevant entries for the dates between 21st and 29th November, 1969.

The Committee directed the witnesses to furnish to the Committee certified copies of the entries Nos. 318 and 440 of 21st and 29th November, 1969, respectively of the Police Station Diary, and also of entries of the 21st, 28th and 29th November, 1969 from the personal Diary of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police.

(The Witness then withdrew)

5. The Committee then directed that the verbatim record of the oral evidence given before the Committee on that day (24-11-1970) and copies of the entries from the Diaries referred to above be circulated to the members of the Committee.

^{*}Para 2 relates to another case and has accordingly been omitted.

- 6. The Committee decided that it was not necessary to examine Sepoy Shri Jagdish Singh appointed by the Receiver to watch the paddy of the attached land.
- 7. The Committee decided to meet again sometime in the middle of December, 1970, to consider further the above two cases.

The Committee then adjourned.

XIV

Fourteenth Sitting

New Delhi, Tuesday, the 15th December, 1970 The Committee sat from 15.00 to 16.30 hours.

PRESENT

Shri R. D. Bhandare—Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri Dhireswar Kalita
- 3. Shri C. M. Kedaria
- 4. Chaudhuri Randhir Singh
- 5. Shri S. M. Joshi
- 6. Shri P. G. Sen
- 7. Shri R. K. Sinha

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee—Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

4. The Committee then deliberated upon the question of privilege raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station, Mahishi (Bihar), regarding his alleged arrest and non-intimation thereof to the Speaker, Lok Sabha, and his alleged ill-treatment by the Sub-Inspector.

The Committee decided to consider the matter further at their next sitting.

5. The Committee decided to meet again on Tuesday, the 29th December, 1970, at 15.00 hours, and on Monday the 25th and Wednesday, the 27th January, 1971 to consider the matters pending before them.

The Committee then adjourned.

^{*}Paras 2 and 3 relate to other cases and have accordingly been omitted.

MINUTES OF EVIDENCE TAKEN BEFORE THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

Thursday, the 9th April, 1970.

PRESENT

Shri G. G. Swell-Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri Rajendranath Barua
- 3. Shri N. C. Chatterjee
- 4. Shri Surendranath Dwivedy
- 5. Shri Shri Chand Goval
- 6. Shri Hem Raj
- 7. Shri H. N. Mukerjee
- 8. Shri G. L. Nanda
- 9. Shri K. Raghuramaiah
- 10. Chaudhuri Randhir Singh
- 11. Shri K. Narayana Rao.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESS

Shri Tulmohan Ram, M.P.

(The Committee met at 16.00 hours.)

(Evidence of Shri Tulmohan Ram, M.P.)

(The witness took the oath)

श्री तुलमोहन राम: दोपहर के बाद की बात है। जब मैं दिल्ली से गया ही था। करीब एक घंटा या घ्राधा घंटा हुमा होगा तो मुझे मालूम हुमा कि मेरे खेत जो झंझट में हैं तथा झंझट से बाहर हैं, वहां सब लोगों को मिलकर मेरी फसल दरोगा जी कटवा रहे हैं। मैं घोड़े से जा रहा था, सहरसा स्टेशन से गया था। मैंने घबराकर देखा तो मेरे खेतों में वह निकल गये थे, उनके साथ पांच श्राम्ड फोर्स भौर लाठी पुलिस थी उनके हाथ में खुद रिवाल्बर था। मैं घोड़े पर था। मैंने कहा दरोगा जी, श्रापके संरक्षण में इस तरह की घटना घट रही है। खेत को कटवा श्रीर लुटवा रहे हैं तो यह श्राच्छी बात नहीं । तो उन्होंने बहुत गस्से में एक पाम्फलेट मेरे हाथ में दिया ग्रीर कहा कि इसका परिणाम भगतो । तुम उतरो घोडे से। तो मुझे घोड़े से उतार दिया गया भीर जब मैं घोड़े से उतरा तो मेरे हाथ में वह पाम्फलेट दे दिया और कहा कि यह इसका नतीजा होता है। तुम मेरी शिकायत एस॰ पी॰ के पास करो, मझे सस्पेंड करवाभी जो बटाईदारी कानुन लागु कर रहे हो करो। मैंने कहा यह बंगाल में हो रहा है, पुनिया में हो रहा है। यह तो हवा बह रही है। एक कमेटी ने इसको पास किया डेबलपमेंट ग्रौर चारों तरफ ग्रपने लोग ग्रपना क्लेम करते हैं। मैं तो यहां रहता नहीं हूं। मेरी तो कंस्टीटयेंसी भी बाहर है।

श्री सुरेन्द्रनाथ हिबेदी : आपको घोड़े से उतार दिया या ग्राप उतरे ?

भी तलमोहन राम : मुझे जबरदस्ती उतार दिया। एक सिपाही थाने का था उस ने मुझे उतार दिया । उसके बाद वह गाली गलोच करने लगे। क्योंकि उनके पास ध्रार्म्स-ऐमुनिशन थे, मैं तो ध्रकेला था। मैं वीकर सैक्शन को बिलोंग करता ह एम० पी० हो गया हुं लेकिन भावना वही है, विश्वास वही है कि चमार-नीच जाति का हं। एक तो यह हम्राकि घोड़े पर से उतार कर सलामी क्यों नहीं किया। लेकिन मैंने उसको सलामी नहीं की तो उसमें वह ग्रौर नाराज हो गये। वह फिर गाली-गलोच करने लगे। उन्होंने कहा--गिरफ्तार करो इसे । मैंने कहा---ग्राप गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाइए, मेरा क्या कसूर है ? तो उन्होंने कहा-पुलिस के पाकेट में बारंट मीजूद रहता है। ग्रीर कहा--मेरे साथ चलो । मैं चलता रहा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: वहां पर कुछ नहीं बोले? ग्रली हसन का नाम बोला?

श्री तूलमोहन राम : वहां पर कुछ नहीं बोलें ? भी नि० चं० चटर्जी: चन्द्रिका प्रसाद ग्रापको कुछ बोले थे ?

श्री तुलमोहन राम: वह नहीं बोले मुझ से। वह गिरफ्तार कर लिया मुझे। वह साथ गये। वह कहते हैं कि हम वहां पहुंच झौर तुलमोहन राम के आदिमयों ने झली हसन को तेज घोड़े पर चढ़ा कर भगा दिया। इतने बड़े किमिनल्स थे क्योंकि रिवाल्वर उनके पास में है। पांच-पांच राइफल थे, वह घोड़े को भी मार सकते थे। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है।

भी सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: म्रापको जो बोला तुम मेरे साथ भ्राम्रो । तो कहां ले गये ?

श्री तुलमोहन राम: मेरे सकान पर लेगये। वहां मेरी लड़की बेटे बगैरह थे तो गिरफ्तार तो वहीं किया?

भी सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ग्रापको पैदल लेगये ग्रीर घोड़ा पूलिस नेथाम लिया।

श्री तुल मोहन राम : जी ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: ग्रापको वहां रोका ग्रीर ग्रापने वारंट मांगा तो वह बोला कि वारंट मेरे पास नहीं हैं, मेरे साथ ग्राग्रो ?

श्री तुलमोहन राम: मेरे मकान पर गये ग्रीर कहा कि ग्रापकी हम सर्च करेंगे मैंने कहा—क्यों सर्च कीजिएगा।

श्री श्री चन्द गोयल : ग्राप के खेत से चर का कितना मन्तर है ?

श्री तुलमोहन राम : करीब करीब स्नाधा मील होगा। मेरे विरोधी या जो मेरे एनिमी हैं, वह लोग हथियार ले कर उसके साथ ऐसेम्बल हो कर जब मेरे घर में प्रवेश कर रहे थे तो मैंने इन्कार किया।

श्री हेम राज: पुलिस तलाशी किस लिए लेना चाहती थी? श्री तृल्योहन राम: उसने कहा कि जो प्रादमी ग्रापक यहां भाया है वह भली हसन ग्रापक यहां है। मैंने कहा मेरे यहां नहीं है जब मेरे घर पर कालेश्वर मंडल भौर 50-100 ग्रादमियों ने मिल कर ग्रंदर जाना चाहा तो हमने मुखालफत किया तो मुझे पुलिस ने पकड़वा लिया। जैसे एक बन्दर को नचाया जाता है वैसे हमारे साथ किया।

भी सुरेन्द्रनाथ द्वियेदी: कहां ग्रापको ग्राकर श्ररेस्ट किया तो क्या हथकड़ी लगाई ?

भी तुलमोहन राम : डोर (रस्सी) लगाई कमर में।

भी नि० चं० चटर्जी: म्रापका डिस्ट्रिक्ट कौन है ?

श्री तृलमोहन राम: सहरसा । वहां प्रेसिडेंट रूल था। मुझे गिरफ्तार करके रस्सी लगा कर लें गये। तब सैकड़ों ग्रादमी गांव के भाये। उन्होंने प्रार्थना की तब इन लोगों के कहने पर श्राधा घंटे से ज्यादा वहां पर से थोड़ी दूर ले जा कर मुझे रिलीज कर दिया।

भी नि० चं० चटर्जी: ग्रीर एम० पी० के बारे में कुछ बोला था।

श्री तुलमोहन राम : उसने कहा यह पाम्फलेट छापा है। मैंने कहा मुझे जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा—एम० पी० भीर एम० एल० ए० लोग झूठ बोलते हैं मैंने बहुत से एम० पी० देखे हैं। चमार दुशांध भी एम० पी० होने की धौंस जमाते हैं। झूठ बोलना उनका पेशा है।

भी नि॰ चं॰ चटकों : क्या पुलिस इन्स्पैक्टर ने यह कहा था कि मैंने स्नाप जैसे बहुत से एस॰ पी॰ देखे हैं स्नौर एस॰ पी सूट बोलते हैं ? भी तुलमोहन राम: जी हां। यह भी कहा कि एम० पी० लोगों का झूठ बोलना पेशा हो गया है।

श्री हेम राज: जो-जो भ्रपशब्द उन्होंने कहे वे सब बता दीजिए ?

भी तुलमोहन राम: चमार दुशाध भी एम० पी० बन कर एम० पी० की शान दिखाते हैं। भाप जैसे बहुत से एम० पी० को देखा है भीर एम० पीज० का झूठ बोलना पेशा हो गया है।

श्री सुरेक्द्रनाथ द्विवेदी : ग्राप को छोड़ देने के बाद वे लोग चले गये ग्रीर ग्राप घर लौट ग्राए ?

भी तुलमोहन राम : जी हां।

श्री सुरेन्द्रनाथ हिबेबी: 28 नवस्वर को यह घटना हुई ग्रीर 16 दिसम्बर को ग्रापने यह सवाल उठाया। इस बीच में एस० पी० या किसी के पास ग्रापने कुछ लिख कर भेजा कि हम को क्यों एरेस्ट कर के छोड़ दिया ग्रीर हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया गया। पुलिस वालों के खिलाफ ग्रापने किसी से कुछ कहा?

श्री तुल्लमोहन राम : एस० पी० को हम ने कहाथा?

भी हेम राज: लिख कर दिया या जवानी कहा ?

भी तुलमोहन राम: लिख कर भी दिया था?

भी सुरेन्द्रनाथ विश्वेदी: 28 नवस्वर ग्रीर 16 दिसम्बर के बीच ग्रापने कुछ लिख कर दिया? श्री तुलमोहन राम : 29 तारीख को यानी दूसरे दिन दिया था ।

श्री नि० चं० चटर्जी: एस० पी० का जवाब नहीं म्राया ।

श्री तुलमोहन राम: जवाब इसलिए नहीं भ्राया कि वहां पर प्रेसिडैंट रूल था। इससे वहां बिल्कुल भ्रराजकता की स्थिति हो गई। इससे एस० पी० भी खुश थे भौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी खुश थे। सब लोग वीकर सेक्शन को दबाते थे। मैं उनके लिये बोलता था ताकि कोई उन को डिमोरेलाइज न करे ग्रीर भ्रपमानित न करे। एस० पी० को इंसाफ करना चाहिए भौर देखना चाहिए कि किसी के साथ ज्यादती न हो।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: एस० पी० को शिकायत मिलने के बाद में उन्होंने ग्राप को बुलाया ग्रीर नहीं कोई ग्राप को जवाब दिया ?

भी तुलमोहन राम: जी हां।

श्री हेम राज: जब ग्राप को कोई जवाब नहीं मिला तो ग्राप एस० पी० या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी के पास मिलने के लिए नहीं गये?

श्री तुलमोहन राम: जी नहीं। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं। श्राप एफ० श्राई० श्रार० में देखें कि मेरे नाम के पहले उन्होंने 'श्री' नहीं लगाया। एम० पी० के नाम के पहले 'श्री' लगाने में कोई एतराज महीं होना चाहिए लेकिन उन्होंने एफ० श्राई० श्रार० में मेरे नाम के पहले 'श्री' नहीं लगाया। दूसरी बात यह है कि "चमार" कोई मेरा टाइटिल नहीं है लेकिन उन्होंने चमार लिखा। इतनी हीनता की भावना उन के श्रन्दर थी। मेरे पिता जी के नाम के श्रागे भी उन्होंने 'श्री' नहीं लगाया

जब कि म्राप देखें कि कालेश्वर मंडल जो कि उनके गवाह हैं के नाम से पहले "श्री" लगाया। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे क्यों गिरफ्तार करते हो गिरफ्तारी का वारंट दिखान्नो । उस पर उन्होंने कहा कि पुलिस की पाकेट में वारन्ट मौजूद रहता है।

चीवरी रणधीर सिंह : मैं दो चार सवाल पूछना चाहता हूं। ग्राप श्रली हसन को जानते हैं? वह कौन है?

श्री तुलसोहन राम : वह एक वर्कर है जो कि किसानों-मजदूरों की तरफ से लडता है ।

चौषरी रणधीर सिंह: वह कभी ग्राप से मिला था?

भी तुलमोहन राम: पालिटीकल लीडर होनें की वजह से सब तरह के लोग हमसे मिलते हैं लेकिन इधर मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। जिस दिन मेरे साथ वह घटना हुई तो मैंने लोगों से पूछा था तो पता चला कि उस तारीख को वह ग्रस्पताल में था।

चौचरी रणघीर सिंह: वह किस पार्टी में है ?

श्री **तुलमोहन राम**ः वह कम्युनिस्ट पार्टी में है।

चौधरी रणधीर सिंह: उसके खिलाफ किस सिलसिले में मुकदमा चल रहा है ?

श्री तुलसोहन राम: धान काटने का।

भी हेम राज: उसने खुद काटा या लोगों से कटवाया? श्री तुलमोहन राम : वह तो पालिटीकल वर्कर है। इसलिए पुलिस हैरेसमेंट करने के लिए उसके विरुद्ध कुछ न कुछ करती है।

श्री नि० **चं० घटजीं:** चुमित चमार कौन हैं?

श्री तुलमोहन राम: वे मेरे पिता जी हैं।

चौधरी रणधीर सिंह: जो रिपोर्ट भ्रापने ग्रगले रोज पुलिस कप्तान को दी उसकी कोई कापी है?

भी तुलमोहन राम : मेरे पास कापी नहीं है ?

चौचरी रणभीर सिंह : जो म्रापने पुलिस कप्तान को लिख कर दिया उस पर कोई एक्शन हुम्रा ?

श्री **सुंमोहन राम:** कोई एक्शन नहीं हम्रा।

चौंधरें(रणधीर सिंह: उसके बाद ग्राप एसः पीः से मिले भी नहीं ?

श्री तुलमोहन राम : जी नहीं।

चौंबरो रणधीर सिंह : ग्रगर कोई जवाब नहीं श्राया श्रौर श्रापकी शिकायत पर कुछ नहीं हुश्रा तो श्राप ने इसको श्रौर जगई एजीटेट नहीं किया श्रौर श्राप श्राई० जी० श्रौर डी० श्राई० जी० से नहीं मिले श्रौर उनसे यह नहीं कहा कि मेरे सांथ ऐसा हुश्रा है।

श्री तुलमोहन राम : जिस वक्त एप्ली-केशन दी वहां पर प्रेसीडट रूल था । इसलिए ग्राई० जी० से नहीं मिले । चौधरो रणधीर सिंह: यहां पर एप्ली-केशन देने के बाद कब ग्रापने त्रीच ग्राफ प्रिविलेज के लिए नोटिस दिया?

श्री तुलमोहन राम: 16 दिसम्बर को।

चौधरी रणधीर सिंह: इस दौरान में ग्रापके भाई ने श्रापकी तरफ से कोई कम्पलेंट की?

श्री तुलमोहन राम : उससे इसवा कोई ताल्लुक नहीं है ? वह मामला बिल्कुल मलग है।

चौघरो रणधीर सिंह: भ्रापने बताया कि वह डिफ़ेन्ट मैटर है। वह शिकायत क्या थानेदार के खिलाफ़ है?

श्री तुलमोहन राम: शिकायत थाने-दार के खिलाफ है।

चौधरी रणधीर सिंह: थानेदार समन हो चुका है ?

भी तुलमोहन राम : ग्रभी कुछ नहीं हुन्ना है ।

चौधरी रणधीर सिंह : ग्राप उस केस में गवाह हैं ?

श्री तुलमोहन राम: जी नहीं।

चौधरी रणधीर सिंह : यह जो म्रापने बताया कि उन्होंने यह कहा कि चमार हो कर तुम को कैसे हिम्मत हुई शिकायत करने की यह तो बड़ी सीरियस बात है म्रौर मन-टचेबिलिटी एक्ट के म्रन्तर्गत इससे शिकायत हो सकती थी। क्या इसके लिए म्राप ने कोई एफ० म्राई० म्रार० या रिपोर्ट की ? भी तुलमोहन राम: जी नहीं । कोई कम्पलेंट नहीं की । सिर्फ बीच प्राफ प्रिविजेज का सवाल उठाया था।

बाधरा रणधीर सिंह: ग्राप ने इस दौरान में कोई अर्जी गवनंर या एडवाइजर या प्राइम मिनिस्टर को दी कि मेरे साथ यह बीज हुई है। एक भादमी जो एग्रीड है भीर उसकी इज्जत पर हमला किया गया तो उस का माइण्ड इरप्ट हो जाता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस दिन भापने एस० पी० को एप्लीकेशन दी भीर जिस दिन भापने बीच भाफ बिप्रविलेजज का प्रशन उठाया उस बीच में भ्रापने हायर लेविल पर प्राइम मिनिस्टर को या गवनंर भादि को कुछ लिख कर दिया?

भी तुलमोहन राम : लिखित कहीं नहीं दिया ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: जब सब इंस्पेक्टर यह कहता है कि मैं श्रापको गिरफ्तार करता हूं तो वह ग्राप को पहले थाने ले जाता है ग्रीर तब ग्राप लौट कर घर पर ग्राते हैं या वह कहता है कि मुझे ग्राप के घर की तलाशी लेनी है इसलिए ग्रापको घर ले जाता है?

श्री तुलमोहन राम: थाने में बाद में ले जाऊंगा पहले ग्राप के घर की तलाशी लूंगा यह उसने कहा था ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: जब तलाशी हो गई श्रीर लोगों ने उसको बोला कि क्यों गिरफ्तार करते हो तो "मेरा तलाशी का काम रोका था" ऐसा बोला क्या?

श्री तुलमोहन राम: तलाशी करने के लिए नहीं रोका गया। श्रगर श्राप 50-60 श्रादमियों को ले कर घर में घुसना चाहते हैं तो उसका विरोध किया गया तो मुझे पकड़वा कर वे बाहर ले गये। जब लोगों ने कहा तब हमको छोड़ दिया।

भी हेम राज: ग्रापके ये जो विरोधी हैं उनके साथ ग्रापका विरोध क्यों था?

भी तुलमोहन राम: वह ग्ररसे से विरोधी थे जीवन भर से विरोधी थे पालि-िकल विरोधी भी थे।

श्री हेम राज: उन्होंने कोई मुकदमा किया हुआ था जिससे वह उनके साथ श्राये?

श्री तुलमोहन राम : मेरे साथ मार-पीट किया था घर में घुस करके । 5, 7, 8 वर्ष पहले कालेश्वर मण्डल वगैरह मेरे यहां घुस करके मेरे चाचा वगैरह को मारे थे इसके बाद और भी उनके साथ विरोध हो गया ।

भी हेम राज: पाम्फलेट जो म्रापको दिखलाया वह पाम्पलेट किसकी तरफ से निकला था?

श्री तुलमोहन राम : वह कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से था। उसमें मेरा भी नाम था एस० एस० पी० वालों का नाम भी था। उसके निवेदक थे:

- (1) का॰ चीनीलाल (कम्मुनिस्ट पासवान पार्टी –मार्कस-वादी)
- (2) का० शेनी पासवान
- (3) का० सहदेव सादा
- (4) का० इलियास ,
- (5) का० राज जतन सिंह
- (८) का० जीवछ शर्मा,
- (7) का० लाल मोहर ,, राय
- (8) का० साथी कालेश्वर सं० सो० पासवान पार्टी।

इस पाम्पलेट में मेरा नाम भी दिया था। इसम मुख्य मागें थीं:---

- का० मिल हसन माजाद पर चल रहे
 बी० एल० केस तथा दूसरे केस वापस लो।
- 2. तमाम किसानों पर चल रहे झूठे केस को बापस लो।
- बटाईदार को बटाई जमीन पर पुलिस हस्तक्षेप बन्द करो।
- महिषी के थाना प्रभारी को मुझलल करो।
 - 5. जमीन का बटवारा जल्द करो।
 - 6. जमींदारों का जुल्म बन्द करो।

चौषरो रणधोर सिह: पुलिस ने मापके खिलाफ जो केस चलाया वह उसके बाद चलाया जब मापने मर्जी दी। मापने 29 तारीख को मर्जी दी स्पीकर को।

भो तुलनोहन राम : वह भी एफ० म्राई० मार० में 29 दिखलाते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह: पुलिस ने जो केस बनाया है उस वक्त वह ग्रापको नुक्सान पहुंचाने के लिए किया गया है?

भी तुलमोहन राम: जी हां।

MR. CHAIRMAN: This thing was alleged to have happened on 28th November, but you gave notice for Privilege on the 16th December. There is a long gap. Please explain.

श्री तुसमोहन राम: जो वारदात हुई वह पुलिस और जो हमारे विरोधी लोग थे नह भो हमारे बाल बच्चों के साथ बहुत देर के सख्ती कर रहे थे तो मैं भी नरवस हो गया। इस सिचुएशन को बड़े-बड़े आदिनियों को जाकर मैंने कहा कि इस तरह की बात हो रही है। जब मुझे फुरसत मिली तब मैं पालियामेंट धाया।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इंसिडट होने के बाद जिस दिन ग्राप दिल्ली ग्राये उसी दिन ग्रापने यह रिपोट दी ?

भी तुलमोहन राम : जी पालियामेंट सेशन में दा।

MR. CHAIRMAN: The District Magistrate, sent an information that he was arrested on 10th January. The instance happened on the 28th November and sent notice of privileges on 16th December and the arrest was on 10th January. Could you explain why?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: दिल्ली में ग्राप कब तक रहे 16 तारीख़ से? 16 तारीख़ को ग्रापने यहां कम्प्लेन्ट किया । 16 दिसम्बर से 10 जनवरी के बीच में ग्राप कहां थे? घर पर भी जाते थे?

श्री तुलनोहन राम : इस बीच मैं यहां भी ग्राया ग्रीर थाने पर भी गया हूं।

भी सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी: 16 दिसम्बर ग्रौर 10 जनवरी में कई दफे ग्राप थाने भी गये ग्रौर कभी ग्रापको ग्ररेस्ट करने की बात नहीं कही गई।

श्री तुलमोहन राम : वहां पर मैं कई दफा गया लेकिन कभी नहीं कहा गया।

श्रो सुरेन्द्रनाथ द्विवेदो : ग्रापको 10 तारीख को गिरफ्तार किया था ? श्री तुलमोहन राम : मैं 10 तारीख को इंस्पेक्टर के पास खुद गया था। उन्होंने कहा कि ऐपा-ऐसा केस है ग्रीर उस में बेल ले लीजिए।

श्री नि षं० षटणीं : पुलिस इंस्पेक्टर चिन्द्रका प्रसाद का जो केस है जो कि एफ० प्राई० ग्रार० में दर्ज है वह यह है कि मैं तुलमोहन राम एम० पी० ग्रीर उनके भाई हिर मोहन राम से मिला ग्रीर मेरे सवाल पूछने पर उन्होंने यह कहा कि उन्होंने ग्रली हसन को नहीं बलाया था ?

श्री तुलमोहन रामः हिरमोहन राम उस वक्त मेरे साथ नहीं था ग्रीर मैं ग्रकेला ही था।

श्री नि॰ चं॰ चटर्जो : चिन्द्रका प्रसाद ने भ्राप की बात को नहीं माना भ्रौर एफ० भ्राई० भ्रार० में यह सब लिख दिया ?

श्री तुलमोहन राम: जी हां।

श्री हेम राज: चिन्द्रका प्रसाद तो थानेदार का नाम है।

श्री तुलवोड्न राम : जी हां।

भी हेम राज : उनका यह कहना है कि यह तुमने ब्यान दिया ?

श्री तुलमोहन राम : मैंने ब्यान नहीं दिया था। जो एफ० ग्राई० ग्रार० के ग्रन्दर है उसको मैंने कोट किया है।

SHRI N. C. CHATTERJI: He practically admits the F.I.R.

भी हेम राज: एफ० म्राई० म्रार० की फूल कापी मंगाइये ?

MR. CHAIRMAN: The copy of F.I.R. is on page 762 which was given to us by Shri Tulmohan Ram.

श्री हेम राज: एक चीज यह बताइए कि जिस वक्त स्राप का केस हुन्ना उसके बाद यह चन्द्रिका प्रसाद ट्रान्स्फर हो गया ?

श्री तुलमोहन रामः तीन महीने के बाद उस का ट्रान्स्फर हुआ।

श्री हम राज: एक बात और यह बताइए कि ग्राप का यह विचार था कि सुपरिन्टडेट ग्राफ पुलिस भौर डिस्ट्रिक्ट मिलस्ट्रेट तो पुलिस की मदद करते हैं तो फिर उनके ऊपर जो भफ्सर थे जैसे कि किमश्नर उन से ग्रापने इस बारे में रिपोर्ट की ?

श्री तुलमोहन रामः यहां के बाद कोई रिपोट नहीं की ।

भो हेम राज: उससे पहले?

भी तुलमोहन राम: जी नहीं।

सभापति महोदय : थैंक यू।

श्री तुलमहिन राम: एक बात हाख़ीर में मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रपनी गिरफ्तारी के सबूत में मैं मुखिया श्रीर 10,20 दूसरे लोगों की गवाही पेश कर सकता हूं।

(The witness then withdrew)
The Committee then adjourned.

Tuesday, the 5th May, 1970.

PRESENT

Chaudhary Nitiraj Singh-Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri R. D. Bhandare
- 3. Shri N. C. Chatteriee
- 4. Shri P. Govinda Menon
- 5. Shri Raja Venkatappa Naik
- 6. Shri K. Raghuramaiah
- 7. Shri A. K. Sen.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESSES

Shri Tulmohan Ram, M.P.

Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Chousa (now) Distt. Saharsa (Bihar).

(The Committee met at 16.00 hours.)

(Further evidence of Shri Tulmohan Ram, M.P.)

सभापति महोदय : ग्रापने ग्रपनी गवाही में कहा था कि ग्रापने उसी दिन जा करके एस० पी० साहब को लिख कर रिपोर्ट दी थी। जब ग्रापकी गवाही हुई थी तो हमारे पास वह रिपोर्ट नहीं थी ग्रब वह रिपोर्ट ग्रा गई है उसकी नकल ग्रा गई है ग्राप इसको देख लीजिए।

श्री **तुलमोहन राम**ः जी देख लिया है ।

सभापति महोदयः कुँजब 28 न । म्बर को झगड़ा हुम्रा था तो कितने समय बाद म्रापने रिपोर्ट की थी।

श्री तुलमोहन राम: करीब करीब 4 बजे।

सभापति महोदय : रिपोर्ट ग्रापने उसी रात्रि में एस० पी० को की थी ?

श्री तुलमोहन राम: जबानी में उसी रात को 12 बजे किया था श्रीर 29 को लिख कर दिया था रात में ।

श्री नि० च० चटर्जी: 9-10 बजे रात को 29 को दिया थातो उस वक्त जो घटना थी वह सब बात उसमें लिख दिया था।

भी तुलमोहन राम: जी डिटेल में नहीं ग्राया। मुख्य बातें लिखा था। श्री नि० चं० चटर्जी: ग्रापने कहा कि सब इन्स्पैक्टर श्रापको बोला था कि श्रापके जैसे बहुत एम० पी० देखा है।

When I asked, "Did he say something about MPs?", you said that "he said that the said pamphlet was published by me. When I told him that I had no knowledge about it, he charged that MPs and MLAs tell lies. They (MPs) are professional liars."

सभापति महोबय: चटर्जी साहब का प्रश्न है कि पुलिस इंस्पैक्टर ने यह कहा था कि मैंने भ्रापके जैसे बहुत एम॰ पी॰ देखे हैं। यह पम्फलेट तुमने छापा है। जब भ्रापने कहा कि मुझे उसका पता नहीं है तो उसने कहा एम॰ पी॰ भीर एम॰ एल॰ ए॰ झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना उनका पेशा है।

श्री तुलमोहन राम : जी हां।

सभापति महोदय : ग्रापने जो बात बताई है जो ग्रापने रिपोर्ट एस० पी० को लिखी उसमें यह बात क्यों नहीं ग्रापने कही?

श्री तूलसोहन रामः एफ० श्राई० मार० के तौर पर मैंने रिपोर्ट दिया था। डिटेल उसमें नहीं लिखा था।

सभापति महोबय: यह तो मुख्य बात है जो ग्रापने चटर्जी साहब के प्रश्न के उत्तर में कही थी:—एम० पी० के बारे में कि "यह पम्फलेट तुमने छापा है मैंने कहा मुझे जान-कारी नहीं तो उन्होंने कहा एम० पी० ग्रौर एम० एल० ए० लोग झूठ बोलते हैं" यह बात ग्रापने इस रिपोर्ट में नहीं लिखी है। वह बात क्यों ग्रापने लिखित रिपोट में नहीं कही।

श्री तुलमोहन राम : उस समय इस तरह की परिस्थिति थी कि यह बात भी लिखनी चाहिए इस स्थिति में मैं नहीं था क्योंकि बहुत परेशानी थी हल्ला लाठी भाला लेकरके ये लोग भाये थे।

श्री ए० के० सेन: ग्रभी ग्रापने कहा कि सब इंस्पैक्टर साहब ने एम० पी० लोगों के बारे में जैसी बुरी बात कहीं। तो वह किस मौके पर कहीं?

श्री तुलमोहन राम: इस मौके पर कि जैसे उन्होंने मुझे घोड़े पर से जबरदस्ती उतार करके पम्फलेट मेरे हाथ में दिया और कहा कि जितनी भी यह धन कुटनी और लटपाट हो रही है आप करवा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा हूं। मैं दिल्ली में हूं। बंगाल में जो घटना घट रही है नक्सलवादी में जो घटना हो रही है वह मैंने करवाया है क्या? यह तो एक हवा बह रही है।

भी ए० के० सेन: सारे एम० पी० लोगों के बारे में बात उठाने के लिए क्या मौका पैदा हक्या था ?

श्री तुलमोहन राम : एक तो मैं था ग्रीर उनकी समझ में जो बात ग्राई है । उन्होंने कहा कि एम० पी० लोगों का झूठ बोलना पेशा हो गया है ।

भी ए० कें ० सेन : इसके बारे में भ्रापने किस के सामने कहा ?

श्री तुलमोहन रामः जो प्रिविलेज कमेटी में मैंने कहाथा।

सभापति महोदय : प्रिविलेज कमेटी के सिवाय किसी ग्रीर को कहा ?

श्री तुलमोहन राम : किसी को नहीं कहा। श्री द्वार डी० मण्डारे : सब इन्स्पेक्टर जो यह बोला तो किसी ने सुना है ?

श्री तुलमोहन राम : बहुत लोग वहां ये।

श्री द्वारं डी० मण्डारे : कौन-कौन लोग थे एक दो के नाम दे दीजिए ।

श्री तुलमोहन राम : विदेशवरी सिंह, श्रीपत झा, महाबीर चौधरी, सीताराम मिश्र थे।

सभापति महोवय : यह नाम भ्रापने किसी को बतलाये कि इनके सामने ये बातें कही गई हैं।

श्री तुलमीहन राम: प्रिविलेज कमेटी की जो बैठक हुई उसमें मैंने कहा कि जरूरत हो तो मैं नाम दुंगा।

सभापति महोदय : यहां पर जो म्नापने बयान दिया कि-प्रापको मकान पर ले गये श्रीर ग्रापको वहां गिरफ्तार किया । वहां मापके लडकी बेटे वगैरह थे। वहां मापने बारंट मांगा तो बोला कि वारंट मेरे पास नहीं है भ्रापकी हम सर्च करेंगे। भ्रापने कहा सर्च क्यों कीजिएगा। यह बात घापने कही। रिपोर्ट में म्नापने लिखा है कि बाद में मेरे इंकार करने तथा मेरे चाचा श्रौर सम्बन्धी के विरोध एवं हल्ला करने पर रिहा किये गये। बांध से सीधे मैं भ्रपने दरवाजे पर पहुंचा भ्रौर दरोगा जी भ्रामं फोर्स के साथ कालेश्वर मंडल के यहां गये श्रीर कालेश्वर मंडल उपरोक्त उनके दल के साथ मेरे धांगन की म्रोर बढ़ चले। इस स्थिति को देख मैंने ग्रपनी राइफल लेकर श्रांगन के गेट पर खडा हो कर उन लोगों से पूछा कि म्राप लोग क्या चाहते हैं। इस पर दारोगा ने जवाब दिया मैं भ्रापके घर की तलाशी लेना चाहता हूं। इस पर मैंने कहा बगैर तलाशी का

वारन्ट दिखाये ग्रगर मेरे श्रांगन की ग्रोर प्रवेश करने की कोशिश की तो हम सभी एक-एक कर मर जायंगे तथा ग्रांप लोगों की जिन्दगी खत्म कर दंगे। ऐसा कहने पर कालेश्वर मंडल दारोगा एवं ग्रामं फोर्स को ग्रंपने दरवाजे पर ले गये।"

श्री तुलमोहन राम : तटबन्ध ग्रीर मेरा घर एक ही है। कालेश्वर मंडल का घर मेरे घर से सटा हुग्रा है।

सभापति महोदय : म्रापकी इस रिपोर्ट से जो म्रापने एस० पी० को लिखी है ऐसा जाहिर होता है कि म्राप भ्रपने घर म्रा गये भौर वे म्राप के साथ म्राप के घर में नहीं माए।

भी तुलमोहन राम: रास्ता तो एक ही है।

सभापति महोदय: पहले पूरा सून लीजिए। ग्राप इस रिपोर्ट में कहते हैं कि "बांध से सीधे ग्रपने दरवाजे पर पहुंचे ग्रीर दरोगा जी धार्म फार्स के साथ कालेश्वर मंडल के यहां गये भ्रौर कालेश्वर मंडल उपरोक्त उनके दल के साथ मेरे आंगन की झोर बढ चले। इस स्थिति को देख मैंने भ्रपनी राय-फल लेकर ग्रांगन की गेट पर खडे हो कर उन लोग्नों से पूछा कि म्राप लोग क्या करना चाहते हैं। इस पर दारोगा जी ने जवाब दिया मैं ग्रापके घर की तलाशी लेना चाहता हं। इसपरमैंने कहा बगैर तलाशी का वारन्ट दिखाये भ्रगर मेरे भ्रांगन की भ्रोर प्रवेश करने की कोशिश की तो हम सभी लोग एक-एक कर मर जाएंगे तथा भ्राप लोगों की भी जिन्दगी खत्म कर देंगे मगर यहां पर जो भ्राप की गवाही हुई है उसमें भ्रापने यह कहा है कि वे सब भ्राप को घर लाए ग्रौर चाचा के हस्तक्षेप करने पर ग्राप को रिहा कर दिया ?

भी तुलमोहन राम: तटबन्ध ग्रीर मेरे घर की दूरी मुश्किल से 10 कदम की हैं ग्रीर मेरा घर कालेश्वर मंडल के घर से मरा हुआ हैं।

म्राप यह पैम्फलेट देखिए?

भी भार० डी० भण्डारे: वह ठीक है उस को हमने देखा है। उसने भार का नाम है लेकिन भारक सिगनेचर नहीं हैं?

सभापति महंदय: उसकी एक कापी हमारे पास है ?

SHRI N. C. CHATTERJEE: Shri Hem Raj asked you (in your earlier evidence before the committee) "Please tell us the abusive words spoken by him", and you said: "Even Chamans Dusad boast of being MPs when they become MPs. I have seen many MPs like you and to tell a lie has become the profession of MPs".

उन्होंने कहा था कि झूठ बोलना एम० पीज० का पेशा है ?

श्री तुलमोहन राम: जी हां।

भी ए० के० सेन: भ्रापने एस० पी० को शिकायत भेजी थी उस में यह सारा ब्यौरा नहीं दिया था?

भा तुलमोहन रामः जी नहीं।

सभापति महोदय: ग्रापने जो "ग्रप-शब्द" शब्द का प्रयोग किया था उसका उद्देश्य यही था।

भी त्समोहन राम: जी हां।

श्री चार० डी० भव्डारे: श्रपशब्द जो उन्होने कहे वे यही थे कि "चमार दुशाध भी एम० पी० बन कर एम० पी० की शान दिखाते हैं। ग्राप जैसे बहुत से एम० पी० को देखा है भीर एम० पी० का झूठ बोलना पेशा हो गया है।" भ्राप का भ्रपशब्द से मतलब इन्हीं से है?

भो तुलमोहन राम: जी हां।

सभापति महोदय: धन्यवाद । प्रगर जरूरत हुई तो प्राप को फिर बला लेंगे।

(The witness then withdrew)

(Evidence of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police)

MR. CHAIRMAN: Please take the

(The witness then took oath)

MR. CHAIRMAN: Your name,

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Chandrika Prasad.

MR. CHAIRMAN: Where were you posted on 28th November, 1969.

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Mahishi Police Station in Saharsa district.

MR. CHAIRMAN: Are you still there or you have been transferred from there?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No. sir, I have been transferred to Chausa Police Station in the same district.

MR. CHAIRMAN: You know Shri Tulmohan Ram, Member of Parliament?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Yes, Sir.

MR CHAIRMAN: Was there any dispute about some land on which some crop was standing and some people had gone to reap the crop and you had gone along with some people to reap that crop?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: On that date, on 28th of November, 1969 I was crossing Kosi river about 5 miles away from Sarauni village, where the land exists.

28 नवम्बर 1969 को कुमहारा गांव में जब हम थे तो वहीं पर हमकों मालूम हुमा कि मली हसन जो कि बहुत बड़ा किमिनल है भीर जिसकी तलाश चार-बांच केसेज में जारी थी सरौनी गांव में तुल मोहन राम के इनविटेशन पर रिसीवर की गैरहाजरी में फसल काटने के लिए गया है ।

receiver on that dav was away from the village. When I came near the river about 25-30 yards, west of eastern embankment, and west of village Sarauni, I met Shri Tulmohan Ram on the way, Sir, and very respectfully I wanted to know from him about Ali Hasan, who was wanted in a series of cases against him and who had been called at his invitation for getting the paddy crop (attached under section 145, criminal procedure code), harvested on his behalf. The very question put to him by me made him furious, and he started speaking to me ill things. By that time, your Honour, I came to eastern embankment, west of Sarauni village, where he abused me right and left in most filthy language. On the eastern embankment. I also told him that this man, Ali Hasan, was concealed and is taking shelter in his house. That made him to abuse. I. of course, told him that I want to see and search his house for Ali Hasan, who has been responsible for so many cases in the Ilaga. He was also with his brother Harimohan Ram. Both of them then went to his house. As the straight way was muddy, we had to take some round abouts. I took some responsible persons of the village with me.

MR. CHAIRMAN: Can you give their names?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: May I see my file?

MR, CHAIRMAN: You just tell us from your memory.

SHRI CHANDRIKA PRASAD. Kaleswar Mandal, Dipnarain and few others. I requested them to accompany me because I wanted to search the house of Shri Tulmohan Ram for the arrest of Ali Hasan who has been responsible for so many cases. They all accompanied me and we all proceeded toward his house. we reached near his house, say 40-50 yards away, we saw, Tulmohan Ram, his brother, Harimohan Ram. uncle, Kewal Ram, having fire-arms with them, and about 15-20 others, all with deadly weapons. They were aiming rifles or guns upon the police party and me, Sir. They gave me a strong warning not to proceed ahead and that if we proceeded ahead, they will kill us. Naturally, Sir, we had to halt at this warning and we saw that criminal coming out and he was made to escape upon a pony. Hasan is a veteran dacoit and is wanted in a series of cases. He has been convicted also in a case of dacoity.

MR. CHAIRMAN: Was Shri Tul-mohan Ram riding a horse?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Yes, Sir. He was on a horse. His brother was also on a horse.

MR. CHAIRMAN: Did you ask Shri Tulmohan Ram to get down from the horse?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No, why should I ask him to get down. When we reached their house, they and others had fire-arms, deadly weapons, arrows. bhallas. They stood at the door and gave us a warning and said that they would not allow the search, because I was not in possession of search warrant. In the meantime Ali Hasan was allowed to escape on a pony.

It was about 4.30 p.m. at that time. I drew up my statement in the village, concluding it at about 7.00 p.m. Next morning I came to

Thana, which is 7-8 miles from Sarauni. There I drew up the formal F.I.R. and sent copies to all concerned and requested S.P. and other officers that this case may be given to some other officer to investigate. Sir, the Circle Officer investigated this case and S.P. controlled that. The case ended in charge-sheet against Tulmohan Ram and eighteen others,

SHRI N. C. CHATTERJEE: Did you arrest, Mr. Tulmohan Ram?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Not at all. When the question of his arrest came, he took fire-arms. The situation would have taken a bad turn, had I not acted with restraint.

MR. CHAIRMAN: Are the houses of Kaleshwar Mandal and Tulmohan Ram adjoining each other in the village?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: The house of Kaleshwar Mandal is about 100-150 yds, towards east from the house of Tulmohan Ram.

MR. CHAIRMAN: Is there any vacant space between the two houses?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: There are so many houses between the house of Kaleshwar Mandal and Shri Tulmohan Ram.

MR. CHAIRMAN: Have you brought the F.I.R.?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: You have described Mr. Tulmohan Ram in a very casual way not showing him due dignity. When you came to Kaleshwar Mandal, you describe him as "Shri Kalesar Mandal." You did not use any respectable word in the case of Mr. Tulmohan Ram.

SHRI CHANDRIKA PRASAD: It is a practice in our department that we do not use 'Shri' or 'Mr.' for accused persons. I have not seen any police officer doing that, Sir. It is not a mala fide. Sir.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Shri Tulmohan Ram has said that he was coming on horse from Saharsa Station and you saw him there. He saw a large number of policemen with lathis. Did you see him coming from Saharsa?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No., Sir.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Mr. Tulmohan Ram has said, "Sub-Inspector himself was holding a revolver in his hand." Is it correct?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No, Sir.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Shri Tulmohan Ram said, "Darogaji such an incident is taking place in your presence. You are getting the field reaped and looted which is not good." Did he say that you are getting the crop looted?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No. Sir.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Did you say that you get down from the horse and then handed over a pamphlet to him and said that this was the result of bringing out such a pamphlet?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Did you drag Tulmohan Ram down?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No, Sir.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Did the Constable order him to get down?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No. Sir.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Thereafter you started abusing him and said certain things derogatory?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: I can take a vow in a temple if I am a Hindu that he abused me and used so many filthy things which a man cannot pronounce. He abused not less than 1000 times.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Did you tell him that the pamphlet was published by him?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: I had no knowledge till that date that that pamphlet had been published.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Did you tell that M.Ps. tell a lie? Is it a fact?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No, Sir.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Did you say that some M.Ps. tell a lie?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No Sir. There was no talk regarding this.

SHRI N. C. CHATTERJEE: You also told him that you had seen many such M.Ps. Chamars and Dusads who boast of being M.Ps.

SHRI CHANDRIKA PRASAD: It is not a fact. Sir.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Did you say that the M.Ps. and M.L.As. are professional liars?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No, Sir.

SHRI N. C. CHATTERJEE: Did you put a rope round his waist?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Sir, your Honour, not at all.

मोर देन ए सुप्रीम कोर्ट में हम बैठे हुए हैं भौर मैं कहता हं कि ऐसा कभी नहीं हमा।

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: When did you meet this geritleman? What was the time when you saw Shri Tulmohan Ram coming towards you?

श्री विक्रिकाप्रसाद: पोने चार वजे केकरीव।

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: From where was he coming on that day?

श्री चित्रकाप्रसादः वेग्नपनेघरसे ग्रारहेवे?

भी राजा वंकटण्या नायकः कैसे ग्रा रहे थे ?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: He was on his horse.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: His brother was also seen with him. Is it so?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Yes, Sir.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: What did you tell him when you met him?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: I talked to him in a most respectful manner asking him the whereabouts of Ali Hasan. I made it clear that this man Ali Hasan was wanted in a series of cases of loot of paddy, within two or three days, five cases of paddy were reported in which Ali Hasan and others were named accused.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: When you met him for the first time, how far was your place of meeting him from Shri Tulmohan Ram's house?

श्री चिन्त्रका प्रसाद : 100 या 150 गज पर।

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: Was he near his paddy fields?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No. Sir.

वह गांव को जाने का रास्ता है। जो पूर्वी बांघ से पश्चिम में है।

That is a passage in the field.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: Did you ask him to accompany you to his house?

श्री चित्रका प्रसाद: जहां मेरी उनसे भेंट हुई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या धापने धली हसन को जो एटेच्ड लैंड हारवेस्टिंग के लिए बुलाया था? इस पर दोनों भाइयों ने कहा कि हम क्यों बुलाएंगे।

But I got definite information that this Ali Hasan has been concealing himself at that time in his (Shri Tulmohan Ram's) house.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: Who gave you this information?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: My spy gave this information. When I crossed the river that fellow went away from paddy fields to the house of Shri Tulmohan Ram.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: When you went there did you see Ali Hasan going to the house of Shri Tulmohan Ram?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: He went away from paddy fields to the house of Shri Tulmohan Ram.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: So, you saw that he ran away from the paddy field. Who informed you that he was in Tulmohan Ram's house?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: My spy informed me when the police crossed Kosi River that that fellow ran on a horse to the house of Shri Tulmohan Ram and he was taking shelter in his house. Therefore, I had to talk to him in a respectful manner.

SHRI RAJA VENKATAPPA NAIK: You told us that your spy told you that he was in the house of Shri Tulmohan Ram. Now you say that you actually saw him before going to his house as you said that you saw him running away to the house of Shri Tulmohan Ram.

श्री चिन्निका प्रसाद: जब हम लोगों ने रिवर कोस किया तब उसे मालूम हो गया कि पुलिस पार्टी प्रा रही है तब वे खेत से हो कर तुलमोहन राम बाबू के घर चला गया। जब हमें पता चल गया कि यहां खेत से वह डाइरेक्ट घर चला गया है तब मैंने इनसे कहा कि वह भादमी भापके घर में है भौर भाप तो बड़े श्रादमी हैं एम० पी० हैं भली हसन को हमारे हवाले कर वें।

श्री राजा वेंकटण्या नायक : आप श्री तुल मोहन राम के साथ घर पर पहुंचे ?

भी चित्रका प्रसादः हमारे साथ नहीं गये। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ चिलए ग्राप घर के मालिक हैं। लेकिन वे हमारे साथ नहीं गये श्रौर शार्ट कट से जहां पानी भ्रौर कीचड़ थी उस रास्ते से चले गये। हम लोगों को टर्न ले कर जाना पड़ा। जब हम वहां पहुंचे तो दोनों भाई तथा इनके चाचा राइफल भ्रौर गन लिए aiming position में खड़े हुए थे भ्रौर दूसरे लोग तीर भाला धनुष लिए थे। इन लोगों ने हम को वानिंग दी कि ग्रगर हम ग्रागे बढ़े तो फायर कर देंगे भ्रौर उसी समय भ्रली हसन घर से निकल भागा।

श्री सभापति महोदय: ग्रली हसन को ग्रापने घर से निकलते देखा तो उसको क्या ग्रापने चेज किया ?

श्री चित्रका प्रसाद : रोड के फ़ंट से हम लोगों को निकलना था जहां दक्षिण की तरफ रास्ता जाम था इसलिए हम लोग जस्दी पीछा नहीं कर संके।

सभापति सहोदयः प्रापके पास ग्रादमी थे तो ग्रापने उसको चेज करने की कोशिश की ? श्री चिन्त्रिका प्रसाद : कोशिश की लेकिन चूंकि रास्ता जाम था वहां पर मौव इकट्ठा था तो हमको रास्ता नहीं मिला जिधर से मली हसन भागा। हमको जाने के लिए 200-300 गज का टर्न लेना पड़ा।

He went by a very swift horse. We had to move about, but to no purpose.

श्री राजा वैंकटप्पा नायक: ग्रभी ग्रापने वहा कि जब तुलमोहन राम ग्रापसे मिले तो उन्होंने ग्रापको खूब गालियां दीं। क्या गालियां दीं।

श्री चित्रका प्रसाद : उन्होंने इतनी भद्दी गालियां दं कि उनको प्रोनांउंस एक भला श्रादमी नहीं कर सकता है । यदि हुक्म हो तो करूं।

श्री राजा वंकटप्पा नायक : भ्रापके उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा ?

भी चन्द्रिका प्रसाद : हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा ।

No bad behaviour.

श्री वंकटण्या नायक : म्रापने उनको अरेस्ट करने की धमकी दी ?

भी चित्रका प्रसाद: नो सर Not at all एक चीज ग्रीर ग्रर्ज करना चाहता हूं। इन्होंने यह इल्जाम लगाया कि हमने इनको ग्ररेस्ट किया खेत में। हुजूर के यहां पर इन्होंने लिख कर दिया कि हमको ग्ररेस्ट किया हमारे डोर पर।

SHRI N. C. CHATTERJEE: You tied a rope round the walst of Tulmohan Ram and then took him to his house?

श्री चित्रिका प्रसाद : बिहार सरकार को दिसम्बर महीने में जो कागज गया 3—564 LS.

उसमें लिखा है कि दरोगा ने हमको ग्ररैस्ट किया उसके दरवाजे पर । लेकिन जो एस० पी० को लिखा है उसमें लिखा है कि खेत पर ग्ररेस्ट किया । इनके जो भाई हैं उन्होंने कोर्ट में कंप्लेंट किया है कि दरोगा ने उनका दो बीचे जमीन कटवा ली है । कोई bad behaviour towards Shri Tulmohan Ram के बारे में नहीं बोलें हैं ।

श्री राजा वंकटप्पा नायक : श्रापका यह कहना है कि श्राप ने किसी वक्त उनको धमकी नहीं दी ।

श्री चित्रका प्रसाद : Not at all. उनके भाई ने S.D.O., Saharsa के पास कंप्लेंट किया है जिसमें उन्होंने यह नहीं कहा है कि कोई इलट्रीटमेंट किया मैंने इनके साथ।

सभापति महोदय: जहां पर यह घटना हुई तो वहां पर भौर भी भादमी होंगे । वहां पर विन्देश्वरी मंडल कालेश्वर मंडल भादि कई भादमी थे। क्या भाप बता सकते हैं कि वहां पर कौन कौन से भादमी थे?

श्री चिन्त्रका प्रसाद : जो नाम पढ़ रहे हैं वह हमको याद नहीं पड़ रहा है। वहां पर भादमी बहुत से थे।

सभापति महोदय : एफ०माई० मार० में ग्रापने जो चालान किया जो उसमें दर्ज है यह क्या उसकी कापी है ?

<mark>भी चन्द्रिकाप्रसाद</mark>ः जीहां।

श्री नि० चं० चटर्जी: प्रापने कभी उनको प्ररैस्ट नहीं किया ग्रौर गाली-गलीज नहीं किया ?

भी चन्द्रिक। प्रसाद: कभी नहीं।

भी नि० पं॰ पटर्जी: मापने मभी बोला था कि चमार दुशाध भी एम० पी० होने की धौंस जमाते हैं । मैंने माप जैसे बहुत से एम० पं० देखे हैं । एम० पी० झूठ बोलते हैं ।

श्री चित्रका प्रसाद : जो नहीं, यह कभी नहीं हो सकता है।

I have got very very high regard for them, Sir.

संभापति महीदयं : तुलं मोहन राम के लिये श्रापने 'श्री' का उपयोग नहीं किया है श्रीर कालेक्वर मंडल के श्रागे श्रापने 'श्री' का उपयोग नयों किया है।

श्री चरित्रका प्रसाद : हम लोगी के यहां ग्रक्यूजड के पीछे 'श्री' नहीं लिखते हैं ऐसा हमने कभी नहीं देखा है।

संभाषितं महीवयं : ऐसी वात होती तो कार्लिश्वर मंडलं के पहुँले 'श्री' नहीं होता।

श्री चिन्निका प्रसाद : हम लीगीं ने ऐसा नहीं देखा। मुद्दालय के लोगश्री नहीं लिखति हैं।

श्री **प्रार० डी० भ डारे** : स्पाई का नाम क्या है ?

श्री खेन्द्रिको प्रसीव : ठनक सिंघ ।

भी सार० डी० भण्डारे : कितनी उभ्र है ?

भी चंत्रिकी प्रसार : 22-24 साल होगी ।

श्री ग्रार० डी० भण्ड।रे: श्रापने उसका नाम लिखा है रिपीर्ट में ?

श्री चित्रका प्रसाद : हम लोग लिखते

नहीं हैं नाम मेंशन नहीं करते हैं। We never mention the name of the spy in FIR or Diary.

सभावति महोदय : By the way has that man been arrested?

श्री चित्रका प्रसाद : Yes Sir, he is still in Jail custody.

सभावति महेरयः

How long after this?

भी चन्त्रिका प्रसादः

Soon after this. He is surrendered himself.

MR. CHAIRMAN: What date?

श्री चित्रका प्रसाद : 15-12-69 को जब मैंने उसके घर का जपती कुर्की कर लिया। उसके दो गांव हैं। बहुरबा में उसका घर है ग्रीर जलयपुनर्वास में भी वह रहता है।

श्री श्रार० डी० भण्डारे : कालेश्वर मंडल लक्ष्मी मंडल दीप नारायण मंडल का कैसा नाता है तुलमोहन के साथ ?

श्री चित्रका प्रकाद : हम नहीं जानते। श्री तुलमोहन राम ने इधर जवानी कंप्लेंट किवा है जातिवाद को लेकर एस० पी० के यहां जैसा कि मैंने इधर सूना है।

MR. CHAIRMAN: In the same Police Station?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Yes, Sir.

श्री झार० डी० भण्डारे: तुलमोहन राम जी नें इन लोगों के खिलाफ कोई कम्पलेंट की है क्या झाप को इसके बारे में पता है ?

श्री चिन्न का प्रसाद : हमारे यहां रिकार्डेड नहीं है। हमारे यहां कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। श्री सार० डी० अव्हारे : यह प्राप को पता है कि कम्पलैंट किया था ?

श्री चिन्त्रका प्रसाद: इधर सुना गया है कि कम्प्लैंट की है।

श्री द्यार० डी० भण्डारे : यह जो झली हसन भागा इसका पीछा द्यापने किया ? कितनी दूर तक ग्राप ने इसका पीछा किया ?

श्री चिक्तिका प्रसाद : वह बहुत दूर निकल गया था ।

SHRI R. D. BHANDARE: The question is very simple and be to the point whether you had chased or you did not chase him.

मैं यह जानना चाहता हूं कि म्रापने उसका पीछा किया या नहीं ?

श्री चित्रका प्रसाद : हमने ग्रौर हमारी फोसे ने पीछा किया। hardly 100 yards till Bandh नार्थवर्ड जाम हो गया था इसलिए ग्रागे नहीं जा सके ग्रौर वह बहुत दूर निकल गया था।

सभापति महोदय ग्रापने कितनी दूर से भागते देखा ?

श्री चन्द्रिका प्रसाद : 50 गज।

MR. CHAIRMAN: He was 50 yards away and you were wanting to arrest him since how long?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Since end of November.

MR. CHAIRMAN: Sometimes before that date.

SHRI CHANDRIKA PRASAD:
He was wanted in 5 loot cases and
labo several warrants of arrest issued
from court were pending.

MR. CHAIRMAN: You wanted to arrest that man. You saw that man 50

yards away and yet you did not chase him.

SHRI CHANDRIKA PRASAD: We tried but we got obstruction by Shri Tulmohan Ram and others at the point of three fire-arms and other deadly weapons. Therefore, we had no way.

SHRI R. D. BHANDARE: The question is: did you chase him or not?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: We chased him but hardly 100 yards and that too not in the straight way. The straight way was jammed because many people were standing there, 3 of whom had fire-arms and the rest others deadly weapons.

SHRI R. D. BHANDARE: Since you saw arms in the hands of 3 persons you were afraid to chase, move from the place?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No, Sir.

उस रास्ते से बह श्रोर ज्यादा तेज नहीं हो सकता था क्योंकि जिस रास्ते से बह गया वह जाम हो गया था श्रौर वहां लोग बन्दूक लिये थे। उस रास्ते से श्रगर जाते तो फायर होता। उसमें या तो हम मरते या किसी को मारते। इसलिए बह भागने में सक्त हुआ। टर्न लेकर जब इस बांध की तरफ गये तो वह बहुत दूर निकल चुका था श्रौर उसका पकड़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह घोड़े पर गया था।

भी मार० डी० भडारे: घोड़ा कहां लाया ?

श्री चिन्द्रका प्रसाद : उन का ग्रपना है (तुम मोहन राम जी का है) ।

SHRI R. D. BHANDARE: You had seen that horse?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: Yes, Sir.

भी नि॰ यं॰ चटर्जी: वह घोड़े पर या भीर उस पर वह भागा ? श्री चिन्द्रिका प्रसाव: जी हां। वह उस इलाके का बहुत बढ़िया घोड़ा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि भीर वह रिसी-वर के बारे में है जो उस जमीन के लिए एपाइन्ट हमा है।

MR. CHAIRMAN: We are not concerned with your "receiver" business.

SHRI CHANDRIKA PRASAD: For information only, Sir.

उन्होने भी क-पलैट फ ईन की है

MR. CHAIRMAN: That is a different matter. We are not concerned with you case in the court of law. You can go.

(The witness then withdrew)

The Committee then adjourned.

Saturday the 25th July, 1970

PRESENT

Shri N. C. Chatterjee-In the Chair.

MEMBERS

- 2. Shri R. D. Bhandare
- 3. Shri C. M. Kedaria
- 4. Shri V. Mayavan
- 5. Shri P. G. Sen
- 6. Shri Yajna Datt Sharma
- 7. Shri R. K. Sinha.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur—Under Secretary.

WITNESSES

- 1. Shri U. Sharma, Superintendent of Police, Saharsa (Bihar).
- 2. Shri Jugal Kishore Jha, Secretary, Harijan Sevak Sangh, Saharsa (Bihar).
- 3. Shri Bahadur Thakur, President, District Panchayat Parishad, Saharsa (Bihar).

EVIDENCE OF SHRI U. SHARMA, SUPERINTENDENT OF POLICE, SAHARSA (BIHAR)

MR. CHAIRMAN: The first item on the agenda is the witness of Sri Tulmohan Ram. But I had called for a map as without it, it would be very

difficult to follow. So, I am suggesting that we may call the Superintendent of police first.

(The witness Superintendent of Police , was then called in)

MR. CHAIRMAN: You may take the oath.

SHRI, U. SHARMA: I swear in the name of God that the evidence I shall give in this shall be the truth, that I will conceal nothing and that no part of my evidence shall be false.

MR. CHAIRMAN: Have you prepared this may or caused this may to be prepared?

SHRI U. SHARMA: This may was prepared by 'Amin' under the supervision of the Investigating Officer.

MR. CHAIRMAN: Who is the Investigating Officer?

SHRI U. SHARMA: The Inspector of Police.

MR. CHAIRMAN: What is his name?

SHRI U. SHARMA: B. N. Chawbey.

CHAIRMAN: The house of MR. Shri Tul Mohan Ram has been marked in red ink-the numbers being 1385. 1392 and 43. The point where Shri Chandrika Prasad and Shri Tul Mohan Ram met is shown in ink. Point 'C' is the place where both Shri Tul Mohan Ram and Shri Chandrika Prasad came together for going to the House of Shri Tul Mohan Ram. The distance from point 'C' to point 'D' is 960 ft. The police followed the route which takes a distance of 960 feet. The other route is a little shorter-cut which makes it as 885 feet. The point 'C' to point D' is 885 feet. But Kaleswar Mandal's house is not located here.

SHRI R. K. SINHA: Now my first question is this. What is the shortest route from the police station to the house of Shri Tul Mohan Ram? My second question is this. What was the Police Sub-Inspector doing that day? Was there any morning programme before he went to the house of Shri Tul Mohan Ram? At what stage did he get the information when he went to search his house? If he had got information one hour earlier, on what basis did he search anybody's house? Was it just on the basis of an ordinary information? Or was this going to house etc., cooked upon? These are my three questions.

SHRI U. SHARMA: Route from the police station (Mahishi) to village Sarauni is a long circuitous route. By a vehicle through a road that is going from Mahishi to Supaul the road is 26 miles. From there through the embankment the distance is about 13 to 20 miles. In that case the sub-Inspector would have come from north to south. In the map that can be seen He would have travelled from north to south to reach the village Sarauni. But, the sub-inspector was not at his police station on that day. He was camping in a village in the interiornearabout the western embankmentthe village kumhara, as one of the hon. Member suggested. The villages Kumhara, Jalayay and other villages are nearabout the western embankment. Therefore he was trying to chase and catch Ali Hassan who was wanted in some five or six cases of loot and dacoity.

SHRI R. K. SINHA: Did he go there on suspicion?

SHRI R. D. BHANDARE: At that time he was camping at Kumhara.

SHRI R. K. SINHA: You have just said that an hour or so before he searched the house he got the information that Shri Ali Hassan was hiding in Shri Tul Mohan Ram's house. Is it true?

SHRI U. SHARMA: I cannot say at what stage he got that information because that question must have been asked to the sub-inspector.

SHRI R. K. SINHA: It is very important. At what stage did he get the information. Had he any warrant to search a citizen or M.P.?

SHRI R. D. BHANDARE: This question can b_e asked from the witnesses.

SHRI V. MAYAVAN: The witnesses say that they are able to contact the mandal people. But the mandal's house is not located in the map. Were there any other people other than the mandal to be contacted as witnesses?

SHRI U. SHARMA: Well, I cannot say.

SHRI V. MAYAVAN: In the map mandal's house is not shown at all. Was there any reason behind it for not locating it?

SHRI U. SHARMA: I could not possibly consider that Kaleswar Mandal's house was very important to be shown. But I can say—I have said this before—that I visited the house of Shri Tul Mohan Ram and I saw the house of other people in the village. So, I can say that the house of Kaleswar Mandal is on the southern side of the village. That is what I was pointing out.

SHRI R. K. SINHA: How far is Shri Tulmohan Ram's house from there?

SHRI U. SHARMA: Just about fifty yards.

SHRI V. MAYAVAN: Are there other houses?

SHRI U. SHARMA: There are houses.

SHRI V. MAYAVAN: Then where is the need for leaving out the house of Mandal?

MR. CHAIRMAN: Is Mandal a headman of the village?

SHRI U. SHARMA: Kaleswar Mandal is a Mukhiya of the village—the headman of the village.

SHRI V. MAYAVAN: Kindly tel: the Committee fine distance between Saharsa and Kumhara?

SHRI U. SHARMA: As I said no communication exists. It is all a foot-path.

SHRI R. D. BHANDARE: What is the distance between these two?

SHRI U. SHARMA: From Mahishi to Kumhara there is no road as such but only footpath is there and the distance would be about 25 to 30 miles.

SHRI R. D. BHANDARE: Did he go over there on horseback or in a jeep or on foot?

SHRI U. SHARMA: If the officer has got the horse, he goes on the horse. A sub-inspector is not supposed to possess a jeep. So there is no question of his going by a jeep. He can go by jeep if, luckily or fortunately for him, one is going in the same direction.

SHRI R. D. BHANDARE: What is the distance between Saharsh and....

SHRI U. SHARMA: 26 miles. One has to cross the river.

SHRI R. D. BHANDARE: To your knowledge, are you aware that Tulmohan Ram had raised a complaint against the Sub-Inspector Chandrika Prasad before the incident?

SHRI U. SHARMA: Once before this incident, Shri Tulmohan Ram had seen me in my office and he made certain allegations against the sub-inspector. I had requested him to kindly record his complaint in writing and give that to me so that it could form the basis for taking action. For some reason or the other, Shri Tulmohan Ram did not like to give that in writing.

SHRI R. D. BHANDARE: When did that happen?

SHRI U. SHARMA: I cannot exactly say, but it was some time before that.

SHRI R. D. BHANDARE: Have you any idea whether there was any quarrel between Tulmohan Ram and Kaleswar Mandal?

SHRI U. SHARMA: So far as I am concerned, I learnt only after this incident took place that Shri Kaleshwar Mandal and Thri Tulmohan Ram were not pulling on well. Before that I had no knowledge about that

SHRI R. D. BHANDARE: Did you know that there was any court case between them over some disputed land?

SHRI U. SHARMA: I learnt after the incident took place that they had some differences. श्री ग्रार० के० सिन्हा: कितने दिनों से इन लोगों में झगड़ा था? यह जो बाद में ग्राप को खबर मिली उसके लिहाज से कितने दिन से यह झगड़ा चल रहा था?

श्री उपेन्द्र झर्चा: पहले यह दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे दोनों की खेती साथ हुग्रा करती थी। समय नहीं बतला सकता कि कब की बात है। लेकिन उसी जमीन को लेकर दोनों में हाल ही में झगड़ा हो गया। मैं ठीक समय नहीं बता सकता।

श्री आरं कि सिन्हा : इस इवेंट के कितने दिन पहले एक दो महीने पहले ?

श्री उपेश्व कार्माः मैं नहीं कह सकता। जब तक समय का अन्दाज न हो तब तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं कर सकता।

भी भार के कि हा: लेकिन कुछ दित पहुले से था?

श्री उपेन्न क्षत्रर्भः जीहां कुछ दिन पहले से था।

SHRI R. D. BHANDARE: Kindly look at page 893—your statement; "I do not agree with Shri Kuar that Shri Kaleshwar Mandal is as respectable person as Shri Kuar has tried to paint him....." Is it your statement?

SHRI U. SHARMA: Yes.

SHRI C. M. KEDARIA: The witness of Shri Chandrika Prasad has mentioned that the man was running away from Shri Tulmohan Ram's place and there was hardly a distance of about 50 yards. Will you please show from the map by which road he went away?

SHRI U. SHARMA: From the house of Shri Tulmohan Ram, you can see to the west. He was going to the west in the direction of his village as the Sub-Inspector has stated.

SHRI C. M. KEDARIA: In view of the distance between Chandrika Prasad's and Tulmohan Ram's house, why could they not arrest that man, Ali Hassan?

SHRI U. SHARMA: Because, from the place where the sub-inspector was, it was not possible for him to run and get Ali Hassan.

SHRI C. M. KEDARIA: While going to search Mr. Tulmohan Ram's house, had Mr. Chandrika Prasad got a warrant for the search of the house?

SHRI U. SHARMA: He bad a warrant of arrest against Ali Hassan.

SHRI C. M. KEDARIA: But not the search warrant of the house?

SHRI U. SHARMA: No search warrant for the house of Shri Tulmahan Ram.

SHRI C. M. KEDARIA: Were there no orders for the arrest of Shri Tul-mohan Ram?

SHRI U. SHARMA: No orders. He was not wanted and there was no idea of armesting Shri Tulmohan Ram.

SHRI C. M. KEDARIA: Was there an idea of searching his house?

SHRI U. SHARMA: There was.

SHRI C. M. KEDARIA: Without the search warrant? Is it legal?

SHRI U. SHARMA: Yes. That is legal. When a proclaimed offender has taken shelter somewhere, you have allowed us to search that house in order to arrest the man.

SHRI P. G. SEN: Is it a thickly populated area?

SHRI U. SHARMA: Yes. There are two or three mohallas in between. But that is a thickly populated place.

SHRI P. G. SEN: How many houses exist between Tulmohan Ram's House and Kaleshwar Mandal?

SHRI U. SHARMA: About 40 to 50 houses.

SHRI P. G. SEN: If it is a fact that Kaleshwar Mandal was the man who had looted the crops?

SHRI R. D. BHANDARE: The matter was referred to the Superintendent of Police and that Receiver had been appointed. Before his appointment whether Kaleshwar Mandal had looted the crops of Shri Tulmohan Ram?

SHRI U. SHARMA: I do not remember.

MR. CHAIRMAN: Whether there are disputes between Tulmohan Ram and Kaleshwar Mandal? Chandrika Prasad?

SHRI U. SHARMA: There is one police case reg. obstruction of a public servant in the lawful discharge of his duties and charge sheet has been submitted and the case is pending in the court. It is sub-judice. Shri Tulmohan Ram and others have been charge sheeted.

There is another case. It is a complaint case filed directly to the court by the brother of Shri Tulmohan Ram. In that case Shri Chandrika Prasad is an accused. But there is no reference to any incident with Shri Tulmohan Ram.

SHRI R. D. BHANDARE: Whether there is any case pending or not?

SHRI U. SHARMA: Yes.

SHRI P. G. SEN: Could you ascertain where the looted paddy was taken away? Whether that was looted by this party or that?

SHRI U. SHARMA: We tried to find out but we could not recover that. So, we could not say exactly who could be the person who had harvested and looted it.

SHRI P. G. SEN: Could you not find the way through which they passed?

SHRI U. SHARMA: I reached the house of Shri Tulmohan Ram late in the evening but I could not see the

spot which could indicate or give any proof of retreat. But Tulmohan Ram has said that they carried it through the moballa of Kaleshwar Mandal.

SHRI R. K. SINHA: After this incident between Chandrika Prasad and Tulmohan Ram, there must have been tension in that area. The looting of the paddy is one of the links in the story. Therefore, all of a sudden the paddy disappearing and the police not coming to know of it and not coming to find out is very surprising.

SHRI U. SHARMA: So far as the tension is concerned, the incident was between the Sub-Inspector of Police and Shri Tulmohan Ram, M.P. The Administration could not allow this tension to continue and that is the reason I immediately deputed an Inspector of Police. Investigations took place and no tension was allowed to prevail. The question is very relevant that the police should have found out where all this paddy went. I am sorry I cannot say because this fact might have been established by the Investigating officer. I have not been able to find out from the diary. If you permit me I can look into the diary.

SHRI V. MAYAVAN: Earlier than this occurrence were there any such differences between S.I. and Tulmohan Ram?

SHRI U. SHARMA: I did not ask.

SHRI V. MAYAVAN: Is it not the duty of the Superintendent of Police? What would be the inter-space of one house to another?

SHRI U. SHARMA: They are almost over-lapping. The roof of one overlapses the other.

SHRI R. D. BHANDARE: What is the area covered by this village?

SHRI U. SHARMA: I cannot say.

SHRI V. MAYAVAN: How many police men went there?

SHRI U. SHARMA: 1:4 i.e., one havaldar and four constables.

SHRI V. MAYAVAN: Did you go there only with four people?

SHRI U. SHARMA: I went all alone with Shri Tulmohan Ram taking him in my jeep.

MR. CHAIRMAN: Was there any tension between Tulmohan Ram and Shri Chandrika Prasad?

SHRI U. SHARMA: Before this incident I had no information that the relationship between the two were strained. As I told you the only incident was when once Shri Tulmohan Ram had seen me in my office and I requested him to give in writing so that it could form the basis for my enquiry and he did not give that in writing.

श्री यज्ञ बत्त इार्मा: श्री तुलमोहन राम की यह शिकायत है कि उनकी फसल काट ली गई। क्या प्रापने इसके बारे में कोई इंक्वायरी की है और इस बात का पता लगाया है कि उनकी फनल काटी गई या नहीं काटी गई? ग्रगर फसल काटी गई तो किस ने काटी और क्या उसके प्रन्दर पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ है या नहीं या कुछ और कारण हैं जो इसमें काम कर रहे हैं?

श्री उपेन्द्र कार्मा: जैसा हम लोगों ने सभी देखा है, वह जमीन जहां धान की फसल काटी गई वह स्रटेच्ड जमीन थी जिस के लिए रिसीवर स्रपाइन्टेड था। रिसीवर ने उस के लिए कम्पलेन्ट किया है श्रीर वह दूसरी कम्प्लेन्ट है जिसमें उन्होंने श्री तुलमोहन राम को एक्यूज्ड बनाया है श्रीर कहा है कि इन्होंने फसल कटवा ली है।

The complaint is there in the Court where the Receiver had said that Shri Tulmohan Ram got back the harvested paddy.

SHRI R. D. BHANDARE: According to you the Receiver had not made any complaint against Tulmohan Ram. Just refer to the complaint first made. That is on page 895. I am saying this because the position should not be falsified on the record.

MR. CHAIRMAN: Just see the Receiver's complaint.

SHRI R. D. BHANDARE: There is no mention of Tulmohan Ram nor that of Ali Hussain.

SHRI U. SHARMA: Jagannath Prasad, 1st party v/s Thakkan Ram.

SHRI R. D. BHANDARE: Please see whether there is the name of Shri Tulmohan Ram.

MR. CHAIRMAN: I think it is before the incident.....

SHRI U. SHARMA: I have only said that a complaint was filed by the Receiver in which Shri Tulmohan Ram was made the accused.

SHRI R. D. BHANDARE: Kindly show where the name is.

SHRI U. SHARMA: In the first one it is the brother of Shri Tulmohan Ram. There is no mention of Shri Tulmohan Ram.

SHRI R. D. BHANDARE: Kindly see whether the name of Shri Tulmohan Ram is there?

SHRI U. SHARMA: I cannot see.

SHRI R. D. BHANDARE: There is no specific mention of Ali Hussan first complaint made by the Receiver.

SHRI U. SHARMA: In the first report there is the name of only one person.....

SHRI R. D. BHANDARE: There is no specific mention of Ali Hussan in the first one.

SHRI U. SHARMA: I cannot say why that name is there.

MR. CHAIRMAN: That name is in the second.....

SHRI U. SHARMA: Yes.

MR. CHAIRMAN: Thank you.

(The witness then withdrew)

Shri Jugal Kishore Jha, Secretary, Harijan Sewak Sangh, Saharsa, was called in. Evidence of Shri Jugal Kishore Jha, Secretary, Harijan Sewak Sangh, Saharsa (Bihar)

(साक्षी ने तब शपथ ली)

श्री ग्रार० के० सिन्हा: जिस दिन यह वाक्या हुग्ना उस दिन ग्राप कहां थे ?

श्री जनस किशोर क्षत्र : महिषी मेरा घर है। वहां से मैं मुरादपुर जा रहा था कुछ कार्यवश । महिषी से लगभग 3 मील सरौनी गांव के निकट मैंने एक जीप देखी तथा वहां पर लोगों की भीड भी थी। हम साइकिल पर थे। हम ठहर गये। हमने वहां पर ड्राइवर से पूछा कि यह जीप किसकी है। उसने बताया कि पंचायत परिषद् की है। उसमें जि॰ प॰ प॰ के सभापति बहादुर ठाकर वे और वहां श्री कालेश्वर मंडल थे। वहां पर 50 आर्म्ड फोर्स मीर एक लाठी सिपाही खड़ा था। बाबू तुलमोइन राम एम० पी० घोड़े पर जा रहे बे। चन्द्रिका प्रसाद उनसे बोला 'तम उतरो'। 'तम' का इस्तेमाल उसने किया । एक सिपाड़ी से कहा-इसको पकड़ जो '। उसने बलमोहन राम को पकड़ लिया। जितमा भैंते केका है मैं उसना कह एडा इं क्योंकि मैंने शपथ ली है।

श्री ग्राह० के० सिन्हाः तुसमोहन राम केपास कोई पिल्लौल या हथियार या ?

श्री सुगलिकोर झा : जी नहीं। इसके बाद तुलनीहन राम को पकड़ लिया ग्रीर पकड़कर ले गये। इसके बाद तटबन्ध जिसके बगल में तुलमोहन राम का मकान है वहां जब दरोगा ले गये तो हमने कितना ही उनसे कहा कि यह एम० पी० हैं कम से कम ग्राप इन पर तो थोड़ा रहम कीजिए। 'क्यों बोलता है' तुमको भी गिरफ्तार कर लेंगे चिन्द्रका प्रसाद ने मुझ से कहा। 'सारे एम० पी० का यही पेश है कि झूठ बोल-बोल कर पैसा कम्मता है। सारे एम० पी० को मैं जानता हूं भीर यह समार एम०

पी० हमारे सामने क्या बोलेगा ? झूठ बोलना इनका पेज्ञा है '। यह चन्द्रिका प्रसाद ने कहा ।

मैंने कहा कि भाप को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो दरोगा ने कहा कि जाइमे। इसके बाद कालेश्वर मंडल जो एस । एस । पी० के हैं श्रीर जिनका मकान श्री तलमोहन राम के बगल में ही है करीब सौ डेढ सौ ब्रादमी लेकर लाठी लेकर दरोगा जी की मदद के लिए पहुंचे। दरोगा जी ने उनसे कहा कि माप इसको यहां पकडे रहो हम इस का घर सर्च करेंगे। एक कांग्रेस-मैन होने के नाते येशी दिलक्स्पी बढी कि किसी तरह श्री तलमोहन राम की इज्जत बचायी जाय । तटबन्ध से करीब 10 फलींग पर श्री तुसमोहन राम का बकान होगा। श्री तुलगोहन राम ने कहा कि हम घर नहीं सर्च करने देंगे। एक तो कालेश्वर मंडल कहते से जापने इमारी जनीन की फ़सन लटवा ली ।

श्री सार्य के सिन्हा: अभी एक बयान हुसाथा कि कालेक्बर संस्त का सकान श्री तुलमोहन राम के सकान से 69 गज की दूरी घर है। सौर आप आहंते हैं कि उनके सकान के अगल में है। तो दोनों में ते औन सा अयान कही माना जाय।

श्वी सुगल किसीर आ: श्री तुलमोहन राम और कालेश्वर मंडल के मकान के बीच में और कोई मकान नहीं है इसलिए बगल में ही हुआ।

सभापति सहोवय: श्रीचिन्द्रकाप्रसाद यही बात बोले कि तुम्हारे घर में अपली हसन है ?

श्री सृगल किकोर आ : जी हां। उन्होंने कहा कि हम सहरसा से आये हैं हमारे घर में भली हसन क्यों रहेगा।? इस बारे भें भेरा निवेदन है कि यह केस बनाया गा है। भनी इसम वहां नहीं के। सभापति महोदय : श्री चिन्द्रका प्रसाद यह बात बोले कि ग्रली हसन तुम्हारे घर में है हम तुम्हारा घर सर्च करेंगे ?

श्री जुमल किशोर क्षा: जी हां। श्री तुल मोहन राम ने कहा कि हम घर सर्च नहीं करने देंगे । भाप पहले किसी मैजिस्ट्रेट का वारन्ट दिखाइये। तो दरोगा जी ने कहा कि एक सिपाही इस को रस्सा लगाम्रो। मैंने देखा कि उस ने कमर में रस्सा लगाया श्रीर श्री तुल मोहन राम को ले चले। हम ने दरोगां जी से कहा कि साप ने भन्याय किया। तते उसने कहा कि तुम च्या रही। इस पर उसने कहा कि महां से बले बाम्मो । हमारे साथ में पंचायत परिषद् के शध्यक्ष भी ये वह मूझे से दो कार मिनट पहले ही बहुंचे थे। कुछ दूर चल कर सड़क पर इलाके के सारे लोग पहुंचे उस के बाद उन्होंने आर्थना की या क्या किया मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं कहां नहीं नया था लेकिन इतना बाबुव है कि की दूलमोहन राम को छोड़ दिया ।

भी भार॰ डी॰ भण्डारे : जो झगड़ा श्री तुलमोहन राम के घर के सामने हुमा ती उन के इतम में कुछ हिमकार क्यैरह मा ?

श्री जुगल किजीय झा: श्री तुल मोहन राम को तो एक सिपाही पकड़ा हुझा था इसलिए उन के पास कोई हथियार नहीं था। सिपाहियों ने उन को घर जाने का मौका ही नहीं दिया।

श्री फ गो सेन : कब त ह श्री तुस मोहन राम ऐसी ग्रवस्था में रहे।

श्री सुगल किशोर शा: ढाई तीन बजे हम लोग पहुंचे हैं जब कि यह घटना हुई शगड़े वाली जमीन पर। यानी हम लोग बांध पर पहुंचे श्रीर शंकायत परिषद् के सध्यक्ष कुछ पहुंचे ही श्लूंचे हुंचे ॥ कड़ीन

डाई तीन बजे का समय था हम जब पहुंचे थे। दरोगा जी श्री तुल मोहन सम को घोड़े पर से उतार कर एक सिपाही ने श्री तुल मोहन राम का हाथ पकड़ लिया भीर हाथ पकड़ कर उन के दरवाजे डांडे तक ले गये। श्रौर जब उस ने कहा कि तुम्हारे घर को सर्च करेंगे तो श्री तुल मोहन राम ने कहा कि आप किस हैसियत से हमारा घर सर्च करेंगे। उस के लिए मैजिस्ट्रेट का वारन्ट या ब्रार्डर दिखाइये। एक तरफ तो हमारी फ़सल लुटवा ली श्रौर दूसरी तरफ हमारा ही घर भाप सर्च करेंगे। इस पर दरोगा ने कहा कि इस गुंडे को रस्सी बांधो। हम लोग जब बीच में पड़ रहे थे तो दरोगा जी कह रहे ये कि गोली मार देंगे। उस समय दरोगा जी जिल्कुल पामल से विचाई देते थे इसलिए कुछ हम भी भगभीत हुए। रस्की बांध कर श्री तुल मोहन राम को ले ऋते। इम आध पर चले भागे भयभीत हो कर। उस के बाद कुछ दूर आ कर इलाके के अक्टूत से लोग इकट्ठे हो गये।

श्रीक•नी•ज्ञेन: कितनी देर तक बांधे रखा।

श्री जुनस किसीर काः करीव आधा वंटा।

भी बन दल क्रमी: जब दरोगा का इतना आक्रमक व्यवहार था ती भाग के प्रति भी उसने कोई दुव्येंहार किया क्योंकि आपने ही कहा दरोगा को ठीक से व्यवहार करो।

श्री जुगल किशोर झा: हम को भी यही कहा कि तुम जले जाओ नहीं तुम्हारी भी यही हालत होगी जो इन की हो रही है।

श्री फ • गो • सेन : जब उन की कमर में रस्सी बंधी रही तो श्राप कितनी दूरी पर रहे होंगे ? करीब 10 हाथ के फासले पर रहे होंगे ? श्री जुगल किशोर झा: हम तो उनके दरवाजे तक ही पहुंच गयेथे।

श्री फ । गो० सेन : ग्राप का साथ देने वाले ग्रीर कोई नहीं थे ?

श्री बुगल किशोर हा: प्रध्यक्ष पंचायत परिषद् के धौर करीब दो तीन सौ लोग होंगे। इनके परिवार के लोगों ने कहा कि इन के साथ धन्याय हो रहा है।

मसल में वहां दो दल हैं एक श्री तुल-मोहन राम का और दूसरा यादवों का दल है। वहां इतनी उत्तेजना थी कि मारपीट की नौबत ग्रागयी थी।

श्री पा० गो० सेन : ग्राप जब जमीन पर पहुंचे तो उस समय ग्राप ने किसी को धान लूटते नहीं देखा ?

श्री जुगल किझोर झा: हम ने मजदूरों को ले जाते देखा कोई इधर जा रहा था श्रीर कोई उधर जा रहा था। मलुझहा, सैरानी, पस्तवा गावों की तरफ लोगों का मृह था। श्रव में यह नहीं कह सकता कि जो लोग उधर को मृहं किये हुए धान ले जा रहे थे वह इन्हीं के थे या किसी दूसरे गांव के थे।

सभापति महोदय : माननीय भंडारे ने श्री तुल मोहन राम से प्रश्न किया था कि तुम बताक्रो कौन कौन बादमी था । उन्होंने तीन चार ब्रादिमियों के नाम लिय थे जैसे :

भ्राप श्री विन्देश्वरी सिंह को जानते हैं ?

श्री जुगल किशोर झाः जी हां।

सभापति महोदय : श्री तुलमोहन राम ने ग्रपनी एवीडेंस में कहा कि उस समय श्रीपत झाभी थे। उन को ग्राप जानते हैं।

श्री अनुगल किशोर सा: जी हां।

सभापति महोदय : महावीर चौधरी को भी भाप जानते हैं।

भी जुगल किशोर झा: मैं नहीं जानता।

सभापति महोक्य: सीता राम मिश्रा को।

श्री श्रुगल किशोर झाः मैं नहीं जानता। चेहरा देख कर मैं पहिचान सकता हूं।

सभापति महोदय : थेंक यू।

भी जुगल किशोर झा: एक बात में धौर कहना चाहता हूं हालांकि यह विषयान्तर होगा। इस सब-इंस्पेक्टर की वहां से बदली कर दी गई है धौर दूसरी जगह उस को भेज दिया गया है, लेकिन उस ने वहां पर भी यही हरकत की। इस पर हमने कलक्टर साहब से कहा कि एस॰ पी॰ ने हमारी रिपोर्ट को झूठा माना था लेकिन वहां भी वह ऐसा काम कर रहा है। ध्रब उस के खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं। यह सब-इंस्पेक्टर दो तीन बार डिस्चार्ज हो चुका है धौर हाई कोर्ट तक इस का केस गया है?

(The witness then withdrew)

Evidence of Shri Bahadur Thakur, President, District Panchayat Parishad, Saharsa (Bihar)

श्री बहाबुर ठाकुर : में बहादुर ठाकुर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि में इस मामले में जो साक्ष्य दूंगा वह सच्चा होगा में कुछ नहीं छिपाऊंगा श्रीर मेरे साक्ष्य का कोई ग्रंश झुठा नहीं होगा।

सभापति महोदय : श्राप का नाम क्या है ?

श्री बहादुर ठाकुर : बहादुर ठाकुर ।

सभापति महोदय : ग्राप के गांव का क्या नाम है ?

भी बहादुर ठाकुर : में तो जिला परि-षद् सहरसा का अध्यक्ष हूं। सभापति महोध्य : ब्राप का घर कहां है ?

श्री बहादुर ठाकुर: मेरा मकान सहरसा से 14 मील दूर दौरमा में है।

सभापति महोबय : म्राप का श्री तुल मोहन राय से कितने दिनों से परिचय है ?

श्री बहा**बुर ठाकुर**ः उन से मेरा परिचय पुराना है।

सभापति महो ६ यः क्या आप यह बता सकते हैं कि इस घटना के घटने से पहले श्री चन्द्रिका प्रसाद दरोगा और श्री तुलमोहन राम के बीच कोई मन-मुटाव था?

श्री बहादुर ठाकुर : उन के बीच कोई मन-मुटाव था, इस के बारे में म नहीं जानता।

सभापति महोदय : सरौनी में श्री तुलमोहन राम की कोई जमीन है ?

श्री बहाबुर ठाकुर : वहां पर श्री तुल मोहन राम कः मकान है ।

सभापति महोदय: क्या ग्राप को मालूम है कि सरीनी में जो उन की जमीन है, उस को कचहरी की तरफ से जब्त कर लिया गया था ?

श्री बहाबुर ठाकुर : मुझे इतना ही मालूम है कि कालेश्वर मंडल वहां पर है उन का श्री तुलमोहन राम के प्रति बहुत दिनों से मन-मुटाव है ग्रीर उन की उन से ग्रनबन है ग्रीर पुराना झगड़ा है। इस के ग्रनावा उस गांव में जो खाली जमीन है उस पर जबदस्ती किसी न किसी तरह लोग्नों को लगा कर कालेश्वर मंडल द्वारा कड़जा कर लिया जाता है। इतनी बात मुझे मालूम है।

सभापति महोदय : क्या ग्राप बता सकते हैं कि यह जो झगड़े वाली जमीन है, इस पर कोई फसल लगी हुई थी ? श्री बहादुर ठाकुर: धान को फसल थी।

सभापति महे दयः वया इस को काटा गया था ?

श्री बहाबुर ठाकुर: कालेक्वर मंडल कुछ लोगों के साथ, जिस किसी की जमीन हो उस की फसल दारोगा की सहायता से कटका लेता है।

सभापति महोदय : वया भाप के सामने श्री तुलमोहन राम को भ्ररेस्ट किया ?

श्री बहादुर ठाकुर: जी हां।

सभापति महोदय : ग्राप वहां खड़े थे ?

भी बहादुर ठाकुर: मैं मोहट्टा से म्रा रहा था भौर बांध पर था। मैं ने देखा कि तुलमोहन राम घोड़े पर मा रहे थे। उधर चन्द्रिका प्रसाद, दारोगा भ्रपने चार, पांच सिपाहियों के साथ खेत की तरफ से लौट रहे थे। तटबन्ध के नाले पर श्री त्लमोहन राम घोड़े पर जा रहे थे। उस को देखकर दरोगा जी भ्राग-बब्ला हो गये भ्रौर कहा कि घोड़े पर से उतरो । उस पर तुलमोहन राम न कहा कि भाई मुझ को घोड़े पर से उतरने को क्यों कहते हो ? इस पर उन्होंने कहा, 'उतरते नहीं हो, जल्दी उतर जाभो'। यह बात उन्होंने कहीं भीर उस के बाद सिपाहियों से कहा कि इन को घोड़े पर से उतार दो एक सिपाही ने गट्टा पकड़ कर उन को घोड़ से उतार दिया। मैं खड़ा खड़ा यह वाक्या देखता रहा । इस के बाद घोड़े से उतार कर सिपाहियों को कहा कि इस को ग्रपने संरक्षण में ले लो भीर चार सिपाहियों ने उन को संरक्षण में ले लिया। फिर यह कहा कि इन को गिरपतार कर लो। इस पर श्री तुलमोहन राम ने कहा कि गिरपतार कैसे करते हो, श्राप के पास गिरफ्तारी का बारेंट है। इस पर उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का वारेन्ट तो जेंब में चौबीसों घंटे रहता है। जब श्री तुलमोहन राम ने विरोध किया भ्रौर

कहा कि बारन्ट दिखाओं तो इस पर उन्होंने कहा कि "वारन्ट यह है" भौर एक छपा हुआ पर्चा निकाला, जिस पर कुछ लिखा था भौर कहा कि यह पैम्पलेट तुम ने मेरे खिलाफ छपवाया है। उन्होंने कहा कि मैं इस के बारे में नहीं जानता हूं। तब दारोगा ने कहा कि एस॰ पी॰ के पास जा कर मेरी शिकायत की। इस पर उन्होंने कहा कि यह बात तो ठीक है, आप ने मेरे खिलाफ में जो कुछ किया है, इसकी शिकायत मैं ने एस॰ पी॰ को जा कर की थी लेकिन यह कागज मैंने नहीं छप-वाया है।

सभापति महोदय : उस को कैसे ग्र**रैस्ट** किया ?

भी बहाबुर ठाकुर : वहाँ से पकड़ कर उन को ले क्ये भीर बांध की नासी के पूरव की भोर ले जा कर मकान में उन की कमर में रस्सा लगा दिया भीर रस्सियों से उन को बांध दिया गया ।

सभापति महोदय: म्राप की जानकारी में यह है कि उन्होंने एम० पी० के बारे में कुछ बोला था।

श्री बहादुर ठाकुर : उन्होंने जब यह कागज दिखाया और श्री तुलमोहन राम ने कहा कि यह हमारा छपाया हुमा नहीं हैं तो उन्होंने कहा कि जितने एम० पी० होते हैं, जितने एम० एल० ए० होते हैं, सब झठे होते हैं और झूठ बोलना उनका दिन रात का पेशा है और वे हमेशा झूठ बोलते हैं उन्होंने यह सब कहा था । इस के झलावा और भी अमद्र शब्द कहे थे जो कि म प्रिवि-लंज कमेटी के सामने नहीं कहना चाहता संने उन से इस का बिरोध किया ।

भी ग्रार० डी० भण्डारे : कौन से ग्रमण्डद उन्होंने बोले थे ?

श्री बहादुर ठाकुर : उन्होंने उन को साला, बहन-चौद, चमार ग्रौर क्या क्या कहा, कोई ठिकाना नहीं। हम ने कहा कि एसा क्यों कह रहे हो, इसिनये कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। इस पर दारोगा न कहा कि आप यहां से जाइए, नहीं तो तुम्हारी भी यही गित होगी जो इन की हो रही है। मैं दारोगा से फिर कुछ नहीं बोला और मने यह उचित समझा कि यह देवे कि आगे क्या होता है?

सभापति महोदय : एम० पी० के लिये जो प्रपशब्द बोले वे उन के घर के सामने बोले ।

श्री बहाबुर ठाकुर: पहले बहां बोले जहां पर घोड़े से उन को उतारा था। जब घर के सामने रस्सियों से बांचा तब भी बोले थे।

श्री सक दल हार्मा: जिस वन्त यह झगड़ा चल रहा था तो स्नाप की जानकारी में यह है कि श्री तुलमोहन राम के पास कोई हथियार था ।

श्री बहादुर ठाकुर : उन के हाथ में कोई हथियार नहीं था ग्रीर वें खाली हाथ थे।

श्री फ । गो । सेन : श्रापने जो झगड़े वाली जमीन थी वहां पर लोगों की भीड़ देखी ।

श्री बहादुर ठाकुर : जी नहीं । उस समय जब हम गये थे तो झगड़े वाली जमीन की तरफ से दारोगा कुछ लोगों के साथ जो कि धान काटने वाले थे ग्रागे-ग्रागे वे जा रहे थे ग्रीर इधर-उधर धान का बोझ लेकर भाग रहे थे। बाद में हमको पता चला कि तुल-मोहन राम का खेत लुटबाया है दरोगा ने।

श्री फ । गो। सेन: दरोगा को क्या यह मालूम नहीं था कि झगड़े वाली जमीन पर 144 स्रोर 145 लगा दिया गया है।

श्री बहादुर ठाकुर: जी कह नहीं सकता। हमको यह मालूम था। श्री फ॰ गो॰ सेन : यह चीज श्रापने दारोगा से नहीं कही कि इस जमीन पर 144/145 लगाया गया है श्रीर इसके लिये रिसीवर अपांइट हो गया है। तो श्राप लोग इसको फोस लेकर क्यों लुटवा रहे हैं?

श्री बहादुर ठाकुर : जी नहीं । वह उस समय पागलों की तरह बोल रहा था । उस समय उससे कुछ कहना ठीक नहीं था । यदि हम कुछ कहते तो वह हमारी बेइज्जती करता । एक ही बात कहने पर उसने हमको इस तरह जवाब दिया तो हमन उससे कुछ ग्रीर कहना ठीक नहीं समझा :

MR. CHAIRMAN: Is it correct that Shri Chandrika Prasad wanted to enter the house of Shri Tul Mohan Ram because Shri Ali Hasan who was charged with the offence had sought shelter in that house

श्री धार • के • सिन्हा : क्या यह बात सही है कि सुलमीहन राम के मकान में चन्द्रिका प्रसाद इसलिये घुसना चाहता था कि मली इसन वहां छिपा हुआ है ?

श्री बहारुर ठाकुर: यह पीछे बनाया हुमा है। मली हसन की चर्चाभी उस समय नहीं भी। दरोंगा जी भ्रपमें बचाव के लिये ह बात बोले हैं।

श्री फ॰ गो॰ सेन : श्रापका मकान सरौनी से कितनी दूर है ?

श्री बहादुर ठाकुर : सरीनी से 6-7 मील है । भी फ० को॰ सेच : तुल मोहन राम जी मापके कोई होते हैं ?

श्री बहाबुर ठाकुर: जी नहीं कोई रिण्ता नहीं हो सकता । हम बाहमण हैं, श्रौर वह चमार हैं ।

श्री फ॰ गो॰ सेन: ग्राप कालेश्वर मंडल को जनात हैं? कालेश्वर मंडल का मकान तुल मोहन राम के मकान से कितना दूर है:

श्री बहाहुर ठाकुर : एकदम सटा हुग्रा है । थोड़ी दूर है । बीच में कोई मकान नहीं है ।

श्री द्यार० डी० भण्डारे : कितनी फीट होगा ।

भी बहाबुर ठाकुर : एक रस्सी होगी ।

श्री फ शो० सेन : तुलमोहन राम जी के मकान श्रीर कालेश्वर मंडल के मकान के बीच में कोई मकान नहीं है :

भी बहादुर ठाकुर : जी कोई मकान नहीं है।

श्री फ गो० सेन : यह जो कचहरी में यह केस जमीन की जब्ती के बारे में थ्या उसका जो रिसीवर था उसने एक भादमी को मुकर्रर किया था धान की रखवाली के लिए :

श्री बहादुर ठाकुर : मुझे नहीं मालूम । (The witness then withdrew) The Committee then adjourned.

Tuesday, the 18th August, 1970

PRESENT

Shri R. D. Bhandare-Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri C. M. Kedaria
- 3. Shri K. Raghuramiah
- 4. Shri A. K. Sen

- 6. Shri R. K. Sinha
- 6. Chaudhuri Randhir Singh.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee—Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESSES

- 1. Shri Thakur Prasad Yadav S/o Shri Gokul Prasad Yadav, V. & P.O. Sarauni, Police Station Mahishi, District Saharsa (Bihar).
- 2. Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, P.O. Bihariganj, Distt. Saharsa (Bihar).

The Committee met at 15.00 hours.

Evidence of Shri Thakur Prasad Yadav

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: मैं ठाकुर प्रसाद यादव ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूं कि इस मामले में जो वाक्ष्य दूंगा, वह सच्चा होगा। मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा भौर मेरे साक्ष्य का कोई ग्रंश झूठा नहीं होगा।

सनापति महोदय: चन्द्रिका प्रसाद सिंह को कितने दिनों से जानते हो।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : चिन्द्रका प्रसाद सिंह को, जब से वे हवां से एस० श्राई० थे, उसी समय से जानता हूं। लगभग डेंढ साल से में उनको जानता हं।

सनापति भहोबय : यह वाक्या होने से पहले से उनको जानने ही, श्री तुलमोहन राम के साथ जो कुछ हुमा उस के पहले से उनको जानते हो या डेढ़ साल पहले से उन को जानते हो ?

श्री ठा हुर प्रसाद यादवः यह केस होने के 5, 6 महीने पहले से उनको जानता हं।

सभापति महोदय : कैसे जानते हो ?

श्री ठा हुर प्रसाद यादव : वे हमारे यहां के दरोगा थे. इसलिये उन को जानता हं।

सभापति महोदय : श्राप का पुलिस स्टेशन से क्या सम्बन्ध है ? श्रीठाकुर प्रसाद यादव : वे झाते जाते हैं, इसलिए लोगों से उन का सम्बन्ध रहता है ।

सभापति महोदय : हरेक म्रादमी के साथ सम्बन्ध रहता है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी नहीं, सबके साथ कैसे रहेगा ?

श्री फ॰ गो॰ सेन: ग्राप बराबर पुलिस स्टेशन ग्रांते जाते रहते हैं ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: जी नहीं। में बराबर नहीं श्राता रहता हूं।

सभापति महोदय : कभी-कभी क्यों जाते थे ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : मैं तो जाया नहीं करता हूं। वे ही माते जाते थे। कभी कभी मैं भी उन को देख लेता था।

चीधरी रणधीर सिंह : क्या वे म्राप के यहां म्रा कर ठहरते थे ।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी नहीं।

शभापति महोदय: गांव में क्यों म्राया जाया करते थे ? श्री ठाकुर प्रसाद यादव: ग्रली हसन को पकड़ने वे ग्रांते थे। उस समय मैंने उन को दो एक बार देखा था।

चीबरी रगधीर सह : उनसे ग्राप के जालकात थे ?

श्री **प्राकुर प्रसाद याव**ः उन से मेरे कोई तालकात नहीं थे।

श्री रा० हु 0 सिंह : कभी भ्राप कहते हैं कि डेढ़ साल से उन को जानता हूं कभी भ्राप कहते हैं कि 6 महीने से जानता हूं भ्रीर कभी भ्राप कहते हैं कि जब वेगांव में भ्राया जाया करते थे, इसलिये उन को जानता हूं, तो इसमें सत्य क्या है, वह बताइए?

(प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया)

चौवरी रणधीर सिंह: उन के एक ग्राध मुकदमें में गवाह हुये हो ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी नहीं । उनके मुकदमे गवाह नहीं हुन्ना हूं।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : ग्रली हसन का मकान मेरे घर से पश्चिम में पड़ता है, मेरा गांव उस रास्ते में पड़ता है।

श्री फ० गो० सेन: महिषं से जाने से बनगांव ग्रीर महिषी सिती बसती है ? क्या वह एक ही मौजा है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी नहीं । मौजा म्रालग-म्रालग है ।

श्री फ० गो० सेन: श्राप दूसरे गांव से श्राते हैं। मान लीजिये वह धान काटने के लिये गये हों तो श्रापसे क्यों ताल्लुक हुशा ? इस सिलसिले में श्रापसे जान-पहचान क्यों हुई ?

(गवाह श्री ठाकु प्रसाद यादव ने कोई उत्तर नहीं दिया) 4—564 LS. स भापति महोदय : सरोनी गांव की जमीन के बारे में कुछ झगड़ा था, इसका ग्रापको पता है ? काहे का झगड़ा था ?

श्री 5 किए प्रसाद यादव : झगड़ा था। वह ज़िमीन दूसरे हिस्सेदार ने तुलमोहन बाबू को बेच दी थी श्रीर दूसरे लोग उस पर पार्टिशन सूट किये हुए हैं, यही झगड़ा है।

सभापति महोदय: ग्रापका गांव सरौनी से कितनी दूर है ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : सरौनी ही मेरा घर है ।

सभापति महोदय : किनके साथ यह सूट शुरू हुआ है । किसने यह सूट किया हुआ है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : श्री जगन्नाय प्रसाद ने किया है भौर उसके साथ श्री कुसे सर ने मिल कर किया है।

श्री फ॰ गों, सेन : यही दो पार्टिज हैं जिनका झगड़ा है ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव: तुलमोहन बाबू को वैधनाथ बाबू ने रिजस्ट्री किया है। ग्रीर भी उसमें भागीदार हैं।

श्री फ॰ गो॰ सेन: कितनी जमीन रजिस्ट्री किया है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : 50-52 बीघे है ।

सभापति महोदय : यह जमीन तो 50 बीघे है कुल । 52 कैसे हो गई।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: 65 बीघ जमीन है। उसमें से कुछ जमीन पहले बेच दी थी। 15 एकड़ जमीन वैद्यनाथ बाबू ने बेचा पहले।

श्री फ० गो० सेन: 15 एकड़ जब बेचा तो उसके फिरकान ने उसके ऊपर एतराज नहीं किया ? श्री ठाकुर प्रसाद कादव : एतराज लाते लोकिन वह जमीन चूंकि श्री वैधनाथ बाव का हिस्सा था इसलिये एतराज नहीं लाये ।

श्री फ० गो० सेन : उसके बाद सूट नहीं किया ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : उसके बाद पार्टिशन सुट किया ।

श्री फ गो० सेन : 50 बीघे जब तुल-मोहन बाबू को देने लग तो श्रापको इसकी जानकारी थी ?

की ठाकुर प्रसाद प्रावत : जी नहीं।

श्री फ गो० सेन : उनके फिरकान ने भाकर उनको मना नहीं किया कि यह जमीन मत लीजिए ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : उनको मालूम नहीं हुमाः।

श्री फ शांश्रेत : पहले भी मातूम नहीं हुमा श्रौर दूसरी बार भी मालूम नहीं हुमा?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: रिजस्ट्री बेगुसराय में हुई थी, इसलिए मालूम नहीं हुम्रा।

श्री फ गो० सेन : उसमें गवाहात का नाम होगा ?

श्री ठाकुर प्रवास ग्रावक : क्या नाम है मझे पता नहीं ।

सभापति महोदय: इन लोगों में कोई पार्टी बन्दी है, झगड़ा है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी नहीं, कोई झगड़ा वगैरह नहीं है ।

श्री रा० हु० सिन्हा : यह जो चाबल काटने का झगड़ा हुआ वह किसमें हुआ ? कालेश्वर मंडल से हुआ ?

भी ठाकुर प्रसाद मादव: वह कालेश्वर मंडल से झगड़ा नहीं हुआ। वह तो रिसीवर थे भौर रिसीवर की फसन काटी गई थी। सभापति नहोदय: श्रापको कैसे मालूम कि रिसीवर की फसल काटी गई भी ?

श्रो ठाकुर प्रसाद यादव: रिसीवर पहले भागे हुए थे। उससे पहले भ्रान भी सीवर ने काटा था भौर उसके बाद

श्री फ गो सेन : किस जमीन से ?

भी ठाकूर प्रसाद सिंह : उसी जमीन से ?

श्री फ गो० सेन: रिसीवर ने देखने वाला प्रादमी, कोई बाच एण्ड बार्ड रक्षा था?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: जी हां।

भी फ गो तेन : पहले से ही रखा था या बाद में ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : पहले ही रखा था जब वे रिसीवर बहाल हो कर ग्राये थे?

श्री फ • गो • सेन : वह धान कहां जमा किया ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: 1969 की बात है। 45 वाली जमीन थी ग्रीर धान काटने के लिए तुलमोहन बाबू ने ग्रली हसन वगैरह को बुलाया। ग्रली हसन 25—30 ग्रादमियों के साथ वहां ग्राया ग्रीर 45 वाला धान जो था उसको काटने के लिए गया। उसके बाद न मालूम पुलिस को कैसे मालूम हुग्रा इन लोगों ने उधैर से लगभग चार साढ़े चार बजे जैसे ही लोग ग्राये तो ग्रली हसन खेत से घोड़े पर चढ़ कर वहां से भागा ग्रीर सीघे तुलमोहन बाबू के यहां ग्राकर रुक गया। कुछ मिनट बाद तुलमोहन बाबू भी घोड़े पर चढ़ा ग्रीर खेत की तरफ चले। रास्ते में

सभापति महोदय: म्रापने शपथ ली है कि म्राप जो कुछ बोलेंगे सच सच बोलेंगे। झूठ बोलेंगे तो फिर इसी तरह की कोर्ट उसके लिए बैठेगी।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: मेंने शपथ लिया है। एकदम शपथ लेकर कहता हूं कि

में जो कुछ बोलंगा सच बोलंगा । मैंने कुछ लेना-देना नहीं है इसमें । उसके बाद उन दोनों में रासते में क्या बात हुई यह में नहीं जानता क्यों कि मैं बांध पर था और जब वह दोनों साथ साथ बांध पर ग्राये दरोगा जी तलमोहन भौर उनके भाई हरि मोहन बाब बांध पर माये तो में भी थोड़ा उत्तर की तरफ बढ़ा ग्रीर वे लोग भी बांध पर भ्राये । उसके बाद दरोगा जी ने कहा कि तुलमोहन बाबु भापके यहां भली हसन छिपा हम्रा है म्राप उसको पकड्वा दीजिये। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां नहीं है। इस पर दरोगा जी ने कहा कि अगर नहीं है तो मझे घर देख लेने दीजिये। उस पर तुलमोहन बाब बिगड़ गये भीर उन्हें बुरा भला कहने लगे कि मैं एम० पी० हं और मैं तुम्हें डिसमिस करा दुना यह करूंना भीर वह करूंगा। गाली गलोज देना शुरू किया। वह चप हो गये । उसके बाद तुलमोहन बाब ग्रंपने चाचा के साथ वहीं हो कर रासता है चले गये अपने घर पर। श्रौर दरोगा जी वहां से घम कर, क्योंकि कीचड वाला रासता था, इसलिये उधर से होकर बांध पर स्राये सौर लौट कर मुखिया जी के दरवाजे के नजदीक पहुंचे भीर उनके कहा कि भाप कुछ ग्रादिमयों को साथ कीजिये ग्रीर चलिये साक्षी के रूप में वहां पर ग्रली हसन छिपा हुआ है भौर उसके खिलाफ वारन्ट है भौर हम उसको पकडेंगे। तो मखिया जी ने कहा ठीक है चलिया। तो दरोगा जी, मुखिया जी, मैं भी साथ में था, और दो, चार ग्रादमी भी साथ में चले । करीब 30, 40 गज की दूरी पर उनका घर रहा तो तुलमोहव बाब् ग्रीर हरि मोहन बाब् ग्रीर केवल बाब् ने बन्दूक लेकर रासता रोक लिया भ्रीर कहा कि बस करो ? ग्रगर ग्रागे बढोगेती मैं गोली मार दूंगा । बिना वारन्ट दिखाये मेरेघरको श्राप सर्चनहीं करसकते हो । दरोगा जी रुक गये। श्रीर ठीक उसी समय, जो मुख्य रास्ता था उसको तो घरे हुए थे, लेकिन दूसरे रासते से भ्रली हसन को घर से

निकाल कर घोड़े पर चढ़ा कर भगा दिया।

सभाषति महोदय : ग्रौर ग्राप लोग देखते रहे ।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : वह इसलिये कि उधर बांध को जाने के लिये रास्ता था । जब तक उधर से जाते तब तक वह भाग गया । सामने हो कर ग्रगर

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि म्रली हसन घोड़े पर बैठा, घर से बाहर निकला ग्रीर घोड़े पर बैठा तो ग्राप लोग देख रहे थे ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : हम लोग क्या करते । मुख्य रास्ता तो उन लोगों ने रोक रखा था ।

श्री रा० कृ० सिन्हा: प्रव श्रली हसन ग्रीर तुलमोहन बाबू थोड़े पर सवार हुए तो उन के घोड़े कहां थे ? ग्राखिर घोड़े को तो श्रन्दर नहीं ले गये होंगे। जब भ्राली हसन ने उनके मकान के श्रन्दर गया ग्रापने थोड़े पर कब्जा करने की कोशिश की कि नहीं?

चौचरी रणघीर सिंह: श्राप लोग कितने श्रादमी थे ?

भी ठा हुए असाद यादवः चार पांच ग्राटमी थे।

भी रा० कु० सिन्हाः घोड़ा तो बाहर छोड़ दिया था।

भी ठाकुर प्रसाद यादव : साधारण भादमी तो उसको पकड़ नहीं सकता।

श्री रा० कृ० सिन्हाः घाप कहते हैं कि वह घोड़े पर प्राया, तुलमोहन बाबू घोड़े पर घाये, तो घोड़े कहां पर छीड़ दिये गये?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : घोड़ा उनके यहां जाकर छोड़ दिया ।

श्री रा० इ.० सिन्हा : घोड़े पर मापने कब्जा कैसे नहीं किया । श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जब उनके पास पिस्तौल, बन्द्क, तीर, भाला है तो हम लोग कैसे उनके पास जा सकते थे । हम से तो उनको कोई मतलब नहीं था पुलिस उनके घर को सर्च करना चाहती थी, हम को तो सर्च करना नहीं था ।

श्री रा० कृ० सिन्हा: पुलिस वालों के पास कुछ नहीं था ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : फोर्स थी, चार पांच ग्रादमी थे ।

श्री राः कृः सिन्हाः पुलिस वाले सब निहत्थे थे ।

भी ठाकुर प्रसाद यादव : उन के पास बन्दूक थी ।

श्री रा॰ हु० सिन्हाः फिर भी घोड़े पर कब्जानहीं कर सके।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जब प्रली घोड़े पर ग्राया तो उस समय पुलिस पीछे थी ।

श्री रा० कृ० सिन्हा : जब मली हसन घर में घुसा होगा भ्रीर जब तक उस की बातचीत हुई, तब तक पूलिस ने क्या किया ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : पुलिस क्या करेगी । पुलिस को रोके रखा गया ।

चौघरी रणबीर सिंह: इस मुकदमे में पुलिस में रिपोर्ट है उस में तुम्हारा गवाही में नाम है । तो आप की गवाही हो चुकी है या होनी बाकी है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: घ्रदालत में बाकी है लेकिन एम० पी० ग्रीर इन्सपैक्टर के यहां हो चुकी है ।

बोधरी रणधीर सिंह : तो आप तुल-मोहन राम के फिलाफ पुलिस के गवाह है ? श्री ठाकुर प्रसाद यादव: जी नहीं में सच्ची बात कहने ग्राया हूं। मैं किसी का गवाह नहीं हूं।

चौघरी रणधीर सिंह : तुलमोहन राम से तुम्हरा प्यार है या दृश्मनी है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : कोई दुश्मनी नहीं है ।

चौभरी रणधीर सिंह : तो उस के खिलाफ प्यार में गवाही दे रहे हो ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : ग्रगर सच्ची बात को दुश्मनी समझा जाय तो कोई सच्ची बात नहीं बर्तला सकता ।

चौभरी रणभीर सिंह : क्या मली हसन को म्राप पहले से जानते थे ? क्या वह म्राप के पास म्राता जाता था ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी हां, जानता था। मेरे यहां नहीं वह तुलमोहन बाबू के पास ग्राता जाता था।

चौधरी रणधीर सिंह : जब वह माप के पास नहीं माता जाता था तो म्राप इस को कैसे जानते हैं ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : वह नामी डकत है इसलिये में इस को पहले से जानता हूं।

चौचरी रणधीर सिंह : कितने दिन पहले से जानते हो ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादवः चार पांच साल से ।

चीधरी रणधीर सिंह : म्राप के यहां उस का माना जाना था ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : हमारे यहां उस का म्राना जाना नहीं था ।

कीवरी रणधीर सिंहः ग्राप उस के पास जाते थे ?

श्री ठा तुर प्रसाद यादव : हम क्यों जाते ? तुलमोहन बाबू के यहां जब ग्राता था तो म कभी-कभी देख लेता था ।

चोबरी रणधीर सिह गांव में आप का मकान किश्वर है ?

भी ठातुर प्रसाद यादव : दक्षिण पूर्व के कोने पर है ।

चीवरी रणधीर सिंह: यह जो खेत हैं जहां से यह ग्रारहाथावह किघर हैं?

श्री ठाकुर प्रसाद बादव : यह पश्चिम में है ।

चौचरी रणधीर सिंह : मकान उत्तर में है ग्रीर खेत पश्चिम में है तो ग्राप उधर किस काम के लिये गये हुए थे ? इतफाक से चले गये थे।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी, नहीं । मैं टीचर हूं, बांध पर हो कर मेरा रास्ता है बांध पर मैं खड़ा था ।

बोघरी रणधीर सिंह : स्कूल से बांघ कितनी दूर पर है ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : एक डेढ़ मील है ।

चौधरी रणधीर सिंह: म्राप बांध पर इत्तफ़ाकिया खडे थे।

श्री ठाकुर प्रसाव याववः मेरा तो रास्ता ही है 10 बज जाने का श्रीर चार बज लीट कर जाने का ।

चौघरी रणधीर सिंह: जिस वक्त बांध से ब्रा रहे थे उस वक्त क्या टाइम था?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : चार बजे का टाइम था ।

बोधरी रणधीर सिंह : एक बात और बता दीजिए । भ्राप ने यहां पर यह स्टेट-मेंट दिया है भीर पुलिस में भी भ्राप ने स्टेट-मेंट दिया है । उस स्टेटमेंट की कापी भ्राप के पास है । श्री ठाकुर प्रसाद यादच : जी नहीं। मेरे पास उस स्टेटमेंट की कापी नहीं है।

चौघरी रणबीर सिंह : म्राज जो म्राप ने यहां पर स्टेटमेंट दिया है भ्रौर पुलिस में जो स्टेटमेंट दिया है वह एक ही है।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी हां, वह एक ही है ।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Mr. Chairman Sir, I want to confront him with his statement before the police. This is very relevant. It may be that he is improving on his statement now. So far as I am concerned, my cross-examination should be reserved. I want to confront him with his statement before the police.

MR. CHAIRMAN: The police officer may be asked to bring the statement.

MR. CHAIRMAN: The police officer is sitting outside, I would ask him, if he has got a copy. (Shri Kapur after ascertaining from the police officer mentioned that he has not got a copy with him.)

श्रीधरी रणधीर सिंह : तुलमोहन राम सहाब जो हैं उन कैसे गिरफतार दिया गया था क्या ग्राप बता सकते हैं 1 क्या उन को रस्सी से बांधा गया था ?

भी ठाकुर प्रसाद यादवः जी नहीं।

चौधरी रणधीर सिंह : क्या गांव से वे उन को श्रपने साथ थाने ले गये थे।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी नहीं । जन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था ।

चौघरी रणधीर सिंह : क्या यह बात गलत है कि तुतमोहन राम जी को थानेदार ने कमर में रस्सी डाल कर बांधा था भीर फिर उन को थाने में ले गये थे या रास्ते में उन को रस्सी से बांधा भीर फिर छोड़ दिया। भी ठाकुर प्रसाद थादवः कभी रस्सी से नहीं बांघा ।

चं घरी रणधीर सिंह : यह बात गलत है या सही कि तुलमोहन राम जी को थानेदार ने गाली दी घीर यह कहा कि एम०पी० घीर एम०एल०ए० तो झूठ बोलते हैं घीर झूठ बोलना तो जनका पेशा है ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : थानेदार ने ये नहीं कहा कि एम० पीज० ग्रौर एम० एल० ए० झूठ बोलते हैं।

श्वी फ गो० सेन: ग्रापने जो कुछ कहा ग्रीर जैसा हमने समझा है उस के बारे में मैं पूछता हूं। उसमें ग्रगर कोई गलती हो तो ठीक कर दीजिए। ग्रापने कहा था कि ग्रापने ग्रली हसन को 20, 25 ग्रादिमयों के साथ ग्राते हुए देखा ग्रीर उन के पास हथियार थे।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी हां मैंने ऐसा कहा है ।

श्री फ॰ गो॰ सेन: ये जो पहुंचे तो वे कहां पर ग्रीर कब पहुंचे ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : ये सुबह के वक्त तुलमोहन राम जी के यहां पहुंचे थे।

भी फ॰ गो॰ सेन : कितने वजे ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : करीन 6, 7 बजे।

भी फ गो० सेन : ग्राप उस वस्त कहां थे ?

श्री ठाजुर प्रसाद यादव : मैं उस वक्त पाखाना के लिये जा रहा या ग्रीर इन का दरवाजा रास्ते में पड़ता हैं ।

श्री फ गो० सेन: तुलमोहन राम जी के दरवाज को पास करना पड़ता है ?

भी ठाफुर प्रसाद यादव : बीघ पर जाने के लिए तुलमीहन राम बाबू के घर के पास के रास्ता हैं। श्री फ गों सेन : म्रापके कहने का मतलब यह है कि मैदान जाने के लिए तुलमोहन राम जो के दरवाजे से हो कर रास्ता है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी हां । दरवाज के नजदीक होकर रास्ता है ।

भी फ॰ गो॰ सेन : ग्रली हसन उस वक्त कहां था?

भी ठाकुर प्रसाद ग्रावंच : उन के दरवाजे पर था ।

भीं • गो• सेन: ग्राप ने उन से पूछा क्या बात है ?

भी ठाष्ट्रर प्रसाद यादवः मैं क्यों उनसे यह पूछता ?

भी फ॰ गो॰ सेन: रिसीवर का श्रादमी श्राया था उस वक्त?

भी ठाकुर प्रसाद यादव: रिसीवर का भादमी या लेकिन जब धान कट रहा या तो वे रिसीवर को कहने सहरसा चले गये थे

भी फ॰ गो॰ सेन: धान कहां ले जाया गया?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : तुलमोहन राम बाबू के यहां धान ले जाया गया था ।

भी फ गो० सेन: सब धान तुलमोहन राम जी के यहां जमा किया ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : जी हां।

श्री फ • गों • सेंग : यह साफ बताइये कि धान जो जमा किया गया था वह तुलमोहन राम जी के घर पर जमा किया गया था या कहीं भीर ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : उन के घर पर दरवाजे के पास ।

श्री कं गों तेन: उनके घर पर कैते धान जमा किया जा सकता था। धान रंखने के लिए तोग्नोपन जगह चाहिए ग्रीर फिर 50 एकड़ जमीन का धान जो बहुत ज्यादा होता है।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: उस में से %0 बीघा का ही धान काट सके थे।

श्री **फॅ॰ गो॰ सेन**ः उस के लिए भी तो काफी जगह चाहिए।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : उन के दरवाजे पर था, खमार, उस में वह जमा किया।

श्री फ० गो० सेन: माप साफ बताइए, ग्राप को पहले ही कहना चाहिए था कि उन के खमार पर था। ला कर इकट्टा किया गया।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: जी हां।

सभापति महोदय : कहां से इन लोगों ने धान काटना शरू किया था ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : चारों तरफ से बहुत सारे लोग थे जो धान काट रहे थे।

श्री फ गों सेन: 20 बीघा जमीन का धान काटा तो कहां से काटना शुरू किया गया?

श्री ठाकुर प्रसाद यादवः बहुत सारे मजदूर थे, तो जहां ग्रच्छा ग्रच्छा धान देखा, कःटना शुरू कर दिया ।

भी फ॰ गो॰ सेन : कितनी देर लगी?

श्री ठाकुर प्रसाद थादव : 8 बजे से 4 बजे तक काटते रहे।

श्री फ ॰ गो॰ सेन : भ्रापने तो यह कहा था कि 4 बज हम बांध पर श्रा गये थे भ्रीर उस वक्त भ्राप ने दारोगा जी को बांध पर खड़े पाया तो उस वक्त ये कहां जा रहे थे?

भी ठाकुर प्रसाद धादव : उस वक्त बोझा ढो रहे थे।

श्री फ० गो० सेन: कितने लोगों को श्राप ने बोझा ढोते देखा उन में कौन कौन कोन श्रे ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : बहुत लोग थे। मैं उन को पहचानता नहीं हूं।

भी फ० गो० सेनं: उन में घ्राप के गांव के लोग भी थे ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : बाहर के मजदूर थे।

श्री फ॰ गो॰ सेन: ग्राप साफ साफ बताइए। मेरा प्रश्नयह है कि उस में ग्राप के गांव के कितने लोग थे?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : गांव के भी कुछ लोग ये ग्रीर बाहर के भी थे।

श्री फ० गो० सेन : उन को ग्रांप ने पहचान लिया होगा।

श्री **ठाकुर प्रसाद यादव : मैं**ने नहीं पहचाना ।

श्री फ॰ गों० सेन : नाम बताइये। जो गांव वाले थे उस मोजू में झूंड में उनके नाम बताइये।

श्री ठाकुर प्रसाद यादवः में नहीं बता सकूंगा। परन्तु उसमें गांव वाले ग्रवश्य थे।

सभापति महोदव : क्यों नहीं बता सकते ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : मैंने उनको पहचाना नहीं ।

भी फ० गो० सेन : श्राप कहते हैं गांव वाले उसमें थे या नहीं, इस में सन्देह था।

भी ठाष्ट्रर प्रसाद यादव: सन्देह नयों मैंने नहीं देखा ।

श्री फ गो० सेन : श्राप कहते हैं कि गांव वाले थे फिर कहते हैं कि कौन थे श्रापको पता नहीं।

कोधरी रणधीर सिंह : ऐसा लगता है कि ग्रसल में ग्राप वहां थे ही नहीं।

भी ठाकुर प्रसाद यादव : जी हां, में नाध पर मौजद था । श्री फ गो० सेन: दरोगा जी जब जाने लगे बांध पर तो वह नदी पार करके भाये। तो बांध पर खड़े होने से नदा से तमाम भादमी पार हो रहे हैं यह दिखाई देता है।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : कीन ग्रादमी पार होता है यह दिखाई नहीं देता है ।

भी फ • गो • सेन : हल्ला तो वहां हो गया होगा कि दरोगा जी भा रहे हैं। वह बांध पर भाए न, भापने उनको देखा ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : बांध भी उत्तर दक्षिण है भीर नदी भी उत्तर दक्षिण है।

भी फ॰ गो॰ सेन : वह खेत तो पहले ही पड़ता है ।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : नदी पार होकर वह खेत पड़ता है । तो दरोगा जी ने खेत काटते हुए देखा। जैसे ही वह खेत के पास आए तो अली हसन भाग गया था?

श्री फ गो० सेन : कितनी देर पहले दरोगा जी के ग्राने के ग्रली हसन भाग गया था ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : दरोगा जी के ग्राने का जैसे हं: मालम हुग्रा तो वह भाग कर श्री तुलमोहन बाबू के यहां चला ग्राया था।

श्रो फ गो सेन : बाकी लोगों को कटाने के लिए कहा गया ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: उन्होंने बोझा ढोना शुरू कर दिय । ग्रस्ती हसन भाग कर चला ग्रया । श्री तुलमोहन बाबू के यहां।

श्री फ गो० सेनः श्रली हसन भाग गया तो बोझा कौन ढोने लगा ?

श्री ठाकुर प्रसाद दादव : मजदूर लोग झली हसन के साथ जो झाए थे वे ढोने लगे।

श्री का गो०सेन : मजदूर गांव के लोग भी थे ? श्री ठाकुर प्रसाद याद : गांव वाले भी थे।

श्री फ गो० सेन: गांव वाले थे ग्रीर ग्राप उन्हें नहीं चीन्हें ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी नहीं।

भी फo गोo सेन : पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा ?

श्री ठाकुर प्रसाद पादव : मैं नहीं ज नता यह तो पुलिस जाने कि उन्होंने क्यों नहीं बोझा ढोने वाले को ग्रारेस्ट किया ।

श्री फ गो० सेन: दरोगा जी ग्रापको क्या बोले ? कुछ ग्रापसे पूछे ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : कुछ नहीं।

भी रा॰ कृ॰ सिन्हा: भ्रापका मकान तुलमोहन बाबू के मकान से कितनी दूर है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : लगभग डढ़ दो सौ गज की दूरी पर है ।

श्री फ॰ गो॰ सेन: 8 बजे से 4 बज तक धान काटा 20 बीघा। तो उतनी देर में वह सब ढोया गया ?

श्री ठाकुर प्रसाद थावव : ढोया ही जा रहा था ।

श्रो फ० गो० सेन: तो दरोगा जी उसको पकड़ने नहीं गये भौर रिसीवर का जो रखवारा था उसने भी शिकायत नहीं की थें।

श्री ठाकुर प्रसाद वादव : वह तो चला गया रिसीवर जो खबर करने के लिए।

श्री फ॰ गो॰ सेन: दरोगा जी जब प्रापके पास भा गये तुलमोहम बाबू तब तक कितनी दूर थे ? भ्रापने कहा कि वहीं पर श्राप भ्रा गये थे भीर दरोगा जी की तुलमोहन बाबू से वार्ता हुई ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : मेरे पास तो दरोगा जी नहीं ग्राये ।

श्री फ० गो० सेन: श्रापने सब वार्तालाप सुना। दरोगा जी से जो गाली-एलौज हुआ वह श्रापने सुना तुलमोहन बाबू वहां श्राये तो श्राप वहां खड़ं थे। दरोगा जी ग्रौर तुलमोहन बाबू भी ग्राये। दोनों में से कौन श्रापके श्रधिव नजदीक ग्राया जहां पर तमाम थे ग्रौर जहां से ग्रापने उनकी बार्ता सुनी?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : वह दोनों तो साथ साथ थे।

सभापति महोदव : कहां से मा रहे थे ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : पश्चिम से ग्रा रहे थे खेत में।

श्री फ॰ गो॰ सेन: बांध पर जब माये तो श्रापने सुना गाली देना ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी हां।

श्री फ० गो० सेन: जब तक लोग बिगड़ नहीं जाते तब तक गाली नहीं दे सकते हैं। तो यह कैसे हुन्ना ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : दरोगा जी ने कहा कि हम ग्रापका घर सर्च करेंगे ग्रली हसन को पकड़ने के लिए ।

श्री फ० गो० सेन: दरोगा जी ने उनको कहा कि झली हसन झापके यहां है ? जो लोग धान लूट रहे थे उन लोगों से नहीं पूछा कि झली हसन कहां है ?

श्री ठाकुर प्रसाद शदव : नहीं पूछा।

श्री फ । गो । सेन : प्राली हसन के बारे में जब उन्होंने कहा कि ग्रापके यहां छिपा हुआ है ? उनको कैसे पता लगा कि वहां है ?

श्री ठाकुर प्रसाद भावच : दरोगा जी जब श्राये तो वह खेत से भाग गया ग्रौर तुल-मोहन बाबू के यहां चला गया।

भी फ॰ गो॰ सेन: बांध पर से साफ मालूम पड़ा कि वहां पर चला गया। श्री ठाकुर प्रसाद धादव : जी हां। तुलमोहन जी ने कहा कि मेरे यहां नहीं है । उन्होंने कहा कि श्रगर नहीं है तो मेरे साथ ग्राप चिलये ग्रपने घर पर, हम देख लेंगे कि ग्रापके घर पर है कि नहीं। इस पर वह बिगड़ गये ग्रौर 'मेरे घर की सर्च नहीं कर सकते बिना बारंट दिखलाये' ऐसा कहने लगे।

श्री फ॰ गो॰ सेन: मली हसन इस तरह की कार्रवाई बराबर करता रहता है। कोर्ट में उसके खिलाफ बहुत से केसेज भी हैं। 1959 के बाद जो कार्रवाई हुई उसके बाद से उनकी कार्यवाहियां कुछ बन्द की। दरोगा जी ने कहा है कि 1959 तक उसके ऊपर जो कड़ी कार्रवाई की गई तो उससे उसकी कार्यवाही बन्द थी। यह सब गोलमाल मारपीट दंगा-फसाद नहीं करता था?

श्री ठाफुर प्रसाद यादव : जी नहीं। उसी के लिए तो वहां मजिस्ट्रेट भी कुम्हरा कैम्प में थे ग्रली हसन को पकड़ने के लिए।

सभापति महोवय : वह सवाल नहीं है।

श्री फ ० गो० सेन: श्रली हसन इस में रिंग लीडर है । जहां सारी जमीन लूटी जा रही थी वहां भी दरोगा जी नहीं गये शौर उन लोगों से भी नहीं पूछा। वह श्रापके पःस शाये?

श्री ठाकुर प्रसाद धादव : हमारे पास श्राने का तो सवाल ही नहीं है ।

श्री फ॰ गो॰ सेन : लूट हो रही थी। धान लूटा जा रहा था। दरोगा जी म्रापके पास माये ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : मेरे पास क्यों आयोंगे ?

श्री फं॰ गो॰ सेन: जो लोगलूट कर रह थे उनके पास नहीं गये। ग्रापके यहां जा कर दरोगा जी नयों खड़े हो गए?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : मेरे यहां क्यों भ्रायेंगे ? मेरे घर नहीं भ्राते ? संभापति महोदय: तो फिर कहां गये ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : वह तो बातें कर रह थे तुलमोहन बाबू थे ।

संभाषित महोदय: तुलमोहन बाबू के घर के सामने जब वह हुआ, दरोगा जी भीर पुलिस वगैरह गये, जब कितने लोग बहां 'पर हाजिर थे उनके घर के ऊपर।

भी ठाकुर प्रसाद बादव : घर के ऊपर बहुत से लोग थे।

सभापित महोदय : कीन कीन थे ?

भी ठाकुर प्रसाव याच्य : 25, 30 भादमी थे ।

सभापति महोदय : श्रापके म्रादमी थे गांव के कौन कौन थे ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : तुलँमोहन बाबू, हरिमोहन बाबू, केवल बाबू, ठक्कन राम, ग्रजुन झा . . .

संभापति महोक्षय : तो उनके घर के थे। बाहर के कौन कौन थे?

श्री ठाकुर प्रसाद थाटव : मुद्रालय सिंवा श्रीर कीन कौन थे में नहीं बता सकता, मेंने नहीं देखा ।

श्री फ गो० सेन: जब तक वार्तां लाप हो रहा था तब तक घान लूटा जा रहा था तो दरोगा जी को देखकर उन लोगों को डर नहीं लगा, केवल श्रली हसन को ही डर समाया ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : वह लोग ढोते रहें ?

श्री फ गो० सेन: स्या श्रापको मालूम है कि तुलमोहन बाबू ने कोई परचा निकाला है ?

श्री ठातृर प्रसाद यादव : जी नहीं मुझे नहीं मालूम । मैंने नहीं सुना कि परचा निकासे हैं। भी फ गो० सेन: दरोगा जी बोले थे कि ग्राप ने हमारे खिलाफ परचा निकाला है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी मैं नहीं जानता । मेंने नहीं सुना ।

श्री फ नो ने सेन : कालेश्वर मंडल को भ्राप पहचानते हैं ? भ्रापका कोई उन से रिश्ता है ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : जी नहीं।

श्री फ० गो० सेन : कालेश्वर मंडल की यहां गवाही देने की बात थी, क्यों नहीं भाये, क्या बात है ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादवः वह बीमार थे।

श्री फ गो० सेन : कालेश्वर मंडल से श्रीर इस जमीन को लेकर क्या मतलब नहीं था?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : कोई मतलब या ?

भी फ गो० सेन: क्या कालेश्वर मंडल से तुलमोहन बाबू का कोई वैमनस्य था?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : जी, कोई वैमनत्य नहीं है।

श्री फ गो० सेन : निन्देश्वरी नानू को ग्राप जानते हैं, सरौर्मा के ?

श्री ठाकुर प्रसाद सादघ : विन्देश्वरी बाबू सरौनी के नहीं हैं । विन्देश्वरी सिंह हैं लउहार के ।

श्री फ० गो० सेन : यह लोग भी वहां ग्रागयेथे।

भी ठाकुर प्रसाव यादव : जी नहीं।

श्री फ॰ गो० सेन : श्रीपत को नहीं जानते हैं श्राप ? श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जी नहीं।

श्री फ॰ गो॰ सेन : महावीर वौधरी को जानते हैं ?

श्री ठाकूर प्रसाद यादव : जी हां।

श्री फ : गो॰ सेन : यह लोग उस वक्त वहां मौजूद थे ?

श्री ठाकुर प्रसार यादव : मेंने नहीं देखा ।

श्री फ॰ गीं० सेन : सीताराम मिल कहांथे?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: श्री तुल मोहन बाबू के घर पर हसेरों के साथ थे। सरौनी में ही इनका घर है।

श्री फ गो सेन : श्राप स्कूल के मास्टर हैं श्राप इसमें कैसे फंस गये ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : हम क्यों फंस गये । में वहां था इसलिये नाम दे दिया।

श्री रा० क्रु० सिन्हाः वैसे श्रापको 6 बज, 8 बजे, 4 बजे का वाक्या मालूस है।

श्री ठाकुर प्रसाद यादव : जब एक ही गांव में घर हो तो सब कुछ मालूम रहता है। दस बज के बाद ग्रींर चार के ग्रन्दर की बात मुझे नहीं मालूम है।

श्री रा० कु० सिन्हा: ताज्जुब है श्रापको जानकारी तो सब है लेकिन साक्ष्य का एक आदमी भी भ्राप नहीं पहचानते ?

श्री फ॰ गो॰ सेन : स्कूल बन्द नहीं हुआ । स्कूल में लड़के गये थे ?

श्री ठाकुर प्रसाद थारव : जी हां । उस गांव में स्कूल नहीं है । जिसमें में पढ़ाता हूं ।

श्री फ गो सेन : सरोनी से लड़के नहीं जाते ? भी ठाकुर प्रसाद यादव : जी नहीं।

चींचरी रणधीर सिंह : ग्राप जिस वक्त ग्रायि थे उस वक्त स्कूल बन्द हो रहा था तो ग्रापके साथ लड़के ग्रा रहे थे ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : बलुहा डेढ़ मील दक्षिण पड़ता है फिर मेरे साथ क्यीं होते लड़के ?

चौधरी रणधीर सिंह : प्रापने कहा है कि स्कूल से जाने का रास्ता वही है।

श्री ठारुर प्रसाद यादव : सरौनी गांव के विद्यार्थी उस स्कल में नहीं पढ़ते ।

चौघरी रणधीर सिंह : इस गाव के लड़के नहीं पढ़ते हैं ?

भी ठाकुर प्रसाद यादव : जी हां, सरौनी स्कल में पढ़ते हैं।

भी फ गो । सेन : कौन सा स्कूल है वहां ?

श्री ठाकुर प्रसाद यादव: सरौनी में मिडिल स्कूल है।

(The witness then withdrew)

(Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, was called in)

सभापति महोवय : श्री कालेश्वर मंडल एक गवाह हैं क्या वह नहीं भाये ?

भी चित्रका प्रसादः हजूर वह बीमार है।

सभापति महोदय: तो फिर म्राप कव उनको बुलायेंगे।

श्री चिन्तिका प्रसाद : 10 दिन के बाद जब भी ग्राप हुक्म दें।

चौंघरी रणधीर सिंह : जिस व्यक्ति की गवाही झभी हुई है बस उसके स्टेटमेंट की काफी इनको चाहिये। श्री चिश्वका प्रसाव : इस स्टटमेंट की एक कापी एस० पी० को, एक इन्स्पेक्टर के यहां, और एक कापी कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट प्रोसीक्यूटर के यहां गयी है । भगर भाप हुक्म दें तो केस रेकार्ड की पूरी कापी पेश की जा सकती है।

बीचरी रजबीर सिंह: प्रगली दफा इस गवाह के स्टेटमेंट की कापी ग्राप ले ग्रायें। Who recorded the statement? You recorded the statement?

SHRI CHANDRIKA PRASAD: No, Sir, the Inspector Police.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Both of them should come.

MR. CHAIRMAN: If there is any contradiction, we shall have to call the witness back again.

You may go.

(The witness then withdrew) (The Committee then adjourned)

Monday, the 31st August, 1970

PRESENT

Shri R. D. Bhandare-Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri Dhireswar Kalita
- 3. Shri C. M. Kedaria
- 4. Chaudhuri Randhir Singh
- 5. Shri P. G. Sen
- 6. Shri Yajna Datt Sharma
- 7. Shri R. K. Sinha

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee-Deputy Secretary.

Shri J. R. Kapur-Under Secretary.

WITNESSES

- 1. Shri Kaleshwar Mandal, V. & P.O. Sarauni, Police Station Mahishi, District Saharsa (Bihar).
- 2. Shri Bindeshwar Prasad Singh, Village Lahuar, P.O. Sarauni, District Saharsa (Bihar).
- 3. Shri Tulmohan Ram, M.P.

The Committee met at 16.00 hours.

Evidence of Shri Kaleswar Mandal

श्री कालेक्टर मंडल : में कालेक्टर मंडल ईश्टर के नाम पर शपथ लेता हूं कि इस मामले में जो साक्ष दूंगा वह सच्चा होगा और सारे साक्ष का कोई ग्रंश झूठा नहीं होगा।

सभापति महोदय : तुलमोहन राम को जानते हो ?

श्री कार्रेडवर मंडल : जी हां।

समावति म ेखः जगन्नाथ प्रसाद को।

श्री फ।लेक्बर मंडल : जी जानता हूं।

सभावित महोदय : ग्रापके ग्रौर तुल-मोहन राम के बीच कितने दिनों से झगड़ा है ?

श्री कालेक्वर मंडल : झगड़ा 13-14 साल पहले हुआ था भीर फिर मेल हो गया था। उसके बाद से कोई झगडा नहीं था। फिलहाल में यह जो झगडा उपस्थित हमा वह एक जमीन को लेकर हम्रा। उस जमीन के सम्बन्ध में इतना ही जानता हूं कि वह जमीन 70-72 बीघा जमीन किसी कायस्य परिवार की थी जो मुजफ्फरपुर जिले का था। वह जमीन मुंशी राजदेवनारायण के नाम से बन्दोबस्त की गई थी। मुंशी राजदेव नारायण ग्रीर कुशंश्वर प्रसाद दो भाई थे। बन्दोवस्त लेने के बाद राज देवनारायण के भाई भीर उनके बहुनोई बासदेव प्रसाद का भी उसमें शेयर लेकिन थे। उस जमीन की रसीद मंशी राजदेवनारायण के नाम से चली मा रही थी श्रीर उसकी फसल जो भी सगे हिस्से-दार लोग थे भ्रापस में बांट लिया करते थे।

यह जमीन लगभग 40-45 वर्ष से उनके कब्ज में रही। मुंशी राजदेवनारायण और तुलमोहन बाबू के जो पिता थे दोनों में प्रन्यय दोस्ती थी। वहां पर मुंशी राजदेव-नारायण की तरफ से खेतीबाड़ी करने के लिये एक श्रादमी नियुक्त कर दिया गया

था। जो भी फत्तल होती थी जसको तुल-मोहन बाबू के पिता सबों को बांट दिया करते थे कि भ्रमुक का इतना हुग्रा। इस तरह से तुलमोहन बाबू के पिता जी जब तक जिन्दा रहे जमीन की दखभाल करते रहे ग्रपने दोस्ताना ढंग से करते रहे। जब उनके बाबू जी मर गये भीर तुलमोहन बाबू के बड़े भाई ठक्कन राम जी उस जमीन की देखभाल करने लगे। सब को उसी तरह यह फसल बांट दिया करते थे।

कुछ दिन बाद उसमें से मुंशी राजदेव नारायण के लडके वैजनाय प्रसाद ने बीघा जमीन हमारे जिला के किसी म्रादमी के हाथों बेच दिया। बाकी जमीन उन लोगों को छोड दिया गया। जो भी जमीन बाकी रह गयी थी तुलमोहन बाबू ने पीछे माकर तीन भाइयों मंशी राजदेव नारायण के जो लड़के होते हैं उन के साथ रजिस्टी करवाई । श्री तलमोहन राम के भाई के नाम से भौर कुछ लोगों के नाम से वह रजिस्टी हुमा है। वह जमीन सहरसा जिले में पड़ती है। मंशी वैजनाथ प्रसाद का घर पड़ता है मुजफ्फरपूर जिले में भीर जमीन रजिस्टीहोती है मुंगेर जिले के बेगु सराय में । जमीन लिखाने के बाद जोगेश्वर प्रसाद का लडका जगन्नाथ प्रसाद और बासुदेव प्रसाद के लड़के ने मिल कर पार्टीशन सुट दायर किया। पार्टीशन सुट होने के बाद उस जमीन में दफा 144 लगी और दफा 145 में रिसीवर के कब्जे में वह जमीन दी गई। रिसीवर ने भ्राकर उस जमीन में लगभग दो बीघा जमीन में ग्रियम धान कटवा कर ले गये भौर बाकी में पछवा धान लगा हुमा था।

श्री फo गोo सेन : जर्म न को ग्राबाद किसने किया जिसने जमीन बोई ?

श्री कालेश्वर मंडल : तुल मोहन बाबू की तरफ से उस धान को बोया गया था 50-51 बीघा जमीन में। जसके बाद तुल मोहन बाबू वहां पहुंचते, गांव पहुंचते थे भीर उस के बाद एक बस्ती में, फिलाई टोला बहुभबड़वा में एक भ्रली हसन नामक डकैत है उन से उन्होंने न मालम क्या बात की 28 तारीख को सुबह यह हमने सुना। 27 नवश्वर, 1969 तारीख को तुस मोहन बाबू सरौनी पहुंचत हैं।

सभापति महोदय : कहां से सरौनी पहुचते हैं ?

भी कालेश्वर मंडल : यह नहीं मालम हमारे गांव से होते हुए वह उन के वहां पहंच भौर वहां जा कर 28 तारीख को सुबह भली हसन भौर उनके गैंग के कुछ लोग हथियारों के साथ हमारे गांव में तुल मोहन बाब के दरवाजे पर पहुंच गये। यह मैन सुना। वहां पर जब पहुंचे उस के बाद सुबह सुबह जा कर 250-300 मजदूर ले कर काटने के लिय गये धान । यह में ने सुना । ग्रली हसन भी भ्राया हमें हमारी बस्ती वालों ने बताया जैसे कमल खिरहर बलराम मंडल दीप नारायण मंडल म्रादि ने बताया । इन्होंने ग्रली हसन को ग्राते हुए देखा था। जसके बाद 8 बजे के लगभग तरकारी धान काटने के लिये बहुत से आदमी और मजदूर वहां से चल पड़े। यह में ने देखा; इस के बाद धान काटने के लिये पहुंचे । प्रली हसन ने पांच छ जगह भी लूट-गांड की थी मजि-स्ट्रट भी दो जगह उसके लिये तैनात किये गये थे।

श्री फ॰ गो॰ सेन : चांर पांच जगह भ्राली हसन न ग्रीर ऐसा किया यह ग्राप बताते हैं। तो वह कौन-कौन सी जगह हैं।

श्री कालेक्बर शंडल : मेरा यह कहना है कि दरोगा जी से मालूम हुग्ना कि ग्रली ने ऐसा किया श्रीर मैं ने सुना भी था।

श्री फ० गो० सेन: इस से ग्राप को कोई मतलब नहीं है। ग्राप तो ग्रली हसन की हिस्ट्रि में जा रहे हैं। ग्राप कहते हैं कि चार पांच जगह ग्रीर उस ने एसा ही किया तो ग्राप को वह जगह मालूम होनी चाहिय। भी कालेक्वर मंडल : वह मुझे जानकारी नहीं है ।

उस के बाद 8 बजे के लगभग धान काट रहे थे । दरोगा जी ग्रनी हसन की बस्ती कुम्हारा में ठहरे थे भौर भली हसन की तलाश में थाना छोड़ कर इलाके की रक्षा करने के लिये भौर उस को पकड़ने के ख्याल से भाये थे। पुलिस को मालुम हुमा कि भ्रली हसन भपने लोगों के साथ सरौनी भाया हमा है। इसलिये उसके पीछे दरोगा जी सरौनी पहुंचे सरौनी पहुंचने पर तुल मोहन बाब से उसके बारे में मालूम हुन्ना कि नहीं यह मुझे नहीं मालूम हम भ्रपन दरवाजे पर बैठे हए थे श्रीर दरोगा जी बांध से उतर कर मेरे दरवाजे पर भाये भौर मुझ से कहा कि भ्राप पंचायत के मुखिया हैं इसलिये ग्राप मेरे साथ चले यहां भली हसन भाया हुमा है उसके खिलाफ पांच छे वारन्ट हैं स्रौर उस को मुझे स्ररैस्ट करना है । धौर तुल मोहन बाबू यहां वह छिपा हुआ है । इसलिय मैं वहां जा कर पकड़ना चाहता हं भ्राप मेरे साथ चलिय।

समापति महोदय: जरा साफ कर दीजिए। तुलमोहन बाबू के यहां छिपा हुमा है इस बारे में प्रापको जानकारी थी?

श्री कालेश्वर मंडल : उन्होंने कहा कि तुल मोहन बाबूके यहां छिपा हुग्रा है। बलराम प्रसाद यादव ने हमसे कहा । पहले ही कह चुके थे कि ग्रली हसन प्राया था। उसके बाद दरोगा जी के साथ हम ग्रपने दरवाजे से चले ग्रीर कुछ ग्रादमी भी हमारे साथ चले । दरोगा जी के साथ ग्रामंड फोर्स के कांस्टेबल भी थे। हम लोग थोड़े ग्रागे बढ़े । हमारा दरवाजा और तुल मोहन बाबू का दरवाजा बहुत नजदीक ही पड़ता था। हम लोगों ने थोड़ी दूर पर देखा कि तुलमोहन बाबू ग्रीर हरिमोहन बाबू ग्रीर केवल राम वगैरह बन्दूक भर करके खड़े हो गये। इनके ग्रलावा वहां पर गणेश्वर, राम जनादंन राब, भागवत राम, भोला

राम, मूदाय राम, अच्छे राम, कुसम खेतब, मंगल खेतब, जिमी लाल मंडल, छत्तर मंडल, अशर्फी मंडल, सीताराम मिश्र, श्रंजून झा, फिर जिमीलाल मंडल ये लोग वहां पर थे। इनके प्रलावा अपरिचित लोगों को भी हमने दखा। इन लोगों के हाथों में लाठी और भाले थे। तमाम पंक्तिबंद हो कर ये लोग खड़े हो गये। तुलमोहन बाबू के घर दरोगा जी हमको लेकर चले थे अब तक तुलमोहन बाबू के आंगन के दक्खिन ये लोग पंक्तिबंद कर लिये।

जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो दरोगा जी कहे 'एम० पी० साहब आपके यहां अली हसन छिपा हम्रा है । म्राप उसको पकडवा दीजिए. वह बदनाम भ्रादमी हैं। तुलमोहन बाब ने कहा दरोगा जी भ्राप एक कदम भी श्रागे नहीं बढ़ सकते हैं। श्रगर एक कदम भी ग्रागे बढ़ाये तो यहां खुन की नदियां बह जायेंगी। लेकिन जब तक दोनों के बातचीत हो रही थी इतनी देर में झली हसन तुलमोहन बाब के भागन से निकल कर घोडे पर चढकर उत्तर तरफ भाग गया । तमाम लोग इधर पंक्तिबद्ध खडे थे । इधर साइड पश्चिम पड़ता है। पश्चिम साइड में पोखर बना है। दरोगा जी से कहा मैंने कि ग्रब तो वहां नहीं रहा अब भ्राप चलिये यहां से यह क्यों परेशान हो रहे हैं।

श्री यज्ञबल शर्मा: इस बीच दरोगा जी ने कुछ नहीं कहा ?

श्री कालेक्बर मंडल : दरोगा को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला । श्रली हसन जब भागापीछे से तो दरोगाजी को न पकड़ने का मौका मिलान कुछ कहने का मौका मिला।

श्री यज्ञ दत्त शर्मा: जैसे दरोगा जी श्रापके पास आये थे तो पुलिस उनके साथ थी। जिस वक्त अली हसन निकला और दरोगा जी और आप लोगों के देखते देखते घोड़े पर सवार हो कर चलने लगा तो घोड़ा पर चढ़ने में एक दो मिनट का समय तो लगता ही है इस बीच दरोगा कुछ नहीं बोले ?

भी सालेक्बर यंडल : हस्तक्षेप करने का मौका नहीं था। वह तो तुलमोहन बाबू के घर पर था और इधर ही वह लोग खड़े हुए थे। वहां से जान में ग्रड़चन थी।

श्री यज्ञवल अर्मा: म्रापको कैसे पता चला कि भाग गया। दौड़ रहा है तो म्रापको दिखाई नहीं दिया। तो म्रापने सुना होगा कि दौड गया है।

श्री कालेक्वर मंडल: हम लोग भी आड़ में थे। जब आंगन से निकल करके बाहर आया तभी वह घोड़े पर चड़ा। इतना मैंबे देखा। दरोगा जी पैंदल थे।

श्री यज्ञदक्त ज्ञामा : उनके पास घोड़ा नहीं था ।

श्री कालिक्बर मंडल : जी नहीं।

श्री **धीरेश्वर कलिता**ः साइकिल भी नहीं थी ।

श्री क। लेक्बर मंडल : जी नहीं थी ।

श्री शीरेडकर कलिता: गांव में किसी भ्रादमी के पास साइकिल नहीं थी।

श्री कालेक्वर मंडल : गांव से निकलने में वह तुरंत घोड़ पर चढ़ने के बाद भाग िनकला ।

सभापति महोदय : ग्राप बोले कि चिलए काहे के लिये यहां रूकिएगा । जिसको ग्राप पकड़ना चाहते थे वह तो निकल गया ?

श्री कालेंदबर मंडेल : जी हां।

सभापति महोदय : आगे स्या हुआ ।

श्री कालेड़बर मंडल : इसके बाद हम प्रपने घर चले गये । जो हम एक गवाह के रूप में पालियामेंट के सामने ग्राये हैं मेरी जो एक कमी है वह मैं कह देना चाहता हूं। हमारे उपर तुलमोहन बाबू के भाई ने ग्रीर दरोगा जी के खिलाफ एस र डी श्रीर के यहां मुकदमा किया । सभापति महोदव : ग्रापके खिलाफ :

श्री कालेक्वर मंडल : हमारे खिलाफ श्रीर दरोगा जी के खिलाफ तुलमंहिन बाबू ने जिख कर दिया है एस० पो० के सामने । मेरे खिलाफ पालियामेंट में भी लिखकर दिया है ।

१.भापित महोदय : ग्रापने उनकी फसल काटी है इसलिये उन्होंने (तुलमोहन बाबू) ने शिकायत की है । ग्रापके खिलाफ यह शिकायत है कि ग्रापने उनकी फसल काटी है ?

भी कालेक्वर मंडल : जी हां।

श्री रा० कृ० सिन्हा : सन् 1965 में ग्रापके ग्रादिमियों ने क्या तुलमोहन राम के साथ मारपीट की थी ग्रीर उनके घर में घुनेथे।

श्री कालेक्ट मंडल : तुलमोहन बाबू के परिवार से ग्रीर मेरे परिवार से या हम से एक जगह रहने के बाद झगड़ा झंझट हो ही जाता है ग्रीर यह मुकदमा हो कर के फिर हम लोगों में ग्रापस में बहुत मेल हो गया।

श्री रा० कृ सिन्हा : श्राप गांव के मुखिया हैं ग्राप के खिलाफ तुलमोहन बाबू के भाई से चुनाव हुग्रा था । क्या यह भी सच है कि इलेक्शन का झगड़ा झभी भी चल रहा है।

श्री कालेक्वर मंडल : जी हां, हम ग्रीर वह दो पार्टीज में थे।

श्री रा० हु । सिन्हा : क्या ग्राप के क्षेत्र में चार हरिजन मजदूर थे जिन्होंने ग्राप के खिलाफ शिकायत की है कि ग्राप ने उन को पैमा नहीं दिया ।

श्री कालेक्वर मंडल : यह में कहन ही जा रहा था कि जो मेरे खिलाफ तुलमोहन बाबू ने मजदूरों से मुकदमा करवाया श्री रा० कु० सिन्हा : यह जो बारदात हुई है जब म्नली हसन पकड़ा गया उसके पहले की शिकायतं है या उसके बाद की ? इलेक्शन कब हुम्रा ?

श्री कालेश्वर मंडल : इस के बाद से । इलेक्शन बाद में हुआ।

श्री रा० कु० सिन्हा: जब ग्राप दरोगा के साथ गये तो मुखिया थे। चुनाव में 1968 में ठक्कन राम से ग्राप का विरोध था? 1968 से विरोध चल रहा है?

श्री कालेक्वर मंडलः उस के बाद तो दोस्ती हुई कोई झगड़ा था ही नहीं।

श्री घीरेक्वर कलिता : तुलमोहन राम हरिजन हैं ?

श्री कालेश्वर मंडल : जी हां । हम जादव हैं।

भी रा० कृ० सिन्हा : भाप ने तुल-मोहन राम का खेत लूटा या नहीं लूटा ऐसा कोई मुकदमा भ्राप पर है ?

भी कालेक्बर मंडल : तुलमोहन बाबू हमारे ऊपर केस दायर किये कि कालेश्वर मंडल, हमारे धान को लूट ले म्राये।

श्री रा॰ कृ॰ सिन्हा: 1956 में ग्रीर 1968 में झगड़ा हुग्रा फिर मल हो गया ग्रीर फिर झगड़ा हो गया।

श्री कालेक्वर मंडल : झगड़ा हुमा इसी केस में । जब दरोगा जी वहां गये उसी रोज की यह घटना है । : 8 तारीख की ही यह घटना है ।

चौधरी रणधीर सिंह : ग्राप के घर से जहां धान काट रहे थे वह जगह कि नी दूर है गांव से ?

श्री कालेक्ट मंडल : गांव से लगभग डेढ़ या दो मील है। चौभरी रणभीर सिंह : इस थानेदार से पहले साम की कोई वाकितयत थी ? इस का साम के पास साना जाना था ?

श्री कालेडबर मंडल : जी नहीं । मेरी थानेदार से पहले कोई वाकफियत नहीं थी ।

चौंबरो रणधीर सिंह : ग्रौर कितने मुकदमों में ग्रापं गवाह हैं ?

श्री कालेक्बर मंडल : कहीं नहीं हैं।

चौधरी रणधीर सिंह : जो 145 का मुकदमा चल रहा है उस में स्नाप, स्नाप का स्नड़का सुखदेव मंडल स्नौर स्नाप का भतीजा भी गवाह है ।

श्री कालेक्वर मंडल : न हम भीर न मेरा लड़का गवाह है । मेरा भतीजा कहीं गवाह हो सकता है ।

चीवरी रणधीर सिंह : इस मुकदमें में जो आप गवाही दे रहे हैं उस में आप भी तो गवाह हैं। पुलिस में भी आप का ब्यान है। जो आप ब्यान दे रहे हैं जिस मुकदमें में इस में पुलिस ने आपका यान लिया है।

श्री कालेडबर मंडल : तीन मुकदमों की इनक्वायरी में इंस्पेक्टर साहब धाये थे। हम गवाही सिर्फ इस में दिये हैं। दरोगा जी ने जो केस किया कि तुल मोहन बाबू दन्दूक ले कर के ध्रली हसन को पकड़ने नहीं दिया में सिर्फ उस में ही गवाह हं।

चौबरी रणभीर सिंह : 145 का जो मुकदमा है इस में प्राप का व्यान है उसकी कापी हमारे पास है श्राप, श्राप का लड़का और श्राप का भतीजा, तीनों गवाह हैं? यह सही बात है या गलत है इस का जवाब दीजिए हां या नहीं में।

श्री कालेश्वर मंडल : मुझे यह मालूम नहीं कि मेरा भतीजा और मेरा लड़का गवाह हैं । लेकिन में गवाह नहीं हूं भ्रन्डर 145 भाफ दी किमिनल प्रोसीजर कोड प्रोसीडिंग्स। चौधरी रणबीर सिंह: इलेक्शन पर्टी-शन जो ग्राप के खिलाफ है वह ग्रव भी पेंडिंग है क्या?

श्री कालेक्वर मंडल : वह तो झगड़े के बाद इलेक्शन हुआ है ?

चौघरी रणधीर सिंह : तुल मोहन बाबू के भाई ग्राप के खिलाफ चुनाव में खड़े हुए थे उन की इलेक्शन पटीशन ग्राप के खिलाफ चल रही है कि नहीं ?

सभापति महोदय : 1968 में जो चुनाव हुमा है उस में कहीं कोई कानूनी गड़बड़ लेकर कोई म्रापके चुनाव के मताल्लिक मामला चल रहा है कि नहीं ?

श्री कालेक्वर मडल : जी नहीं।

चौधरी रणधीर सिंह : ग्राप ने यह माना है कि ग्राप के ग्रीर तुल मोहन बाबू के भाई ठक्कन राम के दीमयान चुनाव हुग्रा था। तो उस की कोई इलेक्शन पटीशन चल रही है या नहीं ?

क्रीभरी रणभीर सिंह : बस चल रही है 1970 में ।

चौधरी रणधीर सिंह : तुम्हारी कोई इलेक्शन पटीशन इलेक्शन के सिलिमिले में चल रही है कि नहीं, इस का सीधा जवाब क्यों नहीं देते ।

श्री कालेक्वर मंडल : मेरे श्रीर तुल मोहन बाबू के भाई के दीमयान इलेक्शन पटीशन पेंडिंग है।

चौधरी रणधीर सिंह : कितने ब्रादमी होंगे जिस बक्त थानेदार को लेकर तुल मोहन के मकान पर गये थे । कितने ब्रादमी वहां इकट्ठे हो गये ? थानेदार ब्रापके मकान पर ब्राये और ब्रली हसन को तलाश करने के लिये क्योंकि ब्रली हसन तुल मोहन राम के घर में है तुम थ नेदार के साथ वहां गये तो जो तुम बताते हो कि ब्रादमी भाले और बन्दूक लिये हुए थे तो वह कितने ब्रादमी थे ? भी कालेश्वर मंडल: लगभग 30, 40 मादमी होंग ।

चीवरी रणधीर सिंह : उन के पास कितनी बन्दूकें थीं ?

श्री कालेक्वर मंडल : सिर्फ तीन बन्दूकों हमने देखीं ।

चैक्ष्यरी रणबीर सिंह : उधर से जो तुम्हारे साथ ग्रादमी थे उन में सिर्फ पुलिस वालों के पास बन्दूकों थीं ?

श्री कालेक्वर मंडल ः जी हां, पुलिस के पास बन्दूकें थीं ।

चौधरी रणभीर सिंह : ग्राप के साथ कितने ग्रादमी थे ?

श्री कालेक्वर मंडल : हमारे साथ तीन-चार ब्रादमी गये थे ।

चौबरी रणधीर सिंह : श्राप का 29-11-69 का पुलिस के सामने बयान है जिसमें कहा है कि थानेदार के साथ जो हम गये उसमें यह यह श्रादमी थे, जिन के श्राप ने नाम दे रखे हैं। 15 श्रादमियों का नाम श्रापने लिखा रखा हैं। श्रीर श्रव कहते हैं कि तीन चार श्रादमी गए थे। तो दोनों में कौन सी बात ठीक है।

श्री कालेक्बर मंडल ः जी हां । हमारे साथ यहां चार ग्रादमी गये फिर एक-एक करके ग्रादमी वहां पहुंचे ।

चौधरी रणधीर सिंह : पुलिस को भ्रापने जो भ्रादमी बताए हैं वह ठीक है या जो भ्रव कह र हो, 4 भ्रादमी, यह बयान ठीक है ?

श्री कालेश्वर मंडल : सारे न्नादमी मेरे साथ नहीं गये। पहले कुछ न्नादमी गये ग्रीर उसके बाद में ग्रीर फिर कुछ न्नादमी ग्राये उन सबां के नाम हमने दर्ज करवाये। चौघरी रणधीर सिंह: थानेदार के साथ पुलमोहन राम के घर पर 3 धादमी साथ थे या पुलिस में जो तुमने बयान दिया है जिसमें 12-13 धादमियों के नाम हैं और उसके धलावा भी कुछ धादमी हैं वह बयान ठीक है।

भी कालेक्टर मंडल : मुझे ठीक याद नहीं है ।

भी भीरेक्वर भिलता : तुलमोहन राम हरिजन हैं ?

श्री कालेक्बर मंडल : जी हां।

श्री धीरेक्वर कलिता : सरौनी गांव में हरिजन कितने हैं और दूसरे लोग कितने हैं, मेजोरिटी किनकी है ?

श्री कालेक्वर मंडल : हरिजन कम हैं पिछड़ी जातियां ज्यादा हैं।

श्री शीरेश्वर कलिता : 50 बीघा जमीन का वह प्रपना जेत लगाया यह बात ठीक है ?

श्री कालेक्वर मंडल : जी हां।

श्री श्रीरेक्टर कलिता: उस जमीन पर किस लिए झगड़ा हुग्रा है ?

श्री क। लेक्वर मंडल : 44 के मन्दर लगा है। दोनों पार्टियों ने भ्रव 45 लगाया है।

श्री घीरेव्वर कलिता : बेत भी उसका है भीर रुपया भी उसका है तो झगड़ा क्यों किया ?

श्री कालेश्वर मंडल: उन लोगों का भी उसमें शेयर है। ये पहले दावा किये हुए हैं इसलिये उन्होंने 44 किया था और वह 44 ब्रब 45 में परिणित हो गया है?

श्री श्रीरेक्टर कलिता : गांव के खेत पर काम करने वाले मजदूर कितने हैं ? भी कालेडबर मंडल : सब तो खेत पर काम करने वाले होते हैं।

भी यज्ञदत्त प्रार्मा: मजदूरों का मतलब उसके घर की खेती नहीं है।

भी कालेश्वर मंडल : वहां खेतिहर मजदूर हुम्रा करते हैं ।

सभापति महोदय : कितने लोग हैं खेतिहर मजदूर ?

भी कालेक्वर मंडल : में नहीं बता सकता हूं।

श्री धीरेक्वर कलिता : हरिजन के भलावा ग्रीर लोग जैसे खेनबे होता है वह भी करता है ?

श्री कालेक्ष्यर मंडल: हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते।

श्री धीरेव्यर कलिता : ग्राप मजदूरों से खेरी करवाते हैं या खुद करते हैं ?

श्री कालेक्वर मंडल : हमारे परिवार के लोग हल भी चलाते हैं ग्रपने हाथ से भी खेती करते हैं और मजदूर भी करते हैं।

श्री **घीरेश्वर कलिता** : ग्रापकी जमीन कितनी है ?

श्री कालेक्वर मंडल : हमारे पास 20-25 बीघा है ।

श्री श्रीरेक्षर कलिता : कितने ग्रादमी खेती करते हैं, हल जोतते हैं, ग्रापके घर में ?

श्री कालेक्ष्यर मंडल : हमारा लड़का है, भतीजा है, हल चलाता है ।

भी घेरेश्वर कलिता : स्कूल में नहीं पढ़ता है ?

श्री कालेश्वर मंडल : एक लड़का है जो सर्विस में है ब्रीर दूसरा बेती करता है।

सभापति महोदय : कौन सी सर्विस में $\hat{\mathbf{r}}$?

भी कालेश्वर मंडल : प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं।

श्री बोरेक्बर कितता : मजदूर ने प्रापके नाम पर शिकायत किया है कि प्रापने उनको मजदूरी नहीं दी ?

भी कालेक्वर मंडल : यह सब हुजूर केस चलने के बाद हुमा । यह जो मुखिया का इलैक्शन हुमा, यह सब करवाया गया है, तुलमोहन बाबू ने किया है ।

श्री **भीरेश्वर कलिता** : ग्रापके खिलाफ शिकायत है कि ग्रापने मजदूरी नहीं दी है ?

भी कालेश्वर मंडल : जी हां।

श्री यज्ञवस शर्मी : प्रापके गांव की स्रावादी कितनी है ?

श्री कालेश्वर मडल : 13-14 सौ के लगभग है ।

श्री यज्ञवत्त शर्मा : ग्रापके गांव में ग्राम पंचायत के कितने सदस्य हैं ?

श्री कालेक्वर मंडल : ग्राठ सदस्य होते हें ।

भी यज्ञवत्त शर्मा : ग्राप इसको शास्त्र क्यों बनाते हैं । सीधा सा प्रश्न है कि ग्रापके ग्राम पंचायत के सदस्य कितने हैं ?

भी कालेक्टर मंडल : ग्राठ सदस्य हैं।

श्री यज्ञवत्त शर्मः : यह थानेदार जिस समय व ं पर पहुंचा था तो सामान्य बृति रहती है कि एम॰ पी॰ के घर जा रहा हूं श्रली हसन को पकड़ने के लिए जो श्रापके साथ उनकी पुरानी मुकदमेबाजी थी, तो श्रापके श्रतिरिक्त जो 8 सदस्य पंचायत के हैं उनमें से कुछ मेम्बरों को उसने श्रपने साथ लिया ?

श्री कालेश्वर मण्डल : जी नहीं ।

भी यज्ञदत्त शर्मा: केवल श्रापके ही मकान पर जाकर पहुंचे ?

भी कालेक्बर मंडल : जी हां।

श्री फ० गो० सेन : ग्रापने कहा कि 13-14 वर्ष पहले ग्रापसे तुलमोहन बाबू का झगड़ा हो गया था। कैसा झगड़ा था ग्रीर किस मुताल्लिक था ?

श्री कालेक्सर मंडल : ग्रव उस झगड़े के सबन्ध में मुझे याद नहीं है ।

श्री फ॰ गो॰ सेन: जमीन का झगड़ा नहीं था?

श्री कालेश्वर मंडल : क्या झगड़ा था ख्याल नहीं है; जमीन का नहीं है।

श्री फ॰ गो॰ सेन : झगड़े वाली जमीन जो है उसमें 15 बीघा जमीन पहले बांटी जा चुकी थी । यह 15 बीघा जमीन राजदेव बाबू ने बेची ?

श्री कालेश्वर मंडल: उनके लड़के ने।

श्री फ गो सेन : राजदेव मौजूद नहीं है ?

श्री कालेश्वर मंडल : जी नहीं, मर गये हैं। उनके लड़के बैजनाथ बाबू ने बेची।

श्री फ॰ गो॰ सेन : यह जो 15 बीघा जमीन बेची थी, उस समय उन लोगों ने इतराज नहीं किया ? उस समय इस सम्पत्ति का बटवारा नहीं हुआ था ?

श्री कालेश्वर मंडल : जी बटवारा नहीं हुम्राथा ।

भी फ०गो० सेन: कव बटवारा हुग्रा?

श्री कालेश्वर मंडल : बटवारा हुआ ही नहीं।

श्री फ॰ गो॰ सेन : सर्वे जो हुग्रा है उसमें क्या हुग्रा ?

श्री कालेक्बर मंडल: सर्वे के पहले उन्होंने बेच लिया। ग्रीर सर्वे के समय ग्रा कर के तुलमोहन बाबू और जो पार्टी थी यह लोग अपना अपना सबूत देते थे सर्वे अफसर के सामने । अब क्या हुआ मैं नहीं जानता क्या फैसला हुआ में नहीं जानता ।

भी फ• गो॰ सेन : जो दूसरे फरीक हैं जिन्होंने 144 लगाया है उन लोगों में सर्वे के टाइम में भ्राकर भ्रपना श्रीवजक्शन दिया कि नहीं ? भ्रगर दिया है तो किस विषय में दिया ?

श्री कालेक्बर मंडल : जी हां, दिया है। विषय मुझे नहीं मालूम है कि किस विषय में ग्रीबजक्शन दिया है।

श्री फ ॰ गो॰ सेन : सर्वे के टाइम में उन की जमीन का बटवारा नहीं हुआ । जिसके नाम से जमीन थी उस का रेकार्ड भ्राफ राइट तैयार हुआ था कि नहीं भ्रलग-

श्री कालेश्वर मंडल : वह लोग ग्रपनी दर्खास्त दिये थे । लेकिन उसके बाद क्या फैसला हुम्रा यह मुझे नहीं मालूम ।

श्री फ॰ गो॰ सेन : ग्रापकी श्रपनी जमीन कब हुई है ? उस का सब का मलग-मलग रेकार्ड माफ राइट बन गया है ?

भी कालेखर मंडल : जो जो थी, वह सब बन गया । ग्रीर इलाके का भी बन गया होगा ।

श्री फ । गो । सेन : लेकिन इस जमीन का पता नहीं है कि रेकार्ड ग्राफ राइट तैयार हुमा है कि नहीं ?

श्री कालेक्वर मंडल : मुझे नहीं मालूम।

श्री फ० गो० सेन : बैजनाथ बाबू ने सर्वे के बाद जमीन बेची हैं?

श्री कालेक्वर मंडल : सर्वे के पहले उन्होंने बेची है ।

श्री फ • गो • सेन : 15 बीघा जो पहले बैजनाय बाबू ने बेची, उस जमीन पर वासुदेव बाबू ने ऐतराज लगाया कि नहीं ? भी कालेश्वर महल : पार्टीशन सूट में उन पर भी उनका ग्रीबजेक्शन है।

श्री फ॰ गो॰ सेन: 15 बीघा जमीन जब बैजनाथ बाबू ने बेच ली तब वासुदेव बाबू श्रीर उनके लड़कों बच्चों ने, जैसे कि 50 बीघा तुलमोहन बाबू ने खरीद ली उस पर उन्होंने एतराज किया, तो यह जो 18 बीघा की बिक्री हुई है तो उस पर वासुदेव बाबू श्रीर उनके फरीक ने जो 15 बीघा पहले जमीन बिक्री है उस पर श्रीबजक्शन दिया है कि नहीं ?

श्री कालेक्बर मंडल : जी नहीं । उन्होंने कहा कि ग्रपने हिस्सा की जमीन हम बेच चुके हैं ।

भी फ० गो० सेन : 65 बीघा जमीन ही जमा की थी जिसकी रसीद बराबर राजदेव बाबू के नाम से कटती थी ध्रीर बैजनाथ बाबू के लड़के ने बेची 15 बीघा तो शेष जो जमीन बची उसके बारे में वासुदेव वगैरह ने कोई एतराज नहीं किया सभी जायिज एकरार देदी कि इसमें हम लोगों का कोई नहीं है ?

श्री कासैक्वर मंडल: राजदेव बाबू का लड़का जो बैजनाथ प्रसाद है उन्होंने धपने शेयर होल्डजे बासुदेव धौर जगेश्वर बाबू के लड़कों को कहा कि यह 15 बीघा जमीन हमने धपने हिस्से से बेची है। धब जो जमीन इसमें बाकी बची है धाप लोग उसमें से धपना शेयर ले लें।

श्री फ गो० सेन : बैजनाथ बाबू ने कहा कि हमने ग्रपने हिस्से से बची है यह ग्रापको कैसे मालूम हुन्ना ?

भी कालेक्बर मंडल : एक ही गांव में रहते हैं। ग्रीबजक्शन के सिलसिले में पूछने पर उन्होंने बताया।

भी फ॰ गो॰ सेन : 15 बीघा में से बैजनाथ बाबू का कितना हिस्सा होना चाहिए ? भी कासेक्बर मंडल : हम यह नहीं बतला सकते ।

भी फ० गो० तेम : 65 बीघा जमीन पर बराबर तुलमोहन बाबू के पिता जी काम्स करते थे ?

श्री कालेक्वर मंडल : काश्त नहीं करते थे। बैजनाथ प्रसाद की तरफ से एक कमितया काम करने वाला था ग्रीर दोस्ती रहने के कारण तुलमोहन के बाबूजी ग्रीर भाई जो भी फसल होती थी जसको बांट कर के सब को भेज देते थे।

श्री फ० गो० सेन : कमितया एक है श्रीर जमीन 65 बीघा थी । तो सवास यह है कि 65 बीघा पर कास्त करने के लिये खाली कमितया से तो काम नहीं चलेगा ।

श्री कालेक्बर मंडल : हम लोग तो यही देखते ग्राये । शुरू में जब कोसी वहां नहीं ग्रायी थी उसके पहले उन लोगों की तरफ से एक नौकर रहता था ।

श्री फ॰ गो॰ सेन: हम यह नहीं पूछ रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि फसल काटने पर आप बराबर जोर दे रहे हैं। फसल कैसे होती थी यह आप नहीं बता रहे हैं।

श्री कालेक्कर मंडल : फसल अपने हल बैल से नहीं करते थे।

श्री फ० गो० सेन: बांट तो दो आद-मियों में होती है । किसी की जमीन हो भौर किसी की खेती हो तभी बांटने का सवाल भाता है । भाप ने कहा कि बराबर दोस्ती थी तो इस से साबित होता है कि तुलमोहन बाबू के पिता जी बराबर इस की काश्तकारी देखा, थे, भ्रपने भाप करते थे ।

श्री कालेक्वर मंडल: ध्रपने ग्राप नहीं करते थे। लोगों से करवाते थे। बटाए करवाते थे; भी फ० गो० सेम: जिन से खेती करवाते थे उन के नाम बता सकते हैं ?

श्री कालेश्वर मंडल : यह में कैसे बता सकता हूं ?

भी फं० गो० सेम : घपने घाप खुद कुछ नहीं करते थे।

श्री कालेक्वर मंडल: तुल मोहन बाबू के जिम्मे काफी जमीन है लगभग सौ डेढ़ सौ बीघा फिर क्यों करेंगे दूसरे का खेत बटाव।

श्री फ०गो० सेन: क्या वासुदेव ने कहा था कि हम को भी हिस्सा दीजिये? क्यों कि बैजनाथ ने अपने हिस्से में से बेच ली बाकी जमीन में हमारा भी हिस्सा है। इसलिये उन्होंने आ कर के कभी तुल मोहन के पिता या बड़े भाई से यह बात कही थी कि बांट हम लोगों को भी मिलना चाहिये?

श्री काले । संख्लः यह जानकारी है हमें कि तुलमोहन राम बाबू के पिता जी धौर उसके बाद तुलमोहन बाबू के भाई ये लोग 30-40 वर्ष से उसकी देखभाल करते थे।

श्री फ॰ गो॰ सेन : यह तो ग्राप मानते हैं कि वह जमीन बराबर उनके मातहत थी। तो जो जमीन से फसल काटते थे वह कौन लोग काटते थे?

श्री कालेश्वर मंडल : उसके लिए उन्होंने एक ग्रादमी नियुक्त किया हुग्ना था।

श्री फ॰ गो॰ सेन: एक ग्रादमी सारी फसल काटता था ?

श्री कालेश्वर मंडल : काटते थे उनके नौकर । मुंशी राजेन्द्र नारायण के, बैजनाथ प्रसाद के, जगन्नाथ प्रसाद के जो नौकर थे ये लोग कटवाते थे । लेकिन दोस्ती होने से तुलमोहन वाबू के पिता जी श्रौर बाद में भाई उसकी देखभाल करते थे ।. श्री फ॰ गो॰ सेन: उतनी जमीन की फसल तुलमोहन बाबू के ब्राटमी नहीं काटते थे।

भी कालेश्व मंडल: कटने के समय में वह खद ग्रा जाते थे।

भी फ॰ गो॰ सेन: इतनी सारी फसल कौन काटते थे खुद थोड़ ही काटते थे?

भी कालेश्वर मंडल: मजदूर काटते थे।

श्री फ० गो० सेन : ये मजदूर कहां के थे?

श्री कालेक्वर मंडल: सर्रनी के मजदूर जो गांव के लोग थे भौर कुछ बाहर के भी मजदूर भ्राकर काट लेते थे।

श्री फ० गो० सेन: ग्रगर तुलमोहन बाबू का खुद काटने का ताल्लुक था तो उनके मजदूर नहीं जाते थे?

श्री कालिक्बर मंडल : जो लोग बट्टेदार थे वे ग्रपने मजदूर लेकर कटवाते थे।

श्री फ • गो • सेन : इसमें कौन से मजदूर ज्यादा थे ग्रापकी तरफ के मजदूर ज्यादा थे या तुलमोहन बाबू के मजदूर ज्यादा थे ?

श्री कालेश्वर मंडल: हमें याद नहीं पड़ता। तीस चालीस वर्ष से यह फसल कटती ग्रा रही।

श्रीफः गो० सेनः द्याप में झगड़ा होताथा?

श्री कालेश्वर मंडल : हम लोगों में बराबर दोस्ती है।

श्री फ० गो० सेन : श्रापने कहा कि श्रापने सुना है कि ऐसा होने वाला है श्रली हसन ग्राने वाला है श्रीर धान लूटने वाला है ? श्री कालेश्वर मंडलं : भ्राली हसन भ्राया यह खबर हमें मिली। 28 तारीख की सुबह में भ्रागया है यह खबर हमें मिली।

श्री फ॰ गो॰ सेन : इसके बाद जो खबर त्राप को ति ग्रली हसन गाया है तो तह खत ग्रापके घर से नजर ग्राता है कि नहीं ? ग्रापके दरवाजे से वह खेत कहा पर है ?

श्री कालेश्वर मंडल : मेरे दरवाजे के आगे नदी का बांध बना हुआ है भौर हम को देख नहीं सकते हैं।

श्री फ ० गो० सेन: दरोगा जी म्नाप के यहां म्रा गयें। म्नापने जो सुना कि मली हसन म्राया हुमा है तो उसके कितने देर बाद दरोगा जी म्नायें?

श्री कालेश्वर मंडल : वह ग्राये 6 बजे सुबह (ग्रलीहसन) ग्रीर दरोगा जी हमारे यहां 4 बजे पहुंचे शाम ।

श्री फ॰ गो॰ सेन : इतनी देर भ्रली हसन कहां था ?

श्री कालेक्वर मंडल: ध्रली हसन धान कटवाने के लिए गए होंगे।

श्री फ० गो० सेन: ग्राप दरोगा जी के साथ वहां चल दिये तो दरोगा जी 3-4 ग्रादिमयों को लेकर ग्रागे बड़े। ग्रापने वहा कि 30 ग्रादिमयों को ग्रापने खड़ा देखा तुलमोहन जी के दरवाजे पर लाठी लिये हुए तो ग्राप उस वक्त खेत की तरफ नहीं देखें?

भी कालेश्वर मंडलः खेत बहुत दूर पड़ता है ।

श्री फ ॰ गो ॰ सेन ः लोग वहां पर खड़े क्यों थे जब कि धान लूटने का सवाल है ?

श्री कालेक्टर मंडल: जी नहीं, धान लूटने की घटना जो कुछ भी हो वह तो हमारे गांव के मील डेढ़ मील पर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और दरोगा जी को जरूरत नहीं थी। वह तो झली हसन को पकड़ने के लिए उसकी तलाश में हमारे दरवाजे पर झाये?

श्री फ॰ गो॰ सेनः यह बात तो सही है कि अली हसन को लेकर धान काटा गया ?

श्री कालेश्वर मंडल : यह बात हमने सुनी है देखा नहीं है ।

श्री फ॰ गो॰ सेन: तो म्रली हसनं को खेत पर ढूंढने के बजाय भ्रापके यहां दरोगा जी क्यों भ्राये ?

श्री कालेश्वर मंडल: जहां पर वह खेत है भीर जिस रास्ते से दरोगा जी भ्रा रहे थे उस खेत के नजदीक ही नदी का चैनल बहता है । वह चैनल पर जब दरोगा जी भ्रा रहे थे तब ये लोग देख लिये कि दरोगा जी भ्रा रहे हैं। उस वक्त भ्रली हसन भ्रौर दूसरे लोग भाग निकले।

सभापति महोदय : ग्रापको कैसे पता ?

श्री कालेक्वर मंडल: यह मुझे लोगों से मालूम हुन्ना।

सभापति महोदय : लोग जी बोलते थे वह सुना म्रापने ?

श्री कालेक्वर मंडल : जी, वहीं।

श्री फ० गो० सेन: ग्रली हसन घोड़े पर चढ़ कर चला गया।

श्री कालेश्वर मंडल : घोड़ा दरवाजे पर था ही।

भी फ॰ गो॰ सेनः प्रलाहसन के बारे में क्या कहादरोगा जी ने तुलमोहन बाबू को ? श्री कालेक्वर मंडल: एम० पी० साहब आपके यहां भ्रली हसन आया हुआ है जिसके कि ऊपर वारंट है । उसे आप मुझे पकड़वा दीजिए। तुलमोहन बाबू कहे—दरोगा जी आप एक कदम आगे बढ़ाये तो यहां खून की नदी बह जाएगी। आप भन्दर नहीं जा सकते।

श्री फ० गो० सेन: यह तो इस का जवाब नहीं हुमा । माप ठाकुर प्रसाद यादव को पहचानते हैं ? व वहां पर थे ?

श्री कालेक्टर मंडल : जी हां । मेरे साथ वह भी गये हुए थे ।

श्री फ **गो० सेन**: ग्राप के घर पर से भाप के साथ ही गये थे?

भी कालेक्वर मंडल : जी हां। वह तो दरोगाजी के साथ ही मायेथे।

MR. CHAIRMAN: Mr. Sen, they have given the reply that Tul Mohan's house is just near.

SHRI P. G. SEN: That is not the point. Thakur Prasad has come with him. But in his statement when you cross-examined him, he said......

MR. CHAIRMAN: You cross-examine him. It is for us to find out the discrepancy.

श्री फ॰ गो॰ सेन: कोई पर्चानिकला था?

श्री कालेक्वर मंडल : यह मुझे नहीं मालूम है ।

श्री फ॰ गो॰ सेन : जहां तुल मोहन बाबू से बातचीत होने लगी वहां दरोगा जी कितनी देर ठहरे ?

श्री कालेक्बर मंडल : टाइम तो निश्चित नहीं बता सकता । पांच, सात, ग्राठ मिनट रहे होंगे । भी फ गो० सेन : फिर कहां गये ?

भी कालेंदबर मडल : मेरे साथ दरवाजे पर चले श्राये ।

श्री फ॰ गो॰ सेन : वह क्या बोले ?

श्री कालेक्टर मंडल : ग्रली हसन को ग्ररेस्ट करने के लिये ग्राये हैं।

श्री फ० गो० सेन: 1959 में ग्रली हसन को कहा जाता है कि उस के ऊपर केस चला उस के बाद व ठंडा रहा। तो फिर ग्रली हसन को गरेस्ट करने के लिये उस के घर पर क्यों नहीं गये दरोगा जी?

सभापति महोवयं : इतनी गहराई में जाने की ग्रावश्यकता नहीं है ।

म्राप यहां गवाही देने के लिए म्राए म्राप की बड़ी मेहरवानी है । धन्यवाद ।

(The witness then withdrew)

Evidence of Shri Bindeshwar Prasad Singh

संशापित महोदय : ग्रव दूसरे साक्षी श्री विन्देश्वर प्रसाद सिंह को बुलाया जाय।

(The witness came and took the oath).

सभापति महोदयः जो भ्राप को कहना हो कहिये।

श्री विन्देश्वर प्रसाद सिंह: 28-11-69 दिन शुक्रवार की बात है . .

सभावित महोदय: तुलमोहन राम जी को ग्राप जानते हैं ? श्रीर दरोगा जी श्री चन्द्रिका प्रसाद को जानते हैं ?

शी बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : जी हां दोनों को जानते हैं।

सभापति महोदय : कालेश्वर मंडल को जानति हो ? यदि हां तो कैसे जानते हो ?

भी बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : हमारा गांव लहहार सरोनी से सटा हुआ है और हमारी जमीन सरोनी गांव में पड़ती है। में भ्रपना धान काटने के लिये गुक्रवार 28-11-69 को सरोनी गाँव भ्राया हभा था। में करीब चार बजे कोसी तट बांध पर था क्योंकि हमारा बोझा बेत से उधर होकर माना था। मैंने देखा कि तुलमोहन बाबू भ्रपने घोड़े पर सवार हो कर तट बांध से पश्चिम जा रहे थे। श्री चन्द्रिका प्रसाद, दरोगा श्रीर पांच कांस्टे-बिल बन्द्रक वाले भीर एक थाने का सिपाही भा रहे थे पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ मेंने देखा कोसी बांध से जो नजदीक था तूल-मोहन राम, एम० पी० को निकलते। ग्रश्रंश गाली गलोच दी गयी। दरोगा जी ने उन को घोड़े से उतार दिया भीर एक बन्द्रकधारी पुलिस वाले ने उन को पकड़ कर के उन का घोड़ा एक सिपाही लिये हुए कोसी तट बंध पर पहुंचे । वहां दोनों मादिमयों में बातचीत हुई। दरोगा जी ने कहा म्राप धान को लुटवाते हैं। सुलमोहन राम ने कहा में क्यों धान लुटवाऊंगा । तब उन्होंने कहा एक परचा मेरे नाम का भ्राप ने छपवाया है। उस पर तुलमोहन बाबु ने कहा कि यह बात एक दम गलत है । में भ्राप को विश्वास दिलाता हुं कि एम० पी० के नाते कि यह एक दम झुठ है। इस पर दरोगा जी ने कहा कि तुम जैसे बहुत एम० पी० को देखा है । बाद में दरोगा जी ने यह भी कहा कि सभी एन० पी० का झुठ बोलना काम है भीर झुठ बोल कर भ्रपनी राजनीत का काम करते हैं तुम्हारे जैसे डोम, चमार बहुतों को देखा । बाद में दरोगा जी उन को लेकर बन्दूकधारी सिपाहियों के साथ धागे बढ़े। इन का मकान बांध से सटा हुआ है। इनके मकान से कुछ ही दूर रहने पर इन के डांड में रस्सी लगा दी गयी बांध से नीचे उतरने के बाद इन के घर पहुंचने से कुछ इधर ही भौर दक्षिण की तरफ लेकर चले। उस के बाद देखा कि गांव के बहुत से लोग दौड़े, बहुत से लोग जमा हो गये। हम कोसी बांध पर थे चुंकि

हमारा बोझा जा रहा था इसिलये हम नहीं भा सके। भीर यह भी देखा कि एक बहादुर ठाकुंर जी, जो हमारी पंचायत परिषद के सभा-पति हैं, वह भी बिचारे उसी रास्ते होकर के लोगों की ग्राम पंचायत में संगठन के लिये लहहार जा रहे थे।

सभापति महोदय : क्या नाम है उनका ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : बहादुर ठाकुर । उन्होंने दरोगा जी से कहा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं । दरोगा जी ने उनको कहा—आप भी ऐसा बोलियेगा तो ग्रापको भी ऐसा ही करेंगे । इस डर के मारे में भी कुछ कहने से लाचार हो गया । इस बात को ले कर उस इलाके में बहुत बड़ी सरगर्मी हुई । बाद में हम लोगों को पता लगा कि तुलमोहन राम के गांव के लोगों के कहने के मुताबिक बाद में छोड़ दिया । उसके बाद हम ग्रपने घर चले गये ।

जीपरी रजबीर सिंह : श्रापने किसी भ्रली हसन नाम के भ्रादमी को गांव में देखा ?

श्री बिन्वेश्वर प्रसाद सिंह: ग्राली हसन का घर हम लोगों के घर से करीब 12—14 मील पश्चिम कोसी घाट के उस पांहै। उस दिन ग्राली हसन का कोई सम्बंध ही नहीं था। हम लोग धान कटवा रहे थे।

चौंघरी रणधीर सिंह : जो धांन कटवा रहे थे वहां ग्रंली हसन नहीं था ?

श्री बिन्देइवरी प्रसाद सिंह : जा नहीं। चौषरी रणबीर सिंह: मुलमोहन राम के घर में भी स्रली हसन नहीं था।

श्री विदेश्वर प्रसाद सिंह: जी नहीं। चौधरी रणधीर सिंह: तुलामोहन राम ग्रीर उन के ग्रादिमयों के हाथों में बंदूकें ग्रीर भाले ग्रादि तं। नहीं थे ?

श्री बिदेश्वरी प्रसाद सिंह : जी नहीं चौषरी रणधीर सिंह : थानेदार ने तुलमोहन राम के घर में तलाशी नहीं ली ?

भी विग्वेश्वर प्रसाद सिंह : जी नहीं ।

चौधरी रणधीर सिंह : स्नापके गांव के प्रधान जो कालेश्वर मंडल हैं उनके सौर तुलमोहन राम के ताल्लुकात कैसे हैं ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : 12-14 वर्ष से उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ करता है। ताल्लुकात इनके खराब हैं।

चौघरी रणधीर सिंहः मुकद्में चलते हैं ?

भी बिन्देवर प्रसाद सिंह : जी हां।

चौषरी रणधीर सिंह : भ्राप हरिजन है ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : जी नहीं हम लोग राजपूत हैं।

चौधरी रणधीर सिंह : कालेश्वर मंडल जो हैं वह महीर हैं यादव हैं ?

थी विन्देक्वर प्रसाद सिंह: जी हां।

चौधरी रणधीर सिंह : उनके ताल्लुकात कैसे हैं ?

श्री िन्देश्वर प्रसाद सिंह : मंडल ग्रौर जो दूसरी जातियां हैं उनके बीच में ताल्लुकात ग्राच्छे नहीं हैं।

चौधरी रणधीर सिंह : गांव के ठाकुर प्रसाद जो हैं, वह क्या करते हैं ?

भी बिन्वेश्वर प्रसाद सिंह : ठाकुर प्रसाद मंडल शिक्षक हैं ?

चौधरी रणधीर सिंह : वह गांव से कितनी दूर पढ़ाते हैं ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : 14-15 मील दूर पढ़ाते हैं ?

चौषरी रणधीर सिंह : गांव के लड़के पढ़ने जाते हैं ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह: जी नहीं।

श्रीघरी रणधीर सिंह : वहां के स्कूल से भगर गांव भागें तो जहां धान लुटा, यह रास्ते में पड़ता है कि नहीं ।

भी विन्देश्वर प्रसाद सिंह : जी नहीं।

चौधरी रणबीर सिंह : वह गारटर और तुलमोहन राम, एमं० पी० के ताल्लुकात कैसे हैं ।

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : दोनों में दुश्मनी है ।

चौषरी रणबीर सिंह : कैसी दुश्मनी है ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : हरिजन लोगों को मंडल लोग दवाते हैं।

चौधरी रणधीर सिंह : वह मास्टर कौन सी बिरादरी के हैं। ठाकुर प्रसाद क्या मंडल बिरादरी के हैं?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : जी हो ।

चौधरी रणधीर सिंह : जो दरखास्त एम 0 पी 0 ग्रीर उनके लोगों ने दी कि हमें बांध लिया । यहां तुम भी हाजिर हुये ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : जी नहीं, हम वहां नहीं थे ?

श्री यज्ञवत्त शर्मा : कालेश्वर मंडल को ग्राप जानते हैं ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : जी हां ।

श्री यज्ञदत्त ज्ञानी : ग्राम पंचायत में इनका क्या स्थान है ?

भी विन्वेदवर प्रसाव सिंह : ये मुखिया रहे हैं ग्रीर ग्राजकल भी मुखिया हैं।

श्री यज्ञवत्त ज्ञामी : चिन्द्रिका प्रसाद दरोगा श्रौर कालेश्लर प्रसाद मंडल के पुराने सम्बन्ध हैं ?

श्री बिन्बेश्वर प्रसाव सिंह : इन दोनों में प्र तुलमोहन राम को दबाने की एक सांठगांठ बराबर चलती है। **भी यज्ञवत्त शर्मा**: ग्रीर कितने पंच हैं, सरौनी गांव में ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : जैसे सरकार का कानून है वैसे ही पंच रहा करते हैं। इस तमय 9 पंच हैं।

श्री यज्ञवरा शर्मा : बाकी जो पंच हैं, चिन्द्रका प्रसाद दरोगा ने उन पंचों के साथ भी बातचीत की थी ?

श्री बिन्देश्वर इसाद सिंह : जी नहीं।

श्री फ गो ने सेन : श्रापने दरोगा जी को कि घर से श्रात देखा ?

श्री श्रिन्देश्वर प्रसाद सिंह : पश्चिम से।

श्री फ० गो० सेन: कालेश्वर मंडल के घर से नहीं ?

श्री विन्देश्वर प्रसाद सिंह : कालेश्वर मंडल का घर है पूरव में दरोगा जी भ्रा रहे थे, पश्चिम से ।

श्री फ०गो० सेन: नदी पार हो कर ग्राये?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : जी हां, नदी पार होकर ग्राये ।

श्री फ० गो० सेन: वहां कालेश्वर मंडल के घर माने में किधर जाना पड़ता है घाट से माने पर?

भी बिन्देश्वर प्रसाव सिंह : वही रास्ता है पूरव को ।

श्री फ॰ गो॰ सेन : तटबन्ध पर भ्राना पड़ेगा ?

भी बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : जी हां।

भी फ ॰ गो॰ सेन : तटबन्ध पर म्राने पर म्रापने उनके साथ कितने म्रादिमयों को देखा ?

श्री बिन्वेज्वर प्रसाद सिंह : दरोगा जी के साथ हमने देखा 5 सिपाही तुलमोहन राम को पकड़ हुये थे भौर एक सिपाही घोड़े को पकड़े हुये था। कालेश्वर मंडल उसके पीछे थे। भौर भी लोग थे समूचा धान काट रहे थे। करीब करीब 4 बजे थे। बहुत से मजदूर सिर पर उधर से बोझा लिये हुये ग्रा रहे थे। गृहस्त लोग भी भा रह थे?.

भी फ० गो० सेन : बोझा किस खेत का था[?]

भी विन्देश्वर प्रसाद सिंह : ग्रपने खेत काधान काबोझाथा।

श्री फ गो० सेन : ग्रापने तुलमोहन बाबू श्रीर दरोगा जी में जो वार्तालाप हुन्ना, वह सुना ?

श्री बिन्वेश्वर प्रसाव सिंह : जी हां, सुना है ।

भी फ॰ गो॰ सेन : उसमें से जो बात हुई उसमें लोग तमाम गरमा गये ?

भी बिन्वेदवर प्रसाद सिंह : पहले दरोगा जी गरमा गरमा कर पूछ रह थे । हमको तो धाश्चर्य मालूम होता था कि एक पुलिस धाफिसर इस तरह क्यों कर रहा था । हमको इस बात का पता नहीं था कि धान का खेत वह लोग लुटवा कर बा रहे हैं । बाद में हम लोगों को जानकारी मिली कि दरोगा जी लूटपाट कर के बा रह हैं । दरोगा जी और कालेश्वर मंडल इन लोगों का धान लुटवा रहे हैं, यह हमें बाद में मालूम हुआ।

श्री फ० गो० सेन: मब कोसी पार हुये थे तो दरोगा जी के साथ भीर मादमी होंगे ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : दरोगा जी के साथ सिपाही एवं कालेश्वर मंडल थोड़ा पीछेथा।

श्री फ॰ गो॰ सेन: तो लूटपाट किसने किया ?

श्री विन्वेश्वर प्रसाद सिंह : धाट में किनारे धान की लूट करवायी गई, यह मेने सुना :

श्री फ॰ गो॰ सेन : झगड़े वाली जमीन श्रीर आप की जमीन कितनी दूरी पर है ?

भी विन्देश्वर प्रसाद सिंह : करीव 20, 22 एकड़ जमीन का फांसला होगा।

श्री फं०गो० सेनं: कहा जाता है कि तुल मोहन बाबू भीर उनके भाई ने बन्दूक निकाल ली थी?

श्री दिन्देश्वर प्रसाद सिंह : उन के तो डांड़ा रासा लगा हुआ था । न उनके हाथ में बन्दूक थी उन के भाई वगैरह सब खेत में थे । इन की भौरत वगैरह धांगन के मुंह पर खड़ी थीं । जैसा कि मैं बांध से देख रहा था ।

भी फ॰ गो॰ सेन: तो यह बात सही नहीं है कि तुल मोहन बाबू दरोगा जी पर बिगड़े। भीर भ्रली हसन के बारे में उन से बातचीत नहीं हुई, यह बात सही है?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : जी हां।

श्रं। फ॰ गो॰ सेन: म्रली हसन उस रोज सबेरे म्राया यह बात म्राप को मालूम नहीं है ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : जी नहीं। मैं ग्रली हसन को ग्रच्छी तरह से पहचानता हूं। ग्रली हसन कोई लुटेरा ग्रादमी थोड़े ही है। पश्चिमी तट बांध के किनारे दरभंगा के बार्डर पर जमीन का झगड़ा चल रहा है।

श्री फ॰ गो॰ सेंन : यह झगड़े वाली जमीन तुल मोहन बाबू के कब्जे में थी जो वैज नाथ बाबू से उन्होंने खरीदी हैं ?

श्री बिन्वेडवर प्रसाद सिंह: इस का पहले से ही वह प्रबंध करते थे।

भी फ॰ गो॰ सेन : फसल कटाना उन के ही जिम्मे था ?

श्री बिन्देक्बर प्रसाद सिंह: जी हां। जमीन जब लेना चाहे तो जो यादव लोग थे वह उस को लेना चाहते थे श्रीर वह देंदी तुल मोहन राम के परिवार को। इस को ले कर कालेश्वर मंडल के बीच में रिपट हो गया। भी फ० गो० सेन : वासुदेव बाबू जी उन के फ़रीक हैं उन को भ्राप जानते हैं ?

भी बिन्दे स्वर प्रसाद सिंह : में फ़रीक की बात नहीं बता सकता । बैज नाथ बाबू वहां से म्राते हैं क्यों कि वह रोड जो चली है वह हमारे घर से हो कर जाती है ।

श्री फ॰ गो॰ सेन : कोई परचा ग्रापने देखा है ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : एक परचा छपा था, सब पार्टीज का नाम था श्रीर उस में दरोगा जी के खिलाफ बात थी, जिस में तुल मोहन राम का भी नाम था।

श्री फ० गो० सेन: तुल मोहन राम जी कहते हैं कि हमने नहीं छापा ?

श्री बिन्देश्वर प्रसाद सिंह : तुल मोहन बाबू ने दरोगा जी से कहा कि यह परचा हमारी राय से नहीं छपा है श्रीर जो मेरा नाम इत में दिया गया है यह झूठ है । मैं एम० पी० के नाते ग्राप को सच बात कह रहा हूं ऐसा उन्होंने बांध पर कहा था ।

बौधरी रणधीर सिंह: ग्राप ने ग्रभी कहा कि पुलिस पार्टी के साथ कालेश्वर मंडल था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कालेश्वर मंडल ही एम पी० की बेइज्जती कराने के लिये पुलिस को लाया हो? ग्राप ने कहा कि पुलिस के पांच सिपाही ग्रौर दरोगा जी थे ग्रौर कालेश्वर मंडल पीछे पीछे था। खेत में भी वह साथ में थे।

श्री बिग्देश्वर प्रसाद सिंह: जैसा मैंने सुना है वह मैं भ्राप को बता रहा हूं।

चौचरी रणघीर सिंह : कालेश्वर मंडल को ग्राप ने नहीं देखा ?

श्री विन्दैश्वर प्रसाद : यह तो पुलिस के साथ ग्रा रहेथे।

चौघरी रणधीर सिंह : तुम ने प्रपनी आंखों से कालेश्वर मंडल को पुलिस पार्टी के पीछे पीछे देखा। तो कहीं वही तो पुलिस पार्टी को नहीं लाये?

श्री विन्वेश्वर प्रसाद सिंह : यह बात सें नहीं बता सकता कि वह पुलिस को लाये।

सभापति महोदय: ग्राप यहां ग्रा गये, भौर ग्रा कर साक्षी दे दी इस के लिये ग्राप को छन्यवाद।

श्री विन्देश्वर प्रसाद सिंह : मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं। मने जो वहां देखा वह मैं बता रहा हूं।

(The witness then withdrew)

MR. CHAIRMAN: There contradiction here. He alleged that the incident had taken place at the bandh. But, when he moved the Privilege Motion and presented an application to the Speaker, he mentioned that this has happened at his residence; he was arrested and abused by the Sub-Inspector. Here is a contradiction because, in the complaint that he has made to the Speaker, he mentioned that this had taken place at his residence. First Information Report states that incident took place

bandh. Why is there a contradiction in English and Hindi Versions? More importance should be given to his first information.

Evidence of Shri Tulmohan Ram. M.P.

सभापति महोदय: श्राप की फस्ट इंफार-मेशन (एफ० श्राई० श्रार०) 27-11-69 को रेकार्ड की थः। लेकिन जब श्राप हां श्रा गये श्रीर श्रापने स्पीकर के सामने जो शर्जी दी उसमें ऐसा लिखा है कि मेरा श्रीर सब-इंस्पेक्टर का जो झगड़ा हुआ, वह मेरे घर में हुआ क्योंकि मैंने कहा कि मेरे घर के श्रन्दर बाल बच्चे हैं श्रीर श्रीरतें हैं श्रीर तुमको हम श्रन्दर जाने नहीं देंगे। उसके ऊपर झगड़ा हुआ। लेकिन श्रापने पहले कहा कि बांध के ऊपर यह झगड़ा हुआ।

श्री तुल मोहन राम: बांध भ्रीर मेरा घर एक ही है। यह बांध है भ्रीर यह मेरा घर है, दोनों साथ हैं।

(The witness then withdrew)

MR. CHAIRMAN: The transcript of the evidence will be distributed and we will examine in the next meeting.

(The Committee then adjourned)

Tuesday, the 24th November, 1970.

PRESENT

Shri R. D. Bhandare-Chairman.

MEMBERS

- 2. Shri Hem Barua
- 3. Shri Dhireswar Kalita
- 4. Shri C. M. Kedaria 5. Chaudhuri Randhir Singh
- 6. Shri P. G. Sen.

SECRETARIAT

Shri B. K. Mukherjee—Deputy Secretary. Shri J. R. Kapur—Under Secretary.

WITNESSES

1. Shri H. K. Singh, Advocate, Saharsa (appointed as Receiver by the Court in respect of the standing paddy crops of the attached lands in the case of Jagan Nath Prasad V. Thakkan Ram and others).

2. Shri Upendra Sharma, Superintendent of Police, Deputed by the Govern-ment of Bihar to produce Palamau.

3. Shri Badri Nath Choubey, Inspector of Police, Police Diary etc. Saharsa

(The Committee met at 15,00 hours). (Evidence of Shri H. K. Singh, Advocate, Saharsa, Bihar).
(The witness took oath).

CHAUDHURI RANDHIR SINGH:

Would you like to make some statement before we put questions?

SHRI H. K. SINGH:

MR. CHAIRMAN: You can speak either in Hindi or in English whichever you like.

एच ० के ० सिंह : मझे सिर्फ इतना कहना है कि 6-11-1969 को मुझे यह इत्तिला मिली कि जगन्नाथ प्रसाद बनाम ठकन राभ में मैं रिसीवर बहाल हुआ 10-11-1969 को मैं स्पोट पर गया ग्रीर क्योंकि वहां पर धान पका हम्रा नहीं था, इसलिए एक म्रादमी को वहां पर डिप्यट कर दिया। उस का नाम जगदीश सिंह है। उसके बाद हम चले भ्राए। 28-11-1969 को करीब डेढ बजे जगदं म सिंह ने हमको एक दरख्यास्त करी. जो इस तरह से हैं:---

"श्रीमान रीतीवर साहब, सहरसा। प्रसाद.... प्रयम राम. . . . द्वितीय ठकःन पक्ष दरस्वस्ति भी० जा० सिपाही, रीसीवर साहब

गुजारिश है कि भ्राप के हकम से हम उपरोक्त मुकदमें में जप्ती जमीन के धान क़ी निगरानी कर रहे थे कि जब पुरा धान पक जाएगा तब श्रापको कटवाने की खबर करेंगे।

भ्राज रोजशुक्रवार ता० 28-11-69 को 6 वजे सुबह हम खेत पर घम रहेथे तो देखा किः

1. हरि मोहन राम, पिता चिमत राम

2. केवल राम. पिता समर राम.

3. तूलमोहन राम,

पिता चुम्मत राम 4. मंगल तांती.

पिता वंशी नांती 5. गगेश्वर राम, पिता समर राम

7. रण राम. पिता बाई राम

थाना महैसी

हरवे, लाठी, भाला वो बन्दूक वो किवया से लैस भन्दाजो 100, 150 भादमी की जमायत लिये हुए जप्ती जमीन पर भाया। हरियोन बोला कि श्रक्षबाल तु महन का सब धान काट लो। यह सुन कर हम रोका कि हम को मारपीट की धमकी दिया, जान मारने के लिए भाला हरि मोहन दिखाया। हम हल्ला करते हुए हट गये श्रौर हसेरी धान काटने लगा।

हल्ला पर गवाहान सुखदेव यादव, हर-देव यादव वो उमा यादव वगैरह भाये धान काउते देख हर हम भ्राप को खबर करने भाये हैं। हमारे सामने करीब 1 बीघा जमीन का धान लगभग 250-300 रुपये का काट लिया। इस लिए जो मुनासिब कार्य-वाही किया जाय।

म्रापका विश्वासी.

जगदीश सिंह प० बीकु सिंह मा० लहुमारा थाना महसी, जि० सहरसा''

सभापति महोदय: श्राप इस को एटेस्ट कर के देदीजिये।

भी एष० के० सिंह: जी हां।

भी रणधीर सिंह : प्राप इस पर लिख दीजिए कि मडेस्टेड श्रीर प्रमाणित प्रतिलिपि है, तथा मपने दस्तखत कर दीजिए।

श्री एच० के० सिंह: हम इस पेटी शत के ले कर और इस पर अपनी रिपोर्ट लगा कर, श्री पी० के० घोष, मैं जिस्ट्रेंट की श्रदालत में दे दिये।

भी रणभीर सिंह: ग्राप ने भी कुछ लिखा? जो लिखा हो वह पढ़ दीजिए।

भी एष० के० सिंह : जी बहुत श्रन्छा।

In the court of Shri P. K. Ghosh, Magistrate Ist Class, Saharsa.

JAGANATH PRASAD-Ist Party.

Vs

THAKKAN RAM AND OTHERS—2nd party.

U.S. 145 Cr. P.C.

Sir,

I beg to report to your honour that I have been appointed receiver of the standing paddy crops of the attached lands of the aforesaid proceeding by your honour through a Parwana on 6:11.69. I had been to the spot to see the standing paddy crops on 11th November, 1969.

That I found the paddy green and not fit for harvesting, so in anticipation of your honour's order, I engaged the sepoy Sri Jagdish Singh s/o Viku Singh of Lahuar to watch the paddy of the attached lands.

That he has come to report today that the named accused persons variously armed with deadly weapons formed an unlawful assembly covering 100—150 persons are forcibly cutting paddy crops taking the law in their hands.

It is, therefore prayed that your honour may kindly be pleased to receive a case u/s 147, 148, 379, 183 IPC against the named accused persons and the mob and further be pleased to order the Mahesi O.C. to proceed with armed police to control the lawlessness and to arrest the unruly mob and forward them in custody and for this be pleased to order the O.C. Mahesi to depute constable in help to get the rest of the paddy harvested. For this I shall be very obliged.

H. K. SINGH, Advocate.

Receiver.

28-11-1969.

दिन करीब चार, पांच बजे सुबह सिपाही के साथ स्पाट पर प्रोसीड किये 29-11-69 को ।

भी रणभीर सिंह : यानेदार भी साथ था भापके ?

श्री एष० के० सिंह: जी नहीं। ग्रपने चौकीदार के साथ गये। खेत जहां तहां कटा हुआ देखा। वहां के आदिमियों से एवीडेंस गैंदर किया श्रीर फिर चले आये। उस रात में हम काफ़ी थक गयेथे।

भी कासिता: पुलिस उधरकौ पहुचा भीर कब पहुंचा?

भी एक के लिंह : पुलिस हमारे सामने नहीं पहुंचा था । 19 हारीख को 8 बजे रात में एस॰ पी॰ गये ग्रीर उन से हम ने सारी बात कह दी ग्रीरली । उन्होंने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा हम ने नहीं देखा। लेकिन हम ने कह दिया ग्रीर 30 को फिर वहीं रह गये ग्रीर पहली को कोर्ट में ग्रा कर कन लेस्ट फाइन की।

In the court of Shri P. K. Ghosh, Magistrate 1st Class, Saharsa.

Jaganath Prasad-1st party.

Vs ·

Thakkan Ram and others—2nd party—145/Cr. P.C.

Sir,

I beg to report in continuation of my former report that I had been to the spot on 29.11.1969 in village Sarauni, P. S. Maheshi where there are the attached lands containing standing paddy crop in the aforesaid case which was under your honour's order entrusted to me in the capacity of Receiver to get it harvested,

thrashed and sold and deposit the sale proceeds in the Treasury.

I, on reaching spot at 10.30 a.m. found nearly 15—20 bighas of the paddy already looted and removed out of the attached lands worth Rs. nearly 4000/-.

That, I gathered from the persons noted below that the noted below persons invited on Ali Hassan s/o Guddar Mian who came with a mob of numerous persons all armed with deadly weapons like unlicensed gun, fire blow, bhala, bana, hand bomb etc. It is with the help of that Ali Hassan and his mob, the noted below persons taking law in their hands intentionally and deliberately disobeying the courts order committed theft of paddy of the attached lands worth as said above.

That, I further gathered that one Sri Tulmohan Ram said to be M.P. is behind the same and it is at his instance and under his leadership and invitation that Ali Hassan came along with his mob to commit such high-handedness.

That it is further gathered that the O.C. Maheshi who was also already informed by me to help me came on the spot on 28.11.69 chasing Ali Hassan to arrest him in some other cases and he also found the high-handedness of the persons noted below.

Thus they made themselves liable to be prosecuted under section 144/379 I.P.C. and 188 I.P.C.

It is therefore, prayed your honour may kindly be pleased after satisfying yourself proceed legally against the persons noted below:

Names of persons to be prosecuted: Ali Hassan, son of Guddar, Mian of Bahuwarwa, Tulmohan Ram, son of Chumit Ram....

MR. CHAIRMAN: You can leave out the names.

श्री एवं के लिंह: 4 तारीखं की हमें एक कागज मिला कि कलक्टर साहब से की कोर्ट से स्टेहो गया है ग्रीर उस की एक कापी दी जाती है ग्रीर उसी बीच में बहुत से के सेज हो गये ग्रीर स्पोट पर यह देखें थे कि पेडी का मेर्ज पीगंन तो लूट गया उस को कोई देखने वाला नहीं था ग्रीर चले ग्राएं। यही हमारा स्टेटमेंट है।

सभापति महोदय : जगदी म सिंह ग्रापके पास कव पहुंचा।

श्री एस॰ के॰ सिंह: एक बजे गया।

सभापति महोदय : कम्पलेंट करने कितने बजे गय ।

श्री एवं के सिंह : दो बजे के करीब ।

MR. CHAIRMAN: This is the complaint you have lodged? जगद श सिंह ने जो कुछ लिखा बहो आप ने लिखा?

श्री एक के सिंह : हमने श्रपने हाथ से नहीं लिखी। किसी से उसने लिखवाया श्रीर हमने एटेस्ट कर के कोर्ट में दिय था।

सभापति महोदय: ग्रोरीजनल किस ने लिखा था?

श्री एव० के० सिंह: हम को याद नहीं।

SHRI DHIRESWAR KALITA: Was this done under your order?

श्री एच० के० सिंहः एक ग्रादमीने लिखा था -

SHRI DHIRESWAR KALITA: You have not dictated anything?

SHRI H. K. SINGH: Nothing Sir. MR. CHAIRMAN:

सवाल यह है कि जगदीश सिंह ने आप को जो कुछ बताया उस के बाद आप 2 बजे कोर्ट में गये। तो 2 बजे जब आप कोर्ट में गये तो कोर्ट के सामने कम्पर्लट किस ने लिखा ? श्री एवं के सिंह: जगदीश सिंह ने किसी आदमी से लिखवाया और उस के बाद अपनी रिपोर्ट दे कर हमारे सामने साइन किये ?

सभापति महोदयः किस पर साइन किये ?

श्री एच० के० सिंह: हमारा जो क्लर्क होता है उसी से पेटीशन लिखवाया होगा और हमारे सामने दस्तखत किये।

SHRI RANDHIR SINGH: Please don't take it in a bad way, but you should say whatever is true. Please say whatever is in your knowledge. You are a lawyer, so you should take this advice.

भी एव**ं कें सिहः** जो कहूंगा वह सच ही कहूंगाः

सभापति महोबय: जगदीश सिंह की कम्पलेट किस ने लिखी। भ्राप के क्लर्क ने लिखी होगी?

भी एच ० के ० सिंह : किस ने लिखी, पता नहीं।

सभापति महोदय: जगदीश सिंह ने जो कुछ लिखा वही ग्राप ने कम्पलेट में लिखा ?

भ एक ० के० सिंह: जी हां।

भीं सभापति : भाप ने यह पढ़ी थीं ⁹?

भी एच० के० सिह: जी हां।

श्री सभापति: इस में मली हसन का नाम है ?

श्री एच के सिंह: घोरिजिनल में ग्रली हसन का नाम नहीं है ? श्री सभावति : ग्राप सहरसा को कितने वजे निकले ?

भी एव० के० सिंह : 29-11-69 को करीब चार, पांच बजे निकला।

भी सभावति : क्यों इतनी देरी की ?

श्री एष० के० सिंहः कोर्ट से चार बजे तक लौटा। सरौनी सहरसा से 14, 15 मील पश्चिम में पड़ता है।

सभाषति त्महोवयः साम याद कर शीजिए कि यह 14-15 मील ही पड़ता है या 40-45 मील ? इयोंकि पुलिस का कहना है कि सरोनी 40-45 मील पड़ता है।

श्री एव० के० सिंह: मेरा खयाल है कि 145-16 कील ही होगा। ज्वादा से ज्यादा 20 मील होगा।

सभाषति महोदयः भ्राप गांव कितने बजे पहुंचे ? पेडी उद्यर भ्रापने देखी थी ?

श्री एष० के० सिंह: साढे दस बजे स्पाट पर पहुंचा। जो ग्रटैच्ड लैंड थी, उसमें से मेजर पोर्शन पैडी का कटा हुआ था ग्रीर शेष बाद में लूट-खसोट हुई थी।

SHRI DHIRESWAR KALWA: You went on foot or on cycle?

SHRI H. K. SINGH: No, Sir. I went on foot.

SHRI DHIRESWAR KALITA: You went on foot?

SHRI H K, SINGH: Certainly Sir.

SHRI DHIRESWAR KALITA: How many hours it took?

SHRI H. K. SINGH: 4½ hours.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Have you been engaged as a lawyer by the Party i.e. Shri Jagan Nath Prasad, etc.?

SHRI H. K. SINGH: No, Sir.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Did you know Mr. Jagan Nath Prasad before?

SHRI H. K. SINGH: No, Sir.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: The remuneration as a Receiver must have been paid to you. Who is to pay that amount? Mr. Jagan Nath Prasad?

SHRI H. K. SINGH: No, Sir प्रभी हमें कुछ नहीं मिला । यदि सेल प्रोसीड जमा होता तो शायद दस या बीस परसेंट हसको मिलता । लेकिन मुझे ठीक तरह से नहीं मालूम है कि क्या परसेंटेज मिलता है ?

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Who made the application for appointment as a Receiver?

SHRI H. K. SINGH: That I can't say.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Am I right when I say that you have been appointed as a Receiver at the instance of Mr. Jagan Nath Prasad?

SHRI H. K. SINGH: No, Sir. I have no knowledge.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: You made this report on 28th Nov. 1969. You kindly go through this. You have said that nearabout 100 or 120 people have forcibly cut the crop. You have not mentioned about Mr. Ali Hasan or anybody in this.

SHRI H. K. SINGH: That is there in the petition of Mr. Jagdish Singh.
मृझको पता नहीं है कि किस विस का नाम दिसा हुआ है । मने तो सिर्फ प्रमानी रिपोर्ट जगदीश सिंह की पिटीशन के साथ प्रटैच करके कोर्ट में दे दी थी।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Is there any petition of Mr. Jagdish Singh?

श्री एच० के० सिंह: वह तो सैने बताया कि उनकी पिटीशन के साथ ग्रपनी रिपोर्ट ग्रटैच करके कोर्ट में देदी थी। CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Any petition made by Mr. Jagdish Singh on 28th of November 1969? Kindly let me know the names.

श्री एष० के० सिंह : मुझे पता नहीं किस किस के नाम हैं।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Can you tell me who are the witnesses cited in this petition?

भी एष० के० सिंह: देखकर ही कह सकता हूं क्योंकि वैसे मैं किसी को पहचानता चहीं हुं।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: When I put you questions, I am putting the same about 28th of November 1969 and not about 1st of December 1969. In the petition of 29th of November 1969, no mention has been made about the names of any of the accused or names of the any witness.

श्री एष० के० सिंह: भुक्ते याद नहीं है, देखकर ही में कता सकता हूं क्योंकि इस वाकये को काफी ग्ररसा हो गया है श्रीर मुझे यह पता महीं था कि श्रागे चलकर यह स्थिति वैद्या होगी।

MR. CHAIRMAN: You have not mentioned that "I am attaching the complaint of Mr. Jagdish Singh".

भी एवं के सिंह: हो सकता है।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH:
By this complaint it appears that you have become the complainant yourself and that you have not mentioned that you are enclosing any complaint of Mr. Jagdish Singh.

भी एक के सिंह: यह संभव हो सकता है और इसका कारण यही है कि में भूभी उतना मध्यूर नहीं हूं।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: It is not mentioned that the complaint from Mr. Jagannath Singh has also been enclosed.

श्री **एच**ं के**ंसिह**: संभव है ऐसा हो। CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Could you kindly say that in the names of witnesses mentioned by you on 1st December 1969 the name of Shri Jagdish Singh, Peon (Chowkidar) is not mentioned?

SHRI H. K. SINGH: Yes, Sir.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: You went there to the spot i.e. Village Saharsa. You went to the village of Mr. Tul Mohan Ram without the Police. Is it not so?

भी एष० के० सिंह: जी मैं पुलिस के साथ नहीं गया।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Where did you stay during the night?

श्री एवा० के० सिंह : हमारा नसर्क उसी गांव का है भौर में उसी के साथ वहां ठहरा । उसका नाम अयक्रण मिश्रा है ।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: You stayed with your clerk?

SHRI H. K. SINGH: Yes, Sir.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH What is the name of the clerk?

SHRI H. K. SINGH: Shri Jai Krishan Misra.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: You stayed for how many hours? 40 hours or 48 hours? And during this time did Mr. Jagannath Prasad, i.e. the 1st Party, come to you?

SHRI H. K. SINGH: Certainly not Sir.

जब कभी हम जाते हैं तो स्रपमे क्लर्क के यहां ठहरते हैं श्रीर में 48 घंटे वहीं ठहरा।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Did you record the statement of some of the people because you made a complaint on the 1st December? SHRI H. K. SINGH: I did not record any statement.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH:
Now I put it to you because
you have made a complaint on the
1st December in addition to the one
dated 28th November—you are a lawyer and hence I put this question to
you—whether should it not be supported by certain witnesses. You did
not record the statement of any witness to support that complaint.

श्री एच० के० सिंह : हम ने रिकार्ड नहीं किया ।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: You call the village officer as patwari or a revenue officer.

श्री एक के सिंह : उस गांव के मुखिया श्री कालेश्वर मंडल हैं लेकिन हमारी उन से भेंट नहीं हुई। कुछ लोगों ने कहा कि वेभी उस समय वहां थे।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Did you meet Kaleswar Mandal?

श्री एव के सिंह: हमारी उन से भेंट नहीं हुई।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Did you not contact some teachers like Thakur Prasad Yadav?

भी एच० के० सिंह: ठाकुर प्रसाद यादव से छा पूछा था ?

श्री रणधीर सिंह : उन का स्टेटमेंट रिकार्ड नहीं किया ?

भी एव० के० सिंह: जी नहीं। जब हमने देखा कि

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: You are a lawyer. I again put it to you that when you have made a complaint in the court, at that time Shri Jagdish Singh was the complainant—can you explain as to why there was an omission to mention any name as a witness to your complaint or the name of the accused?

श्री एष० के० सिंह: सर इसका तो यह एक्तप्लेनेशन दे सकते हैं कि 6 महीने, 9 महीने की हमारी प्रेक्टिस थी और हम इस प्रोफेशन में मेच्यूड नहीं थे । इस लिए यह छूट गया होगा।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: My next question is this. May I take it that the later complaint is an improvement and an afterthought?

SHEI H. K. SINGH. No, Sir.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: The first complaint on 28th November did not contain any witness I suppose.

SHRI H. K. SINGH: Yes, Sir.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: So, whatever complaint is made on it is an improvement. Am I correct?

श्री एच० के० सिंह: जो हमने उस में लिखा था वह पूछ कर लिखा था।

श्री रणधीर सिंह: जो श्रगली बात में पूछना चाहूंगा वह यह है कि जगन्नाथ प्रसाद श्राप की रिसीवरिशप में श्राप से गांव में या किसी दूसरी जगह मिला या नहीं मिला?

श्री एख० के० सिंह: जगन्नाथ प्रसाद से माज तक भेंट नहीं हुई। उन के लड़के से मुलाकात हुई है। उस का नाम शायद मबधेश्वर प्रसाद है। जब हम स्पोट पर गये थे तो वह भी गया था। जगन्नाथ प्रसाद से माज तक भेंट नहीं हुई।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Who is paying you the remuneration? ाखिर गवर्नमेंट तो पे नहीं करेगी। कौन आप का रेम्युनरेशन पे करेगा?

श्री एच ० के ० सिंह: हम भी इस के बन्ध में कुछ नहीं कह सकते। CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Do you understand my question? I want to know as to who is going to pay your remuneration as a Receiver?

क्या यह प्रोपर्टी से होगा ?

श्री एष० के० सिंह : जैसा हम देखते हैं कि वह यह है कि जो प्रोपर्टी की सेल प्रोसी इस ट्रेजरी में जमा हो जाती हैं भीर उंस को 20 परसेन्ट या 15 परसेन्ट मिलता हैं। लीगल प्रोसीजर क्या है, वह मैं नहीं बता सकता।

श्री रणबीर सिंह: ग्रगली बात यह है कि ग्राप मौके पर नहीं गये ग्रीर ग्रापने वहां का नक्शा तैयार नहीं किया

You did not go to the spot when the produce was cut?

SHRI H. K. SINGH: No, Sir.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Were you really a receiver of that very spot?

SHRI H. K. SINGH: Yes, Sir.

SHRI DHIRESWAR KALITA: If, yes, when and how?

श्री एष० के • सिंह: 12-11-1969 को जब हम स्रोट पर गयेतो ध्रवधेश्वर कुमार स्पोट पर था श्रीर एम० पी० साहब के भाई हरिमोहन भी वहांथे। ध्रवधेश्वर कुमार ने तो दस्तखत कर दिया लेकिन विकया लोगों ने दस्तखत नहीं किये हरि मोहन जी ने दस्तखत नहीं किये। पट्टेदार से दस्तखत करवाए।

SHRI DHIRESWAR KALITA: That means his son only has signed; the other parties did not sign.

SHRI H. K. SINGH: The other parties did not sign. पट्टेबार ने दस्तखत किये थे।

SHRI DHIRESWAR KALITA: Was no revenue officer there?

MR. CHAIRMAN: Was the Tehsilder or the Patwari there?

SHRI H. K. SINGH: No. Sir.

SHRI DHIRESWAR KALITA: If there is a dispute who is to decide which is the boundary of the site?

MR. CHAIRMAN: Before that let him state whether the patedar means a revenue offices.

भी एच ॰ के ॰ सिंह : पट्टेदार वह था जिस ने पेडी बोया था।

SHRI DHIRESWAR KALITA: That is a separate thing. When the court has appointed you as a Receiver, whether the court did order or pass any order to pointing out the boundary of that particular spot?

भी एव० के० सिंह: ऐसा रिट में नहीं है।

SHRI DHIRESWAR KALITA: Whether the court passed an order pointing out the boundary of that particular spot?

श्री एक के सिंह: नो सर । हमें केवल प्रोसीडिंग नोटिस ग्रीर रिट मिला ग्रीर हमने दोनों पार्टियों को बुलाया । एक पार्टी ने वहां पर दस्तखत किया।

श्री घीरेष्ट्यर कालिता: एक पार्टी ने सही किया ग्रीर दूसरी ने नहीं किया, देन इट इज डिस्प्यूटेड।

श्री एच० के० सिंह: लेकिन वेथे। उन्होंने ठीक किया।

SHRI DHIRESWAR KALITA: When there is a dispute did you not take the help of the court again to take out the boundary?

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Let me finish my questions. You made a complaint to the court on the 28th November, 1969. You understand the legal implications of that. The court took cognisance of the whole matter and on the complaint made by you. the court passed a specific order to the Officer Commandant, Maheshi that he has to go to the court and make an investigation and give necessary assistance to Mr. Singh. Will O.C., Mahishi P. S. please enquire into the matter immediately and report for immediate action? He will please see that no breach of peace takes place and assist the Receiver to comply with the court's order whenever assistance is needed in lawful discharge of duties entrusted.

भाप ने एक एप्लीकेशन देदी भीर कोर्ट में उस पर आर्ड र कर दिया कि केस रिजस्टर्ड किया जाए, सफीशियेण्ट ग्राउण्ड हैं। भदासत ने रिपोर्ट गांगी थाने से । श्राप किस हैसियत में गये थे?

Did you go to the place to make an enquiry yourself. You made a complaint to the court and immediately after the matter reaches the court, it becomes sub-judice. Now there cannot be two officers-to enquire into the matter-one the court and other yourself. The court has made an order to the officer concerned (O/C Maheshi P. S.) to enquire into the matter immediately. The court takes cognisance of a case and enquiry is conducted by the officer. What has made him to make an enquiry?

श्री एवं के सिंह : हम को श्री जगदीश सिंह ने कहा कि

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Kindly understand my question. This is the first information you passed on to the court. You requested the court and the court in turn registered the case under Section 147/148/379/188 of the IPC. The court passed an order on that complaint of Shri Jagdish Singh

directing the O.C. to look into the matter and to see that no breach of peace takes place and give the assistance needed by the Receiver in the discharge of his duties. I want to know in what capacity the O/C and the other man went there to make an enquiry? Is there another complaint?

भी एव॰ कें॰ सिंह: हमको जगदीश सिंह ने रिपोर्ट दी कि एक बीघा जमीन का धान काट लिया गया था।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Was there an order to you from the court to go to the spot to make a report?

SHRI H. K. SINGH: No, Sir. There was no order.

SHRI DHIRESWAR KALITA: 1 am not clear about it.

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: When there is an order to the SHO, you should have gone with him. If you went there, you should have asked the S.H.O. to accompany you. You went there without the permission of the court.

भी 'एष के लिह' हमको तो देखना थाकि कितनाधान कटाई कितनानहीं।

SHRI CHAUDHURI RANDHIR SINGH: It is for SHO to see. Enquiry was to be made by him.

नी एक कें जिल्हा इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी करने के लिए नहीं बस्कि मैं तो ग्रटैक्ड लेंड देखने के लिए गया था।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Did you have any order from the court to go to the spot to make enquiries?

SHRI H. K. SINGH: No, Sir.

SHRI DHIRESWAR KALITA: When you were appointed as a Receiver knowing fully well that it is a dispute land.

SHRI H. K. SINGH: Yes, Sir.

SHRI DHIRESWAR KALITA:
Being a receiver of the disputed plot
did you take help of any revenue
officer to know the particular exact
boundary of the plot?

SHRI H. K. SINGH: No. Sir.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Did you know that was the particular plot for which you were appointed Receiver?

भी एच० के शिंसहः पार्टी ने कहा, बट्टेयारों ने कहा, ग्रीर लोगी ने कहा :

MR. CHAIRMAN: Except the Revenue Officer.

श्री एच•कें किंहः किसी रेवेन्यु ग्राफितर ने हम ोनडीं कहा।

SHRI DHIRESWAR KALITA: You also did not take the help of the Revenue Officer. You believed on heresay.

श्री एक के सिंह : जी हां।

भी पी० जी० सेन: क्या ग्राप 11-11-69 को स्पौट पर गये थे? यदि हां, तो क्या ग्रापने सारेखेत को भूम कर देखा था?

भी एवं के सिंह: जी हां, मैं 11-11-69 को गया था। सारे खेत को पूम कर देखा। एक झोंपड़ा था, जहां पर कुछ बट्टेदार थे वहां मैंने उन सबसे कह दिया कि कल दोनों पार्टीज को ग्राप लोग बुला लीजिएगा। हमारे साथ हमारा साथी जगदीश सिंह ग्रीर क्लक भी था।

श्री पी० खी• सेन : ग्रापने कोई स्टेट-स्टिक्स नहीं लिये कि इस जमीन में कौन बट्टेदार है श्रीर किस जमीन में किसका खेत हं?

भी ए**च**ा के० सिहः जी नहीं।

भी पी० खी० सेन: ग्रंब तो ग्रीप ही उस जमीन के मालिक हैं: वया श्राप बता सकेगे कि कुत कितनी जमीन थी?

श्री एच० के० सिंह: 53 वीका, 9 कट्डा ग्रीर 4 धूर।

श्री पी॰ जी॰ सेन: यह जमीन माप मधीन आई जिसकी माप स्वीकार भी करते हैं तो यह एक खाता तो नहां हैं:

भी एच० कें० सिंहं: यह कई खाते हैं।

भी पीं० जी०- सेन: जी जगझाथ प्रसाद ने जो दरख्यास्त दी थी, कोर्टमें उसमें समुची जमीन का हवाला दिया है।

भी एवं कें सिंह: हमकी पतां नहीं है।

श्री पी॰ जी॰ सेन : क्या आप बता सकेंगे कि इसमें किस टाइप का धान था?

श्री एच० के० सिंह: कई वैराइटी का धान था।

श्री पी० जी० सेन : तो ग्रापको बताने वाला सिवाय बट्टेडारों के ग्रीर कोई नहीं था ?

भी एक के सिंह: जी हां।

श्री पी० सी० सेन : जब श्राप कहते हैं कि लूट हो गई तो फिर वह लोग श्रापके यहां रोने के लिए श्राये थे?

श्री एच० के० सिंहः कोई नहीं श्राया।

श्री पी० जी० सेन : ग्रापने पता भी नहीं लगाया कि कितने लोग गांव के इसमें हैं ग्रीर कितने बाहर के भीर उन लोगों ने कोई रेसिस्टैंस दिया कि नहीं । श्री एवा० के० सिंह: हम तो यहां से चले गये थे भीर चूंकि धान भभी पका नहीं था इसलिए 12-13 तारीख को लौट भाये भीर यह सोचा था कि जब दौबारा लौटेंगे तब पूछ लेंगे लेकिन इसी बीच में सब घटना हो गई:

भी पी० भी० सेन: मालिक होने पर भ्रापकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि जितनी पैदावार होती उसको भ्राप ही बट्टेदारों को रिकागनाइज करके बांटते।

श्री एष० के० सिंह : वहां यह रिजमर हो गया था कि जब भटैंचड लैंड है फिर इसमें कोई क्यों बोये। जब मैं बाद में स्पाट पर गया भीर लोगों को यह पता लग गया कि झगड़े वाली जमीन हैं तो बट्टेदार लोग भी मुझसे दूर भागते थे। भीर जिन दो चार आदिमियों का मैंने नाम भी लिया, वह भी इस डर के मारे भाग गये कि कहीं हम न इसमें फंस जाएं क्योंकि बिना कोर्ट से इजाजत लिए उस जमीन पर लोगों ने बो दिया था

श्री पी० सी० सेन : यह ग्रटैच्ड लैंड पहले से तो नहीं थी।

श्री एक के सिंह : बहुत पहले सेथी। जब कोर्ट को मालूम हुन्ना कि ग्रटैंच्ड लैंड है ग्रीर उस पर पैडी लगी हुई है तब कोर्ट ने हमको रिसीवर ग्रपाइंट किया।

श्री पी० जी० सेन: ग्रटैचमेंट के लिए दरख्यास्त दी?

भी एव० के० सिंह: श्री जगन्नथ प्रसाद ब्राउटसाइड हैं।

श्री पी० जी० सेन: तब ग्राप भी जैसे ग्राउटसाइडर हैं ग्रीर यह भी ग्राउटसाइडर हैं।

भी एव॰ के॰ सिंह : जी हां। हमकं: तो यही पता चला कि ठक्कनराम वगैरह ने जो कि तुलमोहन राम के भाई हैं उस जमीन को बोने के लिए कहे थे भ्रीर जब 3-4 बट्टेंदारों से मैंने पूछा कि भ्रापको बोने के लिए किसने कहा है तो उन्होंने कहा कि हमको मालिक श्री ठक्कनराम बोने के लिए कहे हैं ?

श्री पी० जी० सेन : जगन्नाय प्रसाद जो बाहर के भादमी हैं भीर इनके हिस्से में जितनी जमीन भाती है, उसमें ये लोग कितने पट्टीदार हैं।

भी एष० के० सिंह: मैं नहीं जानता। भी पी० बी० सेन: उन लोगों की जितनी जमीन थी, वह भ्राहिस्ता भ्राहिस्ता बिक गई।

श्री एष० के ० सेन: मैं यह नहीं कह सकता। श्री पी० जी० सेन: तो यह जो जमीन रह गई है, इसमें से श्राप कहते हैं कि 15— 20 बीघा की लूट हुई होगी, फिर भी काफी जमीन बच जाती है।

श्री एवं के सिंह: वहां के लोगों ने कहा कि इसमें से भ्राठ-दस बीघा खेत नदी में कट गया है और करीब दस बीघे में केराव फसल, या मटर बोई हुई है भीर बाक़ी में छुटपुट करके धान था जो कहीं भ्रच्छा था भीर कहीं खराब था।

श्री पी० जी० सेन : तब भी जो धान रह जाता है, वह काफी रह जाता है।

भी पी० सी० सेन: ग्राप के हिस्से में लूट-खसीट के बाद कितना धान ग्रायाः?

भी एच० के० सिंह: उस के बाद कुछ नहीं काथ। डर के मारे वहां कोई नहीं गया।

श्री पी० जी० सेन : श्राप की यह इत्तिला थी कि 15, 20 बीघा जमीन का धान काट लिया गया ?

श्री एच० के० सिंह: यह तो हमने अन्दाजन उन लोगों के कहने पर कहा था। भी पी० जी० सेन: जो धान बाक़ी बच गया था, उसका हिसाब तो भाप को देना चाहिए था ।

श्री एवं के सिंह: 4-12-1969 को लेटर ग्रागया था कि इन लोगों ने रिवी-जन किया है भीर कलेक्टर साहब ने स्टे-कर के रिकार्ड स को काल फार कर लिया था भीर एक नोटिस हमारे पास ग्राया था।

श्री पी॰ जी॰ सेन: 29 की भ्राप ने कहा कि भ्राप वहां गये थे। तो कम से कम लट के बाद जो धान बाक़ी बचा, रीसीवर होने के नाते, भ्राप उस का हिसाब रखते?

श्री एच० के० सिंह: वहां का दृश्य ऐसा दृश्य था कि जब हिम स्पाट पर गये तो हम को देख कर जो जहां था यह से भाग गया।

भी पी० जी० सेन : ग्राप ने फिर क्या किया ?

भी एच० के० सिंह: हम मुंशीजी के यहां ठहर गये।

भी पी० जी० सेन : चौकीदार की नहीं कहा कि बाकी धान का क्या हुन्ना?

भी एच के शिह: चौकीदार का नहीं कहा। हम बहुत थक गयेथे।

भी पी० जी० सेन: प्राप ने चौकीदार को नहीं कहा कि बाकें। धान की हिफ़ाजत करों ?

भी एच० के० सिंह: वह बहुत कम बचाथा। इस तरह का काई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया।

भी पी० जी० सेन : ग्रब मैं दूसरे वाइन्ट पर ग्राप से कुछ पूछना चाहता हूं। 28-11-1969 को जगदीश सिंह की एप्लोकेशन श्राप के पास डेढ़ बजे पहुंची तो कचहरी में श्राप ने उस को दो बजे दिया होगा?

श्री एफ के० सिंह : भ्रन्दाजन इसी टाइम दिया होगा ।

भी पी० बी० सेन : श्री पी० के० घोष, मैं जिस्ट्रेट ने उस पर यह झार्डर किये :

O.C. Mahishi to please enquire into the matter and report.

माप इजलास पर कब गये थे ग्रीर कब उन्होंने मार्डर दिया ?

भी एच० के० सिंह: जब पैटीशन दिया, उसी समय भाईर दे दिया था।

श्री पी॰ जी॰ सेन : श्राप ने उस केस के बारे में कुछ कहा होगा, कुछ बहस हुई होगी।

श्री एच० के० सिंह: जगदीश सिंह ने जो जं। पेटीशन दिया उसकी ले कर मूव कर दिया ग्रीर उंसी पर मैं जिस्ट्रेट ने कागनी-जेन्स ले कर ग्रार्डर कर दिया।

श्री पी० श्री० सेन: उस समय ढाई बजा होगा ?

श्री एच० के० सिंह: जी हां।

श्री पी० जी० सेन: उस के बाद जगदीश सिंह भ्रपनी जगह पर वापस नहीं गये?

श्री एष० के० सिंह : नेक्स्ट डे हमारे साथ गये। वह 29 तारीख को हमारे साथ गया क्योंकि 10, 15 मील से वह भ्राया था भ्रीर बहुत थका हभ्राथा।

श्री पी० जी० सेन: फिर ग्रो० सी० की पहले कैसे मालूम हो गया ग्रीर वे कैसे पहले सरीनी पहुंच गये। **भी एक के सिंह**ः रिपोर्ट में जो है।

श्री पी० जी० सेन: ग्रो० सी० महेसी वल प्लीज इन्वायर इन टूदि मैंटर, यह आदेश मैं जिस्ट्रेट काथा। ग्रापने उस को खबर दी थीं?

भी एव॰ के॰ सिंह : पहले भी खबर दे चुके हैं।

श्री पी जी श्रेन: ग्राप तो वक्ती सहैं। उसमें इमीजिएट एक्शन के लिए कहा गयाथा। ग्राप ने उन की यह खबर कब दी? यह खबर तो बाद में दी गई होगी?

श्री एक के सिंह: जी हां।

श्री पी० जी० सेन : 28 को वहां पहुंच कर।

श्री एक के सिंह : वही तो कह रहा श्रा। जब हम स्पाट पर गये तो वहां पता चला कि दारोगा जी कुमराह में कोट कर रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Do not tell us what you have heard. You tell us what you have seen.

SHRI CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Hear say is not admissible.

श्री एव० के० सिंह: वह हमने नहीं देखाहै। जो सुनाहै वही बता रहा हूं।

श्री पी० जी० सेन: जो ग्रार्डर मैजि-स्ट्रेट ने दिया, उसकी खबर सी० ग्रो० को नहीं दी।

श्री एष० के० सिंह: हम को याद नहीं है।

श्री पी॰ जी॰ सेन : ग्राप की ड्यूटी यो कि ग्राप जा कर कोर्ट से ग्रयील करते कि यह हालत है क्योंकि भ्राप रिसीवर पें। MR. CHAIRMAN: To whom was the order given? Why do you not simplify?

SHRI P. G. SEN: You are now the proprietor of the property as a Receiver appointed by the Court. You are in distress.

माप का घान लूट हो गया, भाप का तिपाही भा कर कह रहा है कि लूट हो गई। भाप को कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना चाहिय और जो कोर्ट के आर्डर थे वे सी० भ्रो०, जिस को इम्प्लीमेंट करना था, का नहीं, बतास् गये। भाप ने इस के लिए कोर्ड प्रबन्ध नहीं किया

That this order of the Magistrate should be executed immediately.

इस में लिखा हुन्ना है

Report for immediate action.

श्री एख० के० सिंह: वही मैं बता रहा हूं। जब हम को 28 तारीख को श्रार्डर मिल गया तो उस को दस्ती ले कर हम 29 तारीख को सुबह को थाने पर गये। वहां कोई श्राफिसर नहीं है। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में चिन्द्रका प्रसाद, दारोजी श्रा रहे थे, श्रीर रास्ते में ही नदी के किनारे परहम ने उन को वह दे दिया।

सभापति महोदय : फिर ध्राप वापस भ्रागये ।

भी एच० के० सिंह: दारोगा जी थाने ये भीर हम स्पटपर चलेगये।

सभापत्ति महोदयः वह भाप के साम नहीं भाए ?

श्री एष० के० सिंह : जी हां।

श्री पी श्री श्री सेन : इस से मालूब होता है कि इस भ्राडर का पालन उस ने नहीं किया ।

श्री एच० के० सिंह : जब हम थाने गये दस्ती लेकर वहां पर श्रकसर कोई नहीं था। जबाह्य ग्रारहेथ लो उधर से वे ग्रारहेथे ग्रीर सिपाही को हमने देविया।

सभापति महोदय : प्रफसर को नहीं बनावा ।

भी एच० के० सहः: उम को नहीं बताया। इस से पहुंसे उन को नहीं पष्ट्रचानतें येः।

MR. CHAIRMAN: Can't you distinguish between a police constable and an officer?

श्री एव० के० सिंहं: वे प्रोपरली हेस्ब नहीं थे। प्रगर हैस पहने होते तो स्टार से पहनान लेखे।

MR. CHAIRMAN: But they went to the Police Station and they did not go to the village at all. You went alone over there. Is it so?

SHRI H. K. SINGH: Yes.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: You passed the order, Such and Such party including O.C.......

भी पी० जी० सेन: ग्राप को खोजना चाहिए या कि ग्रो० सी० कौन हैं?

श्री एच० के० सिंह: हमारे सामने सिपाही ने दे दिया था और हम समझ गये कि ये ग्रो० सी० हैं और हम चल दिये।

भी पी० भी० सेन: ग्राप ने उनसे नहीं कहा कि हमारे साथ चलो ?

भी एष•्कै॰ जिंह: उन्होंने कहा. कि हमारे साथ दुर्घटना हो गई-है और हम जारहे: हैं।

सभापति महोदय : कहां परः?

भी एक केश्रीमृह प्रतीनी।

भी पी॰ जी॰ सेनः: ग्रली हसनः के वारे में भाषाने बताया है कि ग्रली हसन के ऊपर प्रैक्टीकली कोई कार्यवाही नहीं हैं।

भीः एकः केः जिहः वह तो कोर्टन करता ।

SHRI P. G. SEN: You have mentioned here: "I gathered from the persons noted below that the noted below persons invited one Ali Hassan s/o Guddar Mian who came with a mob of numerous persons att armed with deadly weapons like unlicensed gun etc. It is with the help of that Ali Hassan and his mob, taking law in their hands intentionally and deliberately disobeying the court's orders". Then how this court's order was executed?

भी एष० कें लिह : जैसा हम समझे ।

भी पी कं जी कि सेना: आप को अव पता लगा कि जो जमीन का झगड़ा है वह बहुत अर्से से चला आ रहा है ?

भी एव के सिंह : इस मैटर पर हमने इसकेस्टीनेट नहीं किया।

श्री पी॰ जी॰ सेन: बट्टेदार लोनों से भी भापने जानने की कोशिश की कि 10, 12 भावसीं कौले हैं? कहां के हैं!?

भी एक के सिंह: जब हम गांव में गये तो हम को देख कर के लोग भागते थे।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: You have used the words: "One Shri Tulmohan Ram said to be M.P. is behind the same." You did not know that he was an M.P.

SHRI H. K. SINGH: I did not know before him. I wrote as I gathered. I am not saying from my personal knowledge, whatever I am deposing.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: What is the position of this case now. At what stage it is?

SHRI H. K. SINGH: Earlier, it was at evidence stage. I am now no more a receiver in this case.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: In whose possession the property is now?

SHRI H. K. SINGH: I do not know, Sir.

सभापति महोवय: 23 तारीख को पुलिस भक्तसर, महिसी भौर भ्राप की मुलाकात तक नहीं हुई ?

भी एष० के० सिंह: जी, नहीं हुई।

MR. CHAIRMAN: You have stated here: "That it is further gathered that the O.C. Maheshi who was also already informed by me to help me came on the spot on 28.11.1969 chasing Ali Hasan to arrest him in some other cases and he also found the high handedness of the persons below."

Now tell me, when was it that you informed O.C. Maheshi that O.C. Maheshi has been directed by the court to help you. Or this is only a hearsay.

SHRI H. K. SINGH: No, Sir,11 तारीख को जब स्पोट पर जा रहे थे तो उसी समय हम थाने में गये। थाने में दारोगा जी नहीं थे, मुंशी जी थे। हम ने मुंशी जी से कहा कि हम स्पोट पर जा रहे हैं। मुंशी जी ने कहा कि इस तरह का आर्डर हमें भी कोर्ट से आया है। हमने मुंशी जी से कह दिया था कि दारोगा जी जब आये तो उन को बता दी जियेगा कि इस तरह की बात है।

MR. CHAIRMAN: In the plaint you have written that on 28-11-1969 the police officer was there on the spot.

भी एच० के० सिंह: उसी से रिलेट करता है जो 10 तारीख को हम कहेथे।

MR. CHATRMAN: How could you inform him to help you.

श्री एच० के० सिंह: हमारी भाषा में गलती हो सकती है। लेकिन मतलब वही है।

MR. CHAIRMAN: What reasons had you to ask the police officer or the court to give an order to O.C. Maheshi to help you? What made you to move the court and where is the application that you moved the court to give you help or give an order to the officer to give you necessary help. Where is that application?

SHRI H. K. SINGH: I did not make any application.

MR. CHAIRMAN: On 10th, you have already met the police officer.

श्री एच ० के ० सिंह: जब हम जा रहे थे स्पोट पर पहली बार

MR. CHAIRMAN: You had told the Munshi that if necessary, the police officer should give you the help against Ali Hassan.

श्री एष० के० सिंह: मुंशी जी को कहाथा क्योंकि दारोजा जी थाने में उस समय नहीं थे।

MR. CHAIRMAN: Why have you mentioned Ali Hassan?

श्री एव ॰ के ॰ सिंह : उस समय मली हसन का चर्चा कोई नहीं था।

MR. CHAIRMAN: But how have you mentioned his name?

श्री एच० के० सिंह: जब हम 29 तारीख को गये तो लोगों ने कहा कि ग्रली हसन को चेज करते हुए दारोगा जी ग्राये थे।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Now, you have given a certain statement today which is contradictory to what is stated in your petition dated 1st December. "It is further gathered that the O.C. Maheshi who was also already informed by me to help me, came on the spot on 28.11.1969". You have said 'to help me".

श्री एच० के० सिंह : रिट में इसी तरह का ग्रार्डर है। वह पहले मिली थी।

सभापति महोदय: उस रिट की भी कापी दे दीजिए।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH:

रिट की बात मान भी लूं लेकिन

How do you explain the statement
"came on the spot on 28.11.1969 chasing Ali Hasan to arrest him in some
other cases and he also found the
high handedness of the persons noted
below"? This is wrong. श्लाप कहतें हैं

कि वहां गये और ठीक पाया। तो यह जो
स्टेटमेंट झापने दिया है यह ठीक है या पहले
जो श्लाप ने लिखा है वह ठीक है।

श्री एंचा के सिंह : हम वहां नहीं थे।

MR. CHAIRMAN: This is just hearsay? You have no idea?

चौथरी रणवीर सिंह: मैं जानना चाहता हूं कि यह बताइएे कि घाप का कौन सा स्टेटमेंट ठीक है ।

भी एच० के० सिंह: जो लिखा है वह फ्रेक्ट है....

चौंधरी रणधीर सिंह: ग्रीर जो ग्राप ने कहा ?

भी एष० के० सिंह: "इन्फार्म्ड बाई मी"का मतलब है.....

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: You please tell me whether this para in your petition is correct or what you have stated today is correct.

श्री एच० के० सिंह: 28 ग्रीर 29 से पहले हमारी उन से भट नहीं हुई।

MR. CHAIRMAN: But you said you have already informed the O.C. Why have you written there that you have already informed the O.C.?

श्री एष० के० सिंह: मुंशी जी ने लिख दिया होगा।

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: "He also found the high-handedness of the persons noted below".

श्री एच० के० सिंह: ग्वाह लोगों ने ऐसा बताया था।

SHRI DHIRESWAR KALITA: The plain question is, whether what you have stated today is correct.

चौ अरी रणघीर सिंह : म्राप ने जो पैरा लिखा हुमा है उस से तो यह जाहिर होता है कि 28-29 को थानेदार म्राए मौर सब बातें उन को बताई गई मौर जो कुछ भी वाक-यात लिखे हैं वे सही हैं। म्रब म्राप कहते हैं कि उन डेट्स को वे थाने चले गये। इन दोनों में कौन सी बात ठीक है।

भी एव० के० सिंह : हमने लिखा है "इन्फार्म्ड बाई मी" । वह 10 तारीख को इन्फार्म किया ।

चौं बरी रणधीर सिंह : में सिर्फ "यस" भौर "नो" में उत्तर चाहता हूं कि भाज जो कहा है वह ठीक है या पहले जो भाप ने लिखा है वह सही है ?

श्री एवं के लिंह। जो लिखा है उस को ही हमने सपोर्ट किया है। जो हमने लिखा है उसके भनुसार भ्राज ठीक कहा है।

चौबरी रणधीर सिंह: यानी भ्राज जो कहा वह भी ठीक है भीर जो लिखा है वह भी ठीक है।

श्री एच० के० सिंह : ग्रंपनी समझ से जो कहा है वह ठीक है। "इन्फार्म्ड बाई मी" का वहीं मतलब रहता है:

चौधरी रणधीर सिंह : मतलव को छोडिये ।

श्री एच के सिंह : हम ने जो कहा है वह ठीक कहा है ग्रीर जो लिखा है उस को सपोर्ट किया है। Either you say what is written here is correct or what you have stated today is correct. You be straightforward; don't hide anything. I have put a straight question whether what you have stated today is correct or whatever is written in your petition is correct, or whether both are correct. (The witness is evading the question.

श्री एच० कै० सिंह: जो हमने सुना या बह सिख दिया और उस के बाद जो प्राज बोले हैं, वह अपनी नालिज से ठीक कहा है।

श्री फ॰ गी॰ सेन : ग्रली हसन के ग्रलावा जो 14, 15 एक्यूज्ड भादिमियों के नाम ग्रापने लिखे हैं उन में पट्टेवार भी हैं।

ः **भी प्रच० के०ःसिंह**: हम को बता नहीं कै ।

MR. CHAIRMAN: Where is Jagdeesh, Chowkidar?

श्री प्**ष्ट-के सिंह** : हम ने उस को खबर किया या कि 16 तारीख को हमें यहां भाना है भौर उस को भी भाना है। हमारी खबर के मुताबिक वह 16 तारीख को ग्राने वाला था लेकिन बाद में यह तारीख 24 की हो गई। हम ने भ्रपने क्लाइन्ट के जिर्ये उसे खबर दिया भौर कहा कि वह 20 तारीख तक हमारे पास भा अगए क्योंकि 21 तारीख को सुबह को हमें क्स देना है। 21 तारीख को सुबह को हमें क्स देना है। 21 तारीख को सुबह 10 बजे तक हम ने उस की इन्तजार की लेकिन वह नहीं भाषा भौर हम चले भाए।

MR. CHAIRMAN: In whose hand-writing is this? This is a copy, but the original is in whose hand-writing?

श्री एवा॰ के॰ सिंह: हम को याद नहीं कि किस के हैंड राइटिंग में यह है। हम नहीं समझते थे कि इस तरह की बात होगी।

SHRI DHIRESWAR KALITA: Jagdish should be summoned.

MR. CHAIRMAN: All right, thank you very much. You may go now.

(The witness then withdrew)

Evidence of Sarvashri Badrinath Choubey, Inspector of Police Saharsa, and U. Sharma, Superintendent of Police, Saharsa.

(The witness took oath)

MR. CHAIRMAN: Your fullname, Please?

WITNESS: Badrinath Choubey.

MR. CHAIRMAN: What investigation did you make in this matter?

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Who investigated this case?

SHRI BADRINATH CHOUBEY: Myself.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Please show the diary for 28th.

SHRI BADRINATH CHOUBEY: That is noted in the Station Diary.

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Have you got a copy of the Diary?

SHRI BADRINATH CHOUBEY: No, sir.

MR. CHAIRMAN: This is about a quarrel which has been going on for a long time. Shri Tul Mohan Ram had made a complaint last time. You had also said that the complaint was made

CHAUDHURI RANDHIR SINGH: Could you kindly read it out?

SHRI BADRINATH CHOUBE: I read out the Station Diary of 27th.

ENTRY NO. 401, 402 and 403: This is about departure of constables from duty.

ENTRY NO. 404: Also departure of constable.

ENTRY NO. 405: That also is departure of a constable.

ENTRY NO 406: That is the duty of constable at the Police Station.

ENTRY NO. 407: 10.0 Hrs. Departure. That is about the departure of one A.S.I.—Assistant Sub-Inspector of Police.

SHRI DHIRESWAR KALITA: To which place?

SHRI BADRINATH CHOUBE: They departed to a different place. Harinandan Prasad to Gumrah.

CHAUDHURY RANDHIR SINGH: A.S.I. is a different person. He is not Shri Chandrika Prasad.

SHRI BADRINATH CHOURE: 408—This is about chowkidari parade.

ENTRY NO. 409: Dismissal of chow-kidari Parade.

ENTRY NO. 410: Arrival of a constable.

ENTRY NO. 411: No Entry.

ENTRY NO. 412: It is about the arrival of a Datedar.

ENTRY NO. 413: This is about the departure of Bihar Military Police constables.

ENTRY NO. 414: No entry

ENTRY NO. 415: No entry.

ENTRY NO. 416: This is about arrival of a constable.

ENTRY NO. 417: This is about the arrival of Havildar and constables.

Now I come to 28th starting from 6 O'clock in the morning.

ENTRY NO. 418: This is about peaceful passing of night.

ENTRY NO. 419: This is about the departure of Havildar and constable.

ENTRY NO. 420: No entry.

28th at 8.00 Hrs.

ENTRY NO. 421; Opened the Diary for the day.

ENTRY NO. 422: It is about inspection of Police Station and routine work.

ENTRY NO. 423: 9.0 Hrs. That is about distribution of duty to different Police Constables.

ENTRY NO. 424: 10.0 Hrs. No entry.

ENTRY NO. 425: It is about arrival and departure of constables.

ENTRY NO. 426: 11.30 Hrs. That is about arrival and departure of constable.

12 hours This is about the arrival of the chewkidars at the police station.

14 hours Arrival of a chowkidar Sher Uddin Miyan from Kumarah.

Diary No. 428. This is about the departure of a constable at 14.15 hours.

16 hours No entry.

17.40 hours Arrival of a constable.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Who was the O.C. then?

MR. CHAIRMAN: Let him first read it out completely.

SHRI BADRINATH CHOUBE: 18 hours No entry.

18.25 hours Arrival of a constable.

20 hours No entry.

22 hours No entry.

SHRI RANDHIR SINGH: From where do these constables arrive?

SHRI BADRINATH CHOUBE: Some constables arrive from mofussil places and some others from other areas.

29th November: 6 'O'clock Passing of the peaceful night.
8 'O'clock Closed the diary. At the same time the next entry is opening of the diary at 8 'O'clock on 29th.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Now we have finished with that

MR. CHAIRMAN: Let us hear about the 29th.

SHRI BADRINATH CHOUBE: 9 O'clock. Distribution of pahara and we go 9 O'clock again. Arrival and institution of a case.

"मैं थाना प्रभारी श्री चिन्द्रका प्रसाद साथ कांसटेबिल 8 महुम्मद इशहाक के झौर आम्डं फोर्स के थाना वापस आए व चार्ज लिया, व अपने ब्यान पर केस नं० 14 29—11—1969 को धारा 144/353/216/504 भारतीय दंड विधान तुलमोहन राम एम॰ पी॰ वगैरह के कायम किया"।

MR. CHAIRMAN: What time was it?

SHRI BADRINATH CHOUBE: It was at 9 hours on the 29th.

MR. CHAIRMAN: What is the entry number?

SHRI BADRINATH CHOUBE: This is entry number 440. Next entry is the departure of a constable with urgent papers to the District Head-quarters.

10 hours No entry.

12 hours Beginning of parade of the chowkidars at the Police Station.

MR. CHAIRMAN: Then there is nothing extraordinary about Shri Tul Mohan Ram.

SHRI BADRINATH CHOUBE:

MR. CHAIRMAN: There is no mention about the Superintendent's visit at the police station on 29th.

SHRI BADRINATH CHOUBE: There is no mention of the visit of the S.P. on the 29th morning.

SHRI DHIRESWAR KALITA: I suppose that on 29th you did not visit the police station.

SHRI U. SHARMA: I did not visit the police station at all on 29th.

MR. CHAIRMAN: When did the police leave from the police station?

SHRI U. SHARMA: We will have to go a little behind to know when he left the police station.

SHRI DHIRESWAR KALITA: By whom were these entries written?

SHRI U. SHARMA: They must have been written by some officer available at that time.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Who was the officer available at that time?

SHRI BADRINATH CHOUBE: Some entries were made by the constable.

MR. CHAIRMAN: You will please tell me whether there is such an entry as this:

"It was about 4.30 P.M. at that time. I drew up my statement in the village at about 7 P.M. Next morning I came to Thana which is 7 or 8 miles from Sarauni. There I drew up a formal F.I.R."

SHRI BADRINATH CHOUBE: Entry Number 440 is about the arrival at police station and registration of a case on the basis of the statement made by him in the mofussil area on the 28th.

MR. CHAIRMAN: You will please read out Entry No. 440. According to that he came and took charge at the police station. Did he leave the police

station immediately before that? If

SHRI DHIRESWAR KALITA: And for what purpose?

SHRI C. M. KEDARIA: This is a personal diary of the S.P. Shri Chandrika Pressd.

SHRI BADRINATH CHOUBE: This is the diary of the S.I.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Let us hear about that diary.

MR. CHAIRMAN: You were asking about the personal diary.

SHRI DHIRESWAR KALITA: Let us know as to when did he leave the police station?

MR. CHAIRMAN: What is the time of arrival and departure of the constable from the police station?

SHRI U. SHARMA: From the personal diary I find that he left the police station on 21.11 at about 12.15 hours.

MR. CHAIRMAN; Does it mean that on 21.11 and 29.11 he was away from the police station from 12.15 hours?

SHRI U. SHARMA: It shows like that.

MR. CHAIRMAN: He arrived at the police station on the 29th according to his personal diary.

MR. CHAIRMAN: Please read out that entry.

SHRI BADRINATH CHOUBE: Entry No. 318 shows that he left the police station at 12.15 hours on 21-11-1969.

SHRI DHIRESWAR KALITA: He left alone or along with some police officers and with what arms.

बी बहीनाव चीबे: "मैं थाना प्रभारी, साथ कांस्टेबिल 8, इश्हाक खां के केस नम्बर 7 (11) 69, धारा 302 भारतीय दंड विधान की जांच के लिए रवाना हुए। साथ में ग्राम्ड फोर्स भी लिया।" 7—564 LS.

भी भीरेश्वर कलिता : कितना भार्म्ड फ़ोर्स लिया ?

श्री उपेन्द्र शर्मा: It is not written here. It is 1/4 or 1/3.

SHRI U. SHARMA: The personal diary of the officer dated 21-11-1969 at 12.35 hrs. mentions:

"याना के साथ कांस्टेबिल 8 मुहम्मद इश्हाक खां के केस नम्बर 7 (11) 69 धारा के 302 माई० पी० सी० के मनुसंधान पर रवाना हुए।"

MR. CHAIRMAN: What is the personal diary so far as 28th and 29th are concerned?

SHRI U. SHARMA: It mentions:

"डायरी आरम्भ किया। 13 बजे।
गुप्त रूप से पता चला कि शेख ग्रली हसन
साकिन बहुआरवा जलई पुनर्वास का
अपने गैंग के साथ सरौनी गया हुआ है
तथा श्री तुलमोहन राम ने वहां बुलाया है
धारा 145 का जबती का धान काटने व
कटवाने के लिए। और चूकि यह शख्स
बहुत मुकदमें में फरार है, मय अपने वीलपी॰
फोसं तथा कांस्टेबिल 8, इश्हाफ खां व
कांस्टेबिल 179, राम किशोर सिंह के साथ
अली हसन को गिरफ्तार करने रवाना
हुए।"

MR. CHAIRMAN: It means at 4 O'clock he had already drawn the F.I.R.

SHRI U. SHARMA: It is not clear. I do not know why he has given two times—15.45 and 16.00 hrs.

MR. CHAIRMAN: Kindly read it. It is important.

SHRI U. SHARMA: I would like to mention by an arrow mark he has mentioned that the following entry the time is 15.45 hrs.

एक समय 15.45 का दिया हुआ है और दूसरा समय 16.00 बजे का दिया हुआ है। सरौनी में जो घटना श्री तुलमोहन राम के साथ घटी वह भी एफ० आई० आर० केस नम्बर 14 (11) 69 धारा 144/353/216/504 भारतीय दंड विधान में दर्ज किया है। डायरी बन्द किया 24 बजे।

Then there are two timings given. Why? I do not know.

श्री सभापति : जराइस को फिर से पढिये ।

श्री उपेन्द्र शर्मा: सरौनी में जो घटना श्री तुलमोहन राम के साथ घटी वह भी एफ॰ ग्राई॰ ग्रार॰ केस नम्बर 14 (11) 69 धारा 144/353/216/504 भारतीय दंड विधान में दर्ज किया है।

MR. CHAIRMAN: At 7 O'clock and 8 O'clock what has he written?

SHRI U. SHARMA: There is no entry.

भी सभापति: यह जो एरो बना हुमा है तो यह तो नहीं है कि यह घटना इन दोनों समय में से जिस डायरेक्शन में एरो बना हुमा है, उस समय पर घटी।

SHRI U. SHARMA: Obviously that shows. Arrow mark shows that,

After 1900 hrs. the next time is 2400 hrs.

MR. CHAIRMAN: What is that?

श्री उपेन्द्र शर्मा : 12 बजे से मतलब है ।

MR. CHAIRMAN: On 29th.

श्री उपेन्द्र शर्माः जीहां। यानी 12 बजे डायरी वन्द किया।

SHRI U. SHARMA: On 29-11-1969 diary is opened at Sarauni. Time given is six hours.

डायरी भारम्भ किया । सरौनी से रवाना हुए साथ फोर्स व कान्स्टेबिल १ इसहाक खां व कान्स्टेबिल १ वर्ज थाने पर स्टाफ के साथ भाए, व भपने लिखित ब्यान के भाभार पर केस नं० 14, धारा 144, 353, 216, 504 भारतीय दंड विधान के कायम किया ।

- 14.45 थाना सहरसा के लिए प्रस्थान किया ।
- 14.45 सहरसा पहुंचे। सी० माई० (सर्किल इंस्पेक्टर) से मुलाकात नहीं हुमा ।

SHRI DHIRESWAR KALITA: What is the mileage between Mahishi to Saharsa.

SHRI U. SHARMA: Five miles. That is a District Headquarter.

15.15 सहरसा पहुंचे। डी०एस० पी०से बातचीत हुमा।

16.30 सहरसा से रवाना हुए।

17.30 थाने वापस माए।

MR. CHAIRMAN: At that time you had a talk with him. Did he meet you?

SHRI U. SHARMA: He met D.S.P.

SHRI BADRINATH CHOUBEY: The first information report was recorded on 29th November, 1969 at 9 hrs.

MR. CHAIRMAN: We are sorry that you had to come back again because of anomalous position arisen out of going through the records otherwise we would not have bothered you.

(Committee then adjourned).

APPENDICES

		FAGE
I.	Notice of question of privilege given by Shri Tulmohan Ram, M.P.	100
II.	Explanation furnished by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector, Police Station, Maheshi (Bihar)	109
III.	Comments of the Government of Bihar	111
IV.	Documents furnished by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police	113
V.	Copy of statement of Shri Kaleshwar Mandal recorded by Inspector, Police (I.O.) Saharsa in course of investigation of Maheshi P.S. Case No. 14 dated 29-11-69 U/s 144 353/216/504 IPC in C.D. No. 2 dated 7-12-1969	131
VI.	Copy of statement of Shri Thakur Prasad Yadav recorded by Inspector of Police (I.O.) Saharsa in course of investigation of Maheshi P.S. Case No. 14 dated 29-11-69 U/s 144/353/216/504 IPC in C.D. No. 2 dated 7-12-1969	132
VII.	Attested copies of the relevant entries in the Police Station Diary and Personal Diary of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Maheshi (Bihar)	133
VIII.	Copy of complaint filed by sepoy Jagdish Singh, watchman, appointed by Shri H. K., Receiver, to look after the disputed attached paddy fields.	137

APPENDIX I

[Notice of question of privilege given by Shri Tulmohan Ram, M.P.]

Tulmohan Ram

Member of Parliament,

(Lok Sabha)

34, Gurdwara Rakabganj Road, New Delhi.

December 16, 1969.

To

The Secretary, Lok Sabha, New Delhi.

Reg. Question of privilege under Rules 222, 223.

Dear Sir,

I have been elected to Lok Sabha from Arata constituency (Reserved for S.C.) Bihar Pradesh with thumping majority mainly on the support of small farmers and Scheduled castes landless labourers.

- 2. It is the policy of the Government of India as well as that of the State Government of Bihar Pradesh that fallow and idle land must be distributed among Scheduled Castes and Scheduled Tribes landless labourers who are called agriculture labour. I am also devoted to their policy and whenever and wherever I got an opportunity I propagate this policy. Some of the prominent political leaders, Government officers including the police officers in my area belong to the families of landlords and big farmers. They have turned to be the greatest enemy of my life.
- 3. One leaflet* was printed and distributed in my area nearly one month before the incident. The leaflet contains my name also, though it was never printed and circulated with my consent. I came to know about the leaflet on the day of occurrence only and that through the S.I. Shri Chandrika Prasad. This leaflet contains some demands and one of the demands is: "Suspended Incharge Police Station Mahishi".
- 4. The S.I. Shri Chandrika Prasad of P.S. Mahishi was told by my political opponents that it is 'Tulmohan Ram, Member of Parliament' who has printed and circulated this leaflet. This publication of leaflet invited the greatest displeasure of the said S.I.
- 5. On 28th November, 1969 the S.I. Shri Chandrika Prasad met me in the afternoon outside the village; he was coming from my paddy field after getting the paddy crop looted by Kaleshwar Mandal, Sukhdeo Mandal, Hardeo Mandal and others. On my questioning as to why my paddy crop was looted and that too under the protection of police, the said S.I. asked me to get down from the back of the horse and showed me the said leaflet. He rebuked me and told me if I get such leaflets published,

^{*}See Annexure I.

I shall suffer like this. I reached my house, the S.I. accompanied by persons hostile to me reached my house and was entering my family apartment. I told the S.I. that only ladies and children are in the house. On this the said S.I. got me arrested. The S.I. began to rebuke me again:—

- "Tumahare jaise bahut se MP dekhe hain, jhoot bolna MPon ka pesha ho gaya hai. Chamar, Dusadh bhi MP ka shan dikhata hai."
- 6. I remained in the police custody (under arrest) for more than half an hour. I was set free on the request of hundreds of persons of my village—Sarauni.
- 7. The S.I. Shri Chandrika Prasad himself has practically admitted in the F.I.R./* that he, most unceremoniously disbelieved my statement:—
 - "I met with Tulmohan Ram, M.P. and his brother Hari Mohan Ram. S/o Chimit Chamar of Sarauni Village. On my question both of them denied to have called Sk. Ali Hasan or his gang members for such crime as dealt above."
- 8. The said S.I. took me in police custody which is evident from the following line of the F.I.R. lodged by him:—
 - "I asked Tulmohan Ram to accompany me as I wanted to search his house."
- 9. The said S.I. did not think necessary to take some gazetted officers with him or at least could have got the house search warrant.
- 10. Let me have the privilege to raise the question of privilege under rules 222, 223 on the following grounds:—
 - A. That the S.I. Chandrika Prasad did not believe my statement which was truthful.
 - B. That the said S.I. arrested me while the session of Lok Sabha is in continuance and did not inform the Hon'ble Speaker of the House.
 - C. That the S.I feeling aggrieved on flimsy grounds rebuked me and insulted me in public.
 - D. That the S.I. gave sweeping remark against all the Members of Parliament.

^{*}See Annexure II.

- E. That the S.I. has planted a false case against me only because I believe and propagate the policy which is approved by this August House.
- F. That the case is concocted one which is evident from the F.I.R. though the F.I.R. was lodged by the said S.I., himself but on 29th November, 1969 while incident is alleged to be of 28th November, 1969.
- G. That the Bihar State is under President Rule.
- 11. Therefore it is prayed that I should be allowed to raise the question of privilege on the floor of the House about this unfortunate and serious incident which has created a tension and sense of insecurity in the minds of Scheduled Castes people in particular and working class in general.

Very truly yours, Sd/- Tulmohan Ram

ANNEXURE I

इन्कलाब जिन्दाबाद। संयुक्त वामपंत्री मोर्चा जिन्दाबाद।।

जमीन का बटवारा——जल्द करो। बटाई जमीन पर——डटेरहो।।

तारील 12-11-69 रोज बुधवारको चना सींहागपुर में दिन के 2 बजे तना ता॰ 13-11-69 बृहस्पतिबार को अमटा में विन के दो वजे में बिराट ग्रान सभा।

साथी तुलमोहन राम एम० पी०, का० कैलास बिहारी यादव, साथी परमानन्द झा, श्री सेताराम सिंह, श्री भोला प्रसाद सिंह, का० जनार्दन पाण्टेय, का० अलिहसन आजाद, का० चन्द्रकान्त मिश्र, श्री संतजी सर्वोदय मंत्री बिहर झादि नेताओं का भाषण:—— किसान मंजदूर भाइयों

22 वर्षों के जमीन्दार पूंजीप ति वर्ग को कांग्रेसी शासन ने किसानों, मजदूरों का शोषण इस बेरहमी में किया है कि माज देहाती इलाकों मे हर स्थान पर गरीबी, बेकारी, भखमरी का ही राज है। नतीजा यह है कि जमीन्दार लोग स्थानीय लठैतों, पुलिस तथा मजिस्टेटों की मदद से पूरी देहाती क्षेत्रों में जंगल का राजा कायम कर दिया है किसान मजदूरों के साथ जानवरों के सदश्य व्यवहार किया जाता है। उनके बहु-बेटियों के साथ बालात्कार किया जाता है, उनके जगह जमीन को जबरदस्ती जमीन्दार लोग दखल लेते हैं। किसानों मजदूरों पर पुलिस तथा मजिस्ट्रेट की मदद से झुठा केस किया जाता है इसका सबसे नंगा उदाहरण है कि किसानों के जन प्रिय नेता का० ग्रलिहसन म्राजाद पर कई झूटे केस किये गये हैं। उन्हें जाल फरेब करके घृणित बी० एल० केस में भा फंसाया गया है तथा जमीन्दार लोग एक जुट हो कर झुठा ग्रभियोग कर का० प्रलिहसनं आजाद के ऊपर दर्खास्त दे रहे हैं तथा पुसिस भी उनका साथ दे रही है। ग्राज तक कोई भी कार्य इस जमीन्दार

पूजीपति वर्ग की कांग्रसी सरकार के द्वारा किसानों तथा मजदूरों के हित में नहीं हुमा है। इसके लिए किसानों को अपना संगठन स्वयं करना होगा भीर जमीन का बंटवारा करने के लिए संघर्ष तेज करना होगा।

हमारी मांगे निःनलिखित हं:---

- का० ग्रलिहसन ग्राजाद पर चल रहें बी० एल० केस तथा दूसरे केस वापस लो।
- तमाम किसानों पर चल रहे झूठे केस को वापस लो।
- 3. बटाईदारों की बटाई जमीन पर पुलिस हस्तक्षेप बन्द करो।
- 4. महिषी के थाना प्रभारी को मुम्रतल करो।
 - 5. जमीन का बटवारा जल्द करो।
 - 6. जमीन्दारों का जुल्म बन्द करो।

सावका निवेदक

- का० चीनी लाल पासवान कम्यू-निस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
- 2. का० शेनी पासवान
- 3. का० सहदेव सादा
- 4. का० इलियास
- का० रामजतन सिंह
- 6. का० जोवछ शर्मा
- 7. का० लाल मोहर राय
- 8. का० साथी कालेशवर सं० सो० पार्टी पासवान

(English Translation of Annexure-I)

INQUILAB ZINDABAD

SAMYUKTA VAMPANTHI MORCHA ZINDARAD

Distribute the land quickly

Batai Zameen per datey raho.

A huge public meeting in Aina Sohagpur on 12th November, 1969 at 2 P.M. and in Jhamta on Thursday, on 13th November, 1969 at 2 P.M.

SPEECHES BY

Comrade Tulmohan Ram, M.P., Comrade Kaliash Bihari, Yadav, Comrade Parmanand Jha, Shri Sita Ram Singh, Bhola Prasad Singh, Comrade Janardan Pandey, Comrade Alihasan Azad, Comrade Chandrakant Mishra, Shri Santii Sarvodaya and Ministers from Bihar.

Farmers, Labourers brothers,

The Congress Government of Zamindar capitalist class has exploited the farmers and labourers so ruthlessly that poverty, unemployment and starvation are reigning in every part of the rural areas. Consequently the Zamindars have established jungle rule throughout the rural areas with the help of local goondas, police and magistrates and farmers and labourers are being treated as animals. Their wives daughters are being raped, their lands and houses are being forcibly occupied by zamindars. False cases are instituted against farmers and labourers with the help of police and magistrates and a glaring example of it is that several false cases have been framed against comrade Alihasan Azad, the beloved leader of farmers. He has been implicated in the nefarious B.L. case falsely and the zamindars have joined together to fabricate cases against comrade Alihasan Azad and police is working in collusion with them. This congress government of zamindar capitalist calss has not done anything in the favour of farmers and labourers to Formers will have to unite for hte purpose and will have to struggle for the distribution of land.

Our demands are as under: -

- (1) B.L. cases and other cases against comrade Alihasan Azad be withdrawn.
- (2) All false cases against all the farmers be withdrawn.
- (3) Police interference in the land of the tenants be stopped.
- (4) S.H.O., of Mahishi police station be suspended.

- (5) The distribution of land be completed quickly.
- (6) The atrocities of zamindars should be checked.

Yours faithfully,

1. Comrade Chini Lal Paswan	(Communist Party Marxist)
2. Comrade Shaini Paswan	do
3. Comrade Sehdev Sada	do
4. Comrade Illiyas	do
5. Comrade Ramjatan Singh	do
6. Comrade Jeevach Sharma	—do—
7. Comrade Lal Mohar Rai	do
8. Comrade Kaleshar Pasman	P.S.P.

First Information report

Sub-Division—Saharsa (District Saharsa No. 14) (date and hour of occurrence 28-11-69.

16 to 16½ hours.

1. Date and hour when reported.

28-11-69 19 hrs. at Saharsa

29-11-69 9 hrs. at P.S.

2. Place of occurrence-

Village-Sarauni-6 miles left from P.S. Circle No. IV Map No. 52.

3. Date of despatch etc.

By Spl. Mess.

4. Name and residence of Complt: -

State through Chandrika Prasad, Officer Incharge P.S. Mahishi District Saharsa.

- 5. Name and residence of accused.
 Tulmohan Ram, M.P., and 18 others of village Sarauni P.S. Mahishi.
- 6. Brief description: -

Daring obstruction to public servant in official discharge of duty forming, unlawful assembly with guns and deadly weapons, harbouring and giving shelter to absconding accused with consent to prevent him.....

Steps taken

Registered case on my own statement, order for investigation may be passed.

Under sections 144/353/216/504 of the IPC.

Sd/- O/C Mahishi, 29-11-69. My written statement is attached herewith which has been treated as F.I.R.

O/C Mahishi 29-11-69.

: I Chandrika Prasad, S.I. of police and officer incharge of Mahishi police station do hereby state in writing that today on 28-11-1969 at about 1 P.M. on receipt of information from a reliable source at Kumachara village that Sk. Ali Hasan son of late Sk. Gudar Mian of Bahurwa Jalai Punarbash, police station Mahishi alongwith his gang members have gone to village Sarauni at the invitation of Tulmohan Ram, M.P. of village Sarauni to get paddy crop harvested on behalf of Tulmohan Ram of the lands extending about 59 bighas which has been attached under sections 145 cr.c. from court (Thakan Ram Vrs. Jagannath Prasad) and is under the Receivership of Shri Hare Kisun Singh Saharsa Court. I alongwith C/8 M. Ishaque Khan C/179 Rajkishore Singh and B.M.P. Armed force Naik Ramiee Sharma, 303 Sakaldeo Singh, 305 Ramesh Pandey, 568 Ram Parichhan Singh and 257 Ramanande Singh proceeded to arrest Sk. Ali Hussain son of late Gudar Mian of Bahurwa who is now absconding (Bahurwa) Jalai Punarbash P.S. Mahishi P.S. case Nos. 8(11)69, 10(11)69, 11(11)69, 12(11)69 and 13(11)69 and well known for notoriety in Mahishi elaka and as well as on the bordering police stations elaka. On arrival near a drain at about 4 P.M. about 25 yards west of eastern embankment and close to Sarauni village I met with Tulmohan Ram, M.P., and his brother Harimohan Ram son of Chimit Chamar of Sarauni village. On my question both of them denied to have called Sk. Ali Hussain or his gang members for such crime as dealt about information by my spy that Sk. Ali Hussain has been given protection and shelter in the house of Tulmohan Ram by Tulmohan Ram. I asked Tulmohan Ram to accompany me as I wanted to search his house for the absconding veteran criminals Sk. Ali Hussain since he has given him (Sk. Ali Hussain) Protection and shelter in his house and he has been harboured for getting the paddy crop harvested as said. On this Tulmohan Ram got furious and by then I alongwith the above force reached over the eastern embankment. This Tulmohan Ram started abusing me and the whole force filthily with serious consequences—being M.P. and ran away with his brother to his house. Myself with the above force proceeded a bit advance at a distance of about 100 yards towards north over the embankment as there was dirty muddy water on the main village leading to village Sarauni, then took turn to the east through the field and then entered the village through north by the side of the Baithak of Sri Kalesar Mandal. I called the witnesses 1, Shri Kalesar Mandal son of Gosai Mandal Mukhiya, Gram Panchyat Sarauni 2. Dipnarain Mandal son of Ras Mandal 3. Laxmi Mandal son of Jamun Mandal 4. Thakur Prasad Yadav son of Gokhul Mandal and 5 Hordeo Mandal son of Nanu Mandal all of Sarauni village and requested them to accompany me saying to them that I wanted to search the house of Tulmohan Ram who has harboured and has been concealing Sk. Ali Hussain son of late Gudar Mian of

Bahuriba/Jalai Punarbash p.s. Mahishi veteran dacoit presently absconding in many criminal cases in his house. I then alongwith the above proceeded towards west by the village road which side house of Tulmohan Ram existed and when reached hardly 50 yards ahead we saw from within a very visible sight accused 1. Tulmohan Ram 2. Hari Mohan Ram son of Chimit Chamar 3. Gebal Ram son of Somar Chamman armed with a gun each 4. Theakan Ram son of Chimit Chamar 5. Achhai Ram son of Nirti Ram 6. Bhagwat Ram son-in-law of Tulmohan Ram accompanied with more than 14-15 men all armed with bow and arrow and bhalas stood at his south extend its side of Tulmohan Ram's house and Tulmohan Ram gave me and my abovesaid force a very strong warning to halt. at the very place where I was and armed all their three guns to shoot upon us if I proceed ahead to search his house for the absconding accused Sk. Ali Hussain. In fact I halted along with my men for a moment upon the warning given by Tulmohan Ram and finding aiming position of loaded gun by 1. Tulmohan Ram. 2. Harimohan Ram and 3. Kebal Ram over me and my men and instantaneously side by side allowed absconding accused Sk. Ali Hussain son of late Gudar Mian of Bahurwa/Jalai Punarbhash p.s. Mahishi to come out from his house and he was made to fly away over a very swift horse towards and by passage leading to north. We tried to search and find him out but of no avail. Absconding accused Sk. Ali Hussain was made good escape by the aforesaid accused persons.

As ascertained altogether the following accused persons took part in the commission of the occurrence:—

- 1. Tulmohan Ram, M.P.
- 2. Harimohan Ram son of Chumit Chamar.
- 3. Kebal Ram son of Samar Chamar
- 4. Thakkan Ram son of Chumit Chamar
- 5. Achhai Ram son of Nirti Chamar
- 6. Bhagat Ram son-in-law of Tulmohan Ram
- 7. Mudao Ram son of Nirti Chamar
- 8. Satto Ram son of Nirti Chamar
- 9. Janardan Ram Chacherabahnoi of Tulmohan Ram
- 10. Guneshwar Ram son of Babulai Mandal
- 11. Chhattar Mandal son of Sukan Mandal
- 12. Asarfi Mandal son of Sukan Mandal
- 13. Jini Mandal son of Raghu Mandal
- 14. Arjun Jha son of Sirinath Jha.
- 15. Mangal Khatwe son of Bansi Khatwe
- 16. Jini Mandal
- 17. Bhola Chamar son of Kali Charan Chamar

- 18. Sitaram Misir son of Uchit Misir
- 19. Kusun Khatwe son of Baldeo Khatwe

all of village Sarauni p.s. Mahishi Dist. Saharsa.

The following witnesses will prove charges against the aforesaid accused persons:

- 1. Shri Kaleswar Mandal son of Sogain Mandal
- 2. Dipnarain Mandal son of Rasdhari Mandal
- 3. Laxmi Mandal son of Jamun Mandal
- 4. Thakur Pd. Mandal son of Gokhul Mandal
- 5. Hardeo Mandal son of Nanu Mandal all of Sarauni p.s. Mahishi.

The occurrence took place at 4.30 P.M., situation would have been worse had I not acted with restraint.

I charge all the aforesaid 19 accused persons for causing me doing obstruction in official discharge of duty forming unlawful assembly armed with deadly weapons and harbouring and giving shelter to absconding accused Sk. Ali Hussain of Bahurhwa/Jalai Punarbas p.s. Mahishi with the intention of preventing him from being apprehended and daringly allowing him to escape away and also uttered abusive things which falls under the ingradient of sections 144, 353, 216, 504 of the IPC.

O/C Mahishi.

Registered Mahishi

p.s. case No. 14 dated 29-11-69, u/s. 144/353/216/504, IP.

APPENDIX II

Explanation furnished by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector,
Police Station Mahishi (Bihar)

To

The Superintendent of Police, Saharsa.

Reference: -Your Memo No. 2844/C, dated 24-12-1969.

Subject: Privilege motion raised by Shri Tulmohan Ram, MP.

Sir,

My pointwise reply is given below: -

- A. The question of believing the statement of Shri Tulmohan Ram, MP, did not arise. I had definite information that Sk. Ali Hussain, absconder in Mahishi Police Station Case Nos. 8, 10, 11, 12 and 13(11)69 under Sections 144/379, Indian Penal Code and also warrants of arrest issued against him in 110 and 107, Code of Criminal Procedure, proceedings from the competent court, was concealing at the house of Shri Tulmohan Ram, and sheltered by him. My information was found to be correct when I saw him escaping from his house on a horse when we were prevented by Shri Tulmohan Ram, M.P. and 18 others from taking any legal action at the point of three fire-arms and other deadly weapons.
- B. It is not a fact that I had ever arrested Shri Tulmohan Ram, M.P. I asked him as the owner of the house to accompany me as I wanted to search his house for Sk. Ali Hussain. This cannot be inferred that I had arrested him.
- C. It is also not a fact that I ever rebuked and insulted him in public rather he rebuked, insulted me, abused me filthily and prevented me from taking legal action.
- D. There was no occasion for me to make sweeping remarks against any member of the Parliament. I have actually high regards for them.
- E. It is not a fact that I planted a false case against Shri Tulmohan Ram, M.P. The case is under investigation and supervision by higher officers. As an accused in a criminal case, he may bring any allegation he likes. The veracity of the case will emerge on the conclusion of the investigation.

- F. The incident took place in village Sarauni in the evening of the 28th November, 1969. I drew up my statement at the spot the same evening, i.e., the 28th November, 1969 concluding it at 19.00 hours. A formal F.I.R. was drawn up at the Police Station (Mahishi at Bangaon) on the 29th November, 1969 at 09.00 hours on my return. There has been no delay in instituting this case.
 - G. It is a fact that the State is under President's Rule.
- 2. The above incident refers to Mahishi Police Station Case No. 14, dated the 29th November, 1969 under Sections 144/216/353/504, Indian Penal Code.

Yours faithfully,
Sd/CHANDRIKA PRASAD.
24-12-1969
Sub-Inspector,
Mahishi Police Station
24-12-1969.

APPENDIX III

Comments of the Government of Bihar

Comments on the points raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., in his Privilege Motion before the Lok Sabha.

- 1. The Sub-Inspector did not believe his statement although it was truthful.
- In support of this statement Shri Tulmohan Ram, M.P. has relied on two sentences of the F.I.R. lodged by the Sub-Inspector since the matter is sub-judice, the State Government would not like to comment on it.
- 2. The Sub-Inspector arrested him while the Session of Lok Sabha was going on and did not inform the Hon'ble Speaker of the House.
- The Sub-Inspector has denied to have arrested Shri Ram. On this point, two other versions are available. In this statement to Superintendent of Police, Saharsa, on the 29th November, 1969, Shri Ram has referred to statement alleged to have been made by the Sub-Inspector.

"मै भ्रापको गिरफ्तार करता हूं"

This statement should be read along with its context.

'इस पर व गाली देते हुये कहे कि मैं ग्रापको गिरफ्तार करता हूं ? इस पर मैंने कहा किस दफा में तथा गिरफ्तारी का बारस्ट दिखाइये तो मैं ग्रापके साथ चल सकता हूं। इस पर उन्होंने कहा कि दफा ग्रीर वारस्ट मेरे जेब में हैं। ज्यादा बकबक मत करो सीधे मेरे साथ चलो। बाद में मेरे इनकार करने तथा मेरे चाचा ग्रीर प्समधी के विरोध एवं हल्ला करने पर रिहा किये शाये।

The second version is contained in a complaint filed by Shri Thakan Ram, brother of Tulmohan Ram, in the court of S.D.O., Saharsa on the 21st November, 1969. This Complaint, while reiterating that the Sub-Inspector help the other accused persons in looting the crops, makes no mention of the alleged arrest of Shri Ram. According to the statement of Shri Ram before the Superintendent of Police, Saharsa, the alleged arrest took place some where between the embankment and this House while according to the version given by him to the Speaker of the Lok Sabha, this happened at his house.

- The Sub-Inspector feeling aggrieved on filmsy grounds rebuked him and insulted in public.
- This has been denied by the Sub-Inspector.
- The Sub-Inspector made sweeping remarks against all the Members of Parliament.
- This has been denied by the Sub-Inspector. Besides it has not been mentioned by Shri Ram in his statement before Superintendent of Police, Saharsa on the 29th November, 1969.
- The Sub-Inspector has planted a false case against him only because Shri Ram believed and propagated the policy approved by the Parliament.
- No comments since the case is Sub-judice.
- The case is connected one which is evident from the F.I.R. itself.
- No comments as the matter is Sub-judice. However, the Sub-Inspector has stated that he drew up a statement at the spot on the 28th November, 1969 and recorded a formal F.I.R. on his return to the Police Station on the following date.
- 7. Bihar is under President's Rule at present.

Admitted.

APPENDIX IV

Documents furnished by Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police

To

The Dy. Secretary,

Lok Sabha.

New Delhi.

Sub.--Privilege Motion raised by Shri Tulmohan Ram, M.P., against Shri Chandrika Prasad, S.I. of Police, Mahishi in the district of Saharsa (Bihar).

Sir,

In connection with the above Privilege Motion, I am to send herewith the following documents duly certified to be true copy of Dy. Supdt. of Police, Saharsa which are relevant in the case under enquiry. These documents may kindly be placed before the Committee of Privileges:—

- (i) Report II dated 24-12-69 (Supervision note of S.P., Saharsa in Mahishi p.s. case No. 14 dated 29-11-1969 u/s 144/353/216/504 IPC)—[Annexure I].
- (ii) Petition of Shri Tulmohan Ram dated 29-11-1969 submitted before S.P., Saharsa—[Annexure II].
- (iii) Complaint petition filed by Sri Thakan Ram, own brother of Shri Tulmohan Ram, M.P. dated 29-11-1969 before S.D.O., Saharsa—[Annexure III].
- (iv) Explanation of S.I. Chandrika Pd. dated 24-12-1969—[Annexure IV].
- (v) Comment of S.P., Saharsa dated 25-12-1969—[Annexure V].
- (vi) Complaint petition filed by Sri Hare Kishun Singh, Advocate, Receiver dated 28-11-1969 and dated 1-12-1969—[Annexures VI and VII].

Yours faithfully,
Sd/CHANDRIKA PRASAD
S.I. of Police, Chausa PS
Dist. Saharsa (Bihar).

ANNEXURE I

Memo No. 6034/CR.

Dated, the 24-12-1969.

Saharsa S.R. 243/69.

Report II dated 24-12-1969.

(Mahishi p.s. case No. 14 dated 29-11-1969 u/s 144/353/216/504 IPC).

In the night of 28/29-11-1969 at about 1 A.M. Sri Tulmohan Ram, M.P., told me on phone that there was imminent danger of bloodshed in village Sarauni as S.I. Mahishi p.s. along with an armed party was adamant on searching his house and he had given a direction to his brothers and other relations to resist house search even at the cost of life and also by taking resort to firing at the police party if the Daroga insists on house search. When I asked him as to what was the S.I. looking for and was trying to recover by house search, Sri Tulmohan Ram did not say anything. He requested me to take some action to stop the S.I. from searching his house. I told the M.P. that if the S.I. had gone mad by trying to search his house without any ground it was expected at least of his to have maintained a mental equilibrium and he should not have given order to his relations to take up arms against the police party. However, asked him to compose himself and I told him that I would look into the matter the following morning.

- 2. On 29-11-1969 I supervised the case at the spot.
- 3. S. I. Chandrika Pd. O/C Mahishi p.s. is complt, of the case. His case is that on 28-11-1969 at about 13.00 hrs. while he was in village Kumhra he received information that Sk. Ali Hassan along with his gang members had gone to village Sarauni in aid of Sri Tulmphan Ram, M.P. for harvesting paddy forcibly and stealthily from about 50 Bighas of disputed land attached by the court and placed in the charge of a Receiver. This Ali Hassan was wanted in a few cases of his p.s. and so S.I. rushed with a section of armed force which was at his disposal to village Sarauni. The S.I. met Sri Tulmohan Ram about 25 yards west of the Eastern Embankment opposite to village Sarauni when he reached the place at about 4 P.M. On being questioned, Sri Tulmohan Ram and his brother Harimohan Ram both denied the presence of Ali Hassan at the place. The S.I. learnt confidentially that Ali Hassan was actually taking shelter in the house of Tulmohan Ram and so he requested Sri Ram to accompany him to his house which he (S.I.) wanted to search for arrest of Ali Hassan who was wanted in almost 5 cases of his p.s. Sri Tulmohan Ram did not relish this proposal of the S.I. and he lost his temper. The S.I. proceeded towards his house along with search witnesses, Sri Kauleshwar Mandal s/o Sri Gossian Mandal, Mukhia of Sarauni Gram Panchayat, (2) Sri Dip Narain Mandal, s/o Randhari Mandal, (3) Sri Laxami Mandal s/o Jamuna Mandal, (4) Sri Thakur Pd. Yadav s/o Gokhul Mandal and (5) Sri Hardeo Mandal s/o Nanu Mandal all of Sarauni. When the police party along with witnesses had reached within 50 yards from the house of Sri Tul-

mohan Ram, Sri Ram along with his brother, (2) Harimohan Ram, (3) Kewal Ram, uncle of Sri Ram, all armed with guns, (4) Thakkan Ram, (5) Achhey Ram and (6) Bhagwant Ram along with 14-15 other men armed with bows and arrows and bhalas took position. Sri Tulmohan Ram warned the S.I. not to proceed towards his house for the arrest of Sk. Ali Hassan. The S.I. and his party stopped for a while completely bewildered at the stand taken by Sri Ram and just then Ali Hassan escaped on a horse. 19 persons including Shri Tulmohan Ram, his 2 brothers, Harimohan Ram and Thakkan Ram, his uncle, Kewal Ram and Achhey Ram and his son-in-law Bhagwant Ram have been named in F.I.R.

4. P.O.—Village Sarauni lies at the adjacent east of the eastern Kosi embankment. The disputed land from where paddy has been harvested is to the west of this embankment at about half a mile to one mile from this place. That paddy had been harvested forcibly and stealthily was apparent from the fact that the cutting was done in a haphazard manner. The house of Sri Tulmohan Ram is situated at almost the western extremity of village Sarauni. House of his relations and caste men are all round his house. There is a village path running east to west which links embankment and the house of Sri Tulmohan Ram on the north of this foot path. The S.I. was coming with his party from west towards east to reach the house of Sri Ram with the intention of searching his house.

Village Kumhra lies to the south-west from village Sarauni at a distance of about 5 miles from that village. The village Kumhra is located on the western side of the main Kosi River. Village Bahuwarwa from where Ali Hassan hails is slightly above a mile to the north-east of village Kumhra and almost straight west of village Sarauni. Both the villages, Kumhra and Bahuwarwa are on the eastern side of the western embankment.

The main Kosi current is very swift and it can be crossed only by boat.

5. Prosecution Evidence.—S.I. Sri Chandrika Pd. supported the facts given in the F.I.R. He stated that Ali Hassan s/o Guddar Mian of Bahuwarwa was wanted in Mahishi p.s. case Nos. 8(11)69, 10(11)69, 11(11)69, 12(11)69 and 13(11)69 u/s 144/379 I.P.C. Warrant of Arrest and processes for execution had been issued in case No. 8(11)69 for execution and were in possession of the S.I. for execution against Ali Hassan in connection with 110 and 107 Cr.P.C. proceedings pending in the court against him. As such he had sufficient authority within Sections 47 and 48 of the Cr.P.C. to search the house of Sri Tulmohan Ram and had he not been obstructed in discharge of his duties he would have succeeded in arresting this outlaw who had created a terror in the locality by getting standing crop of all and sundry harvested forcibly. He stated further that since he saw Ali Hassan running away on a horse, he did not search his house next day as he found that no useful purpose

would be served by searching his house when the criminals had escaped as his object of house search was to arrest Ali Hassan. He stated further that he did not arrest Sri Tulmohan Ram at any stage. In the beginning he had requested Sri Tulmohan Ram to accompany him to his own house to facilitate his house search which he had a right to do and there was no question of arrest of Sri Tulmohan Ram at that stage. When the stage of arrest of Sri Tulmohan Ram came he adopted a defiant attitude. He could not arrest him because Sri Ram ran away from the village in the night and he felt that he should proceed to take action against him only after consulting the superior officers for simple consideration of the fact that Sri Tulmohan Ram was a member of the Parliament and all possible courtesy and decorum must be observed before that action was taken. The police party supported the S.I. to the extent they are concerned.

Chow. V/7 Shamshul of village Bhelahi stated before the I.O. that Sri Tulmohan Ram had visited the house of Ali Hassan at Bahuwarwa on 27-11-1969 in the afternoon. This Chowkidar heard that Ali Hassan had crossed Maheshro Dhar in the morning of 28-11-1969 with his gang members had gone to the house of Sri Tulmohan Ram at Sarauni. Apart from the chowkidar this fact has been supported by Kishore Mandal of Balia-Simar and Janardan Singh of Kumhra.

The people of Sarauni who had accompanied the S.I. to be search witnesses have supported the facts of the case as given in the F.I.R. They are (1) Kauleshwar Mandal s/o Gossain Mandal, Mukhia of Sarauni G.P., (2) Thakur Pd. Yadav s/o Gokhul Mandal, (3) Dipnarain Mandal s/o Randhari Mandal, (4) Hardeo Mandal s/o Nanu Mandal and (5) Laxmi Mandal s/o Jamun Mandal. They are also F.I.R. witnesses. It may be mentioned incidentally that Sri Tulmohan Ram has claimed enmity with Kauleshwar Mandal in particular and other witnesses generally on caste lines.

Some other villagers who have been examined by the I.O. and who have supported the occr. as such are Umesh Mandal, (2) Balbhadra Yadav, (3) Banarsi Mandal, (4) Baliram Mandal, (5) Jageshwar Mandal and others.

Sri Harekrishna Singh, Advocate and Receiver appointed by the court to ensure peaceful harvesting of the paddy standing on the disputed land filed a complaint u/s 147/48/379/188 I.P.C. in the court on 28-11-1969 alleging therein that Sri Tulmohan Ram, Sri Harimohan Ram, Sri Kewal Ram, Sri Guneshwar Ram, Sri Mangal Tanti, Sri Achhey Ram and Sri Rasso Ram along with 100—150 persons formed an unlawful assembly and were harvesting paddy from the attached land from about 9 a.m. in the morning of 28-11-1969. This complaint was filed on 28-11-1969 itself in the court of Sri P. K. Ghosh who endorsed the complaint to the O/C Mahishi p.s. for enquiry and immediate report and also for giving necessary assistance to the Receiver whenever assistance was needed.

Sri Hare Krishna, Advocate Receiver, visited village Sarauni and made a local enquiry personally and submitted a report in the court of Sri P. K. Ghosh, Magistrate 1st Class on 1-12-1969. In this report the Receiver has said that it was at the instance of Sri Tulmohan Ram that loot of standing paddy crop from the attached land had been committed by one Ali Hassan s/o Guddar Mian and his gang members variously armed. A copy of both the complaints is enclosed herewith.

6. Defence.—Sri Tulmohan Ram gave to me in writing during my supervision at the spot his version of the incident. In his statement he has said that on 28-11-1969 at about 2 P.M. he came to know that the S.I. of Mahishi p.s. along with 6 armed constables and one lathi constable as well as Kauleshwar Mandal s/o Gossain Mandal, Sukhdeo Mandal s/o Babuan Mandal, Hardeo Mandal s/o Nanu Mandal and 200-250 other persons were getting the paddy of the disputed attached land harvested and looted. Sri Ram went in the direction of the disputed land on a horseback and saw the S.I. coming towards his village with the armed party. When he reached near the S.I. the latter used objectionable words and asked him to get down from the horse and he got down from it. He asked the S.I. as to why he was doing such atrocities, when the S.I. replied that he would teach him a lesson for getting a pamphlet printed against him and for talking ill of him to the S.P. The S.I. also told him that he was responsible for all the forcible harvesting and loot of the crop in his area. The S.I. further told him that he is ashamed of his conduct of inciting the poor even though he was a congress M.P. The M.P. then told the S.I. that it was he (S.I.) and not the M.P. who was responsible for the situation. The S.I. then told him that he was arresting him The M.P. asked him the section and offence in which he was being arrested and he was ready to accompany him if W/A was shown to him. The S.I. then told him that the section of law and the Warrant of Arrest were in his pocket and he asked the M.P. to accompany him without unnecessary discussion. He was let off when his uncle and other relations objected to his arrest and raised alarm. From the embankment he came straight to his house and the S.I. went to the house of Kauleshwar Mandal and soon the S.I. proceeded along with the armed force and Kauleshwar Mandal towards his house. Finding the police party coming to his house he stood up with his rifle in his hand at his door and asked the S.I. as to why he was driving at. S.I. replied that he was intending to search his house. The M.P. then told the S.I. that if he proceed to search his house without showing him the search warrant he along with other relations would give their lives one after the other and he would also finish the S.I. After this Kauleshwar Mandal took the S.I. and the armed force to his house. The condition of the S.I. was of a drunkard and a mad person. He learnt reliably that the S.I. was talking at the house of Kauleshwar Mandal that he would raid his house next morning and he would assault the people and would also insult them. It was for this reason that he ran from the village to inform the higher authorities with a view to avoid a serious and dangerous consequences. Coming out he reached Saharsa

at midnight when he woke up the S.P. and informed him about the incident and verbally informed the District Magistrate also. Since this statement is very significant, a copy of this statement is attached.

During my supervision I examined Chandrika Ram s/o Sattyanarain Ram, Achhey Ram s/o Niti Ram, Nakchhedi Khatway s/o Mangan Khatway, Mahabir Choudhary s/o Babuan Choudhary, Chhari Mandal s/o Babulal Mandal, Lakhan Ram s/o Paras Ram, Shiblal Dass Mochi s/o Ramkishun Mochi and Harimohan Ram s/o Chumit Ram. They were all produced by Sri Tulmohan Ram for proving his case. I shall like to discuss the salient features of their statements.

On the point of time, Sri Tulmohan Ram had given in writing that he learnt at about 2 P.M. on 28-11-1969 that the S.I. was getting paddy from the disputed land harvested with the help of a mob. His brother, Sri Harimohan Ram said that he learnt at about 10 a.m. on 28-11-1969 that the S.I. was getting paddy from the disputed land harvested with the help of Kauleshwar Mandal and about 150 persons. One Mahabir Choudhary, on the other hand, stated that at about 3 to 4 P.M. he saw the S.I. coming with 6-3 constables all running from the side of the river towards the said disputed land. On their sight a number of labourers were seen running from the side of the field towards village Sarauni. Just then Sri Tulmohan Ram was seen coming towards the land. Nakchhedi Khatway stated that he saw the S.I. along with 8-9 police men coming to the village at about 2-3 P.M. at the same time, Kauleshwar Mandal with 15-20 persons was harvesting paddy from about one Bigha of land. This Nakchhedi Khatway is the brother of village Chowkidar Gayani Khatway. The chowkidar was not present in the village on the day. There is, therefore, a great discrepancy on the time of between Sri Tulmohan Ram and his own brother Harimohan Ram. While the former places the time of occr. at about 2 P.M. the latter says that it took place at about 10 A.M. Mahabir Choudhary stated that there was altercation between the S.I. and the M.P. in which the former accused the latter of getting paddy forcibly harvested even though he was a Congress leader. The S.I. had also accused him for forcible harvesting and loot of paddy in village nearabout Jalai and the M.P. was saying that he had not even gone to that side and he does not know anything about it. Even Sri Harimohan Ram stated that the S.I. had accused the M.P. of all that had happened regarding paddy loot in and round about Jalai village. The version of the M.P. that the S.I. ill-treated him for a pamphlet coming against him and also for his alleged suspicion that the M.P. was talking ill of him to the S.P. was not supported by a single witness. Nobody stated that the S.I. had said so. Sri Harimohan Ram admitted that he had a gun in his hand and Sri Tulmohan Ram had a rifle in his hand. Sri Lakhan Ram stated that when the S.I. was trying to come to Sri Ram's house, the M.P. took out his gun and told the S.I. that if he would come to his house he would open fire and there would be blood shed. At this,

the S.I. and others retreated. Sri Chhatradhari Mandal stated that when the police party started for the house of M.P. Saheb, the latter told them that if they would come to his house many lives will be lost. Sri Achhey. Ram stated that the police party was again coming to the house of Sri Ram when M.P. Saheb's men—M.P. Saheb with a rifle, somebody (name he does not remember) with his gun, with lathi though 10—20 persons were collected took up a stand from the side of the M.P. The S.I. at this sight retreated.

- 7. House searches.—The S.I. tried to search the house of the M.P. to arrest one Ali Hassan who was wanted in several cases but he did not succeed as the M.P. and his men took a defiant attitude and posed a law and order problem by threatening the S.I. and the police party with direconsequences.
- 8. Arrest.—The I.O. arrested 7 persons on 8-12-1969 and released them on bail. He deferred arrest of Sri Tulmohan Ram, though he examined him, for consultation with the superior officers. The I.O. is being directed to arrest Sri Tulmohan Ram and release him on bail. All formalities regarding arrest of the M.P. will be observed by him. One of the accused persons, Bhagwant Ram, son-in-law of Sri Tulmohan Ram, has not yet been arrested. His home address will be obtained and action taken to arrest him and release him on bail.
- 9. Special note on accused and suspects.—The following accused persons were arrested and released on bail on 8-12-1969:—
 - 1. Hari Mohan Ram s/o Chumit Ram.
 - 2. Kewal Ram s/o Samar Ram.
 - 3. Thakkan Ram s/o Chumit Ram.
 - 4. Achhey Ram s/o Niti Ram.
 - 5. Mudai Ram s/o Niti Ram.
 - 6. Satto Ram s/o Niti Ram.
 - 7. Janardan Ram, Chachera Bahnoi of Tulmohan Ram.
 - 8. Guneshwar Ram s/o Samar Ram.
 - 9. Chhattar Mandal s/o Babulal Mandal.
 - 10. Asharfi Mandal s/o Sukkan Mandal.
 - 11. Jini Mandal s/o Raghu Mandal.
 - 12. Jini Mandal s/o Taran Mandal.
 - 13. Arjun Jha s/o Siri Nath Jha.
 - 14. Mangal Khatway s/o Bansi Khatway.
 - 15. Bhola Chamar s/o Kali Charan Chamar.
 - 16. Sitaram Missir s/o Uchit Missir.
 - 17. Kishun Khatway s/o Baldeo Khatway.

10. Deduction.—Sri Tulmohan Ram has taken records to a privilege motion in the Parliament and he himself has not gone to the court. As a matter of fact he told me during my supervision that I should not get a police case instituted on his statement as once he goes with his complaint to the police and court he will get handicapped and it will be difficult for him to move the Parliament for a privilege. His brother Sri Thakkan Ram has lodged a complaint case in the court against 7 persons names and 40-50 unknown which include S.I. Mahishi p.s. In this complaint he alleges loot of paddy from his own land and not from the disputed land and this was objected to by his servant. Chhattar Ram and when the S.I. threatened him with arrest. In this complaint it has not been said that the S.I. arrested the M.P. or any one ill-treated him. There is no mention of house search etc. in this complaint. This refers to Saharsa S.R. No. 248/69, a copy of the 1st Report is, however, enclosed herewith. It will not be out of place to mention that Sri Tulmohan Ram has moved the Parliament for a privilege and in this connection a copy of his letter addressed to the Secretary Lok Sabha regarding question of privileges under Rule 222 and 223 will be relevant and a copy of which is enclosed herewith. In this letter Sri Tulmohan Ram has stated that the S.I. got him arrested when he reached his house and was entering his family apartment. He is not clear as to why the S.I. did not search his house after he was taken in custody at his door when the S.I. was trying to enter his house for house search and he was stopped by him.

The version of the S.I. that he came on the heels of Ali Hassan, a notorious criminal, and an out-law and a person wanted in several cases when he learnt that the said Ali Hassan had gone to the place of Sri Tulmohan Ram, appears plausible and convincing. Sri Tulmohan Ram has been a friend of Ali Hassan and he stood a bailor for Ali Hassan in a B.L. case. This Ali Hassan was convicted to 8 years R.I. in a dacoity case vide Dharahara p.s. case No. 7(8)47 u/s 395 I.P.C. He is a dossieriest. This conviction appears to have proved corrective for this man and he remained quiet till 1959 when he again started his activities. He has been concerned in a large number of dacoity cases of the district and he is known as a leader of a formidable gang. Accidently, he happens to command a big army of his own relations. (He is 8 brothers and all the 8 brothers have 5-6 sons who all of them constitutes a family of 100 persons strong). This particular feature has brought him close to political leaders. He has capacity to command votes and the political parties and leaders try to woo him in their own interest. For some time he was a favourite of the S.S.P. He was then won over by Sri Tulmohan Ram. He is now trying to pose as a C.P.I. Marxist but actually he is nothing more than a criminal, a desperate criminal and has been nuisance to the society. Every year he organises loot of paddy crop from the fields of not only the rich but also the poor. Peaceful harvesting of paddy in the locality is not possible without stationing a section of armed force with a magistrate and a police officer. In 1968 he committed the same nuisance and harvesting could be possible only after he was taken into custody. This year too he committed forcible harvesting and loot and we had to depute 2 police parties with Magistrates to keep him under control. 5 cases of such loot had to be taken up this year also. One good result of this incident has been that Ali Hassan found that the S.I. was a tough person who cannot be deter from discharge of duties by threat or coertion and soon after this incident he surrendered in court. Soon after he went behind the 4 walls, the area has been quiet. The people of the area have taken a sigh of relief. It is most unfortunate that command of votes has aligned Ali Hassan with Sri Tulmohan Ram who on account of this alliance, has lost sympathy of the entire area.

One thing is admitted by Sri Tulmohan Ram himself who has given to me in writing that he took up his fire-arm and threatened the S.I. with dire consequences if he proceed towards his house to search his house. The S.I. was very much within his power to search the house of Sri Ram and the obstruction that he put to the police and lawful discharge of his duties is an act most illegal and a conduct highly objectionable on the part of a person in responsibility. If our legislators who make law for us take law in their own hand and throw it to the wind just a child throws a ball it will be usher in very bad days for all.

The case u/s 144/353/216/504 I.P.C. is well made out against Sri Tulmohan Ram and other 18 persons. A Charge Sheet will be submitted as soon as the investigation is complete and the I.O. is being directed to take no time to complete the investigation.

- 11. Defects.—The S.I. will have to explain his conduct that he failed to discharge his duties to the extent necessary in that he failed to arrest the accused in the case.
- 12. Instructions to the I.O.—The I.O. is directed to carry out the following instructions:—
 - (i) To find out and to examine the boat-man to ascertain if it is a fact the date and of time at which Sri Tulmohan Ram might have crossed the Kosi to reach village Bahuwarwa on 27-11-1969 as alleged; the date and time at which Ali Hassan might have crossed the Kosi to reach village Sarauni on the 27th or 28th; the time at which the S.I. and the police party crossed the Kosi to reach village Sarauni on 28-11-1969 and other informations that the boat man may be in a position to give.
 - (ii) To arrest Sri Tulmohan Ram and release him on bail. All formalities regarding arrest of the M.P. will be observed by him. One of the accused Bhagwat Ram, son-in-law of Sri Tulmohan Ram has not been arrested as yet. His home address will be obtained and action taken to arrest him and release him on bail.

(iii) To submit charge sheet after compliance of the above instructions.

Further report will follow.

Sd. U. SHARMA, 25-12-1969. Supdt. of Police, Saharsa.

In Custody—Nil.
On bails—17.
Absconding—2.
Last C.D. 3 dated 8-12-1969.

ANNEXURE II

श्रीमान् एस० पी० महोदय, सहरसा महाशम,

मिति 28-11-69 को करीब 2 बजे दिन में मुझे मालुम हुआ कि झगड़ाल जमीन का जो मेरी जमीन से मिलीजली है दरोगा जी (ए महेशी) 6 आर्म फोर्स एवं लाठी । पुलिस लेकर कालेश्वर मंडल, पं० गोसाई मंडल. सुखदेव मंडल. पे० बब्धा मंडल. हरदेव मंडल. पे॰ नन मंडल वगैरह जो श्रदाई सौ हसेरी के साथ रिसीवर के गैर उपस्थिति में धान कटवा व लटवा रहे हैं। मैं घोडा पर चढ़ कर तटबन्ध की नाली पार कर कुछ दूर आगे बढ़ने पर देखा कि दरोगा जी ग्राम फोर्स के साथ म्रा रहेथे। नजदीक पहंचने पर दरोगा म्रप शब्द का प्रयोग करने हुये मुझे घोडे से उतर जाने के लिये बाध्य किया। श्रीर मैं घोड़े से उतर गया और कहा दारोगाजी भाप ऐसा म्रातंक क्यों कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ पम्फेलेट निकलवाकर तथा एस० पी० के नजदीक मेरी शिकायत करने का मजा चखा दंगा। इलाके में जितनी भी धान कटनी व लुटपाट हो रही है वह सब आप कर रह हैं। शर्म नहीं आती है कि कांग्रेसी एम० पी० होकर गरीबों को भड़का एवं उभार रहे हैं। इस पर मैंने कहा कि इलाके में म्रातंक का राज्य म्राप कायम किए हुये हैं। इस पर व गाली देते हुये कहा कि प्रापको

गिरफ्तार करता हं। इस पर मैंने कहा कि किस दफा में तथा गिरफ्तारी का वारन्ट दिखायें तो मैं घापके साथ चल सकता हं। इस पर उन्होने कहा कि दफा भीर वारन्ट मेरे जेब में है। ज्यादा बक-बक मत करो सीधे मेरे साथ चलो। बाद में भेरे इन्कार करने तथा भेरे चाचा ग्रीर सम्बन्धी के विरोध एवं हल्ला करने पर रिहा किये गये। वहां से सीधे में भ्रपने दरवाजे पहुंचा श्रीर दारोगा जी भार्म फोर्स के साथ कालेश्वर मंडल के यहां गये धीर कालेश्वर मंहल उपरोक्त दल के साथ मेरे झांगन की झोर बढ चले। इस स्थिति को देख मैं भ्रपनी राइफल लेकर भ्रांगन के गेट पर खंडे होकर उन लोगों से पूछा भ्राप लोग क्या करना चाहते हैं। इस पर दरोगा जी ने जवाब दिया मैं ग्रापके घर की तलाशी लेना चाहता हुं। इस पर मैने कहा कि बगैर तलाशी वारन्ट के दिखाये अगर मेरे आंगन की द्योर प्रवेश करने की कोशिश करने पर हम सभी लोग एक-एक कर मर जायेंगे तथा भ्राप लोगों की भी जिन्दगी खत्म कर देंगे । ऐसा कहने पर कालेश्वर मंडल दारोगा जी एवं ग्रामं फोर्स को ग्रपने दरवाज पर लेगये।

दरोगा जी की स्थिति पागल एवं शराबी जैसी थी। विश्वस्त सूत्र से पता चला कि कालेश्वर मंडल के यहां दरोगा जी बोल रह थ ठीक है प्रांज तो शाम हो गयी कल सुबह होते ही पूरी शक्ति के साथ हमला करेंगे तथा मारपीट धौर बंद्दज्जती करूंगा । दिन की हालत को देख कर धौर रात की बोली सुन कर मैं इस नाजुक स्थिति को नजर में नहीं रखते हुए वाजिब समझा कि ऊपर के प्रधिकारी को सूचना देकर गम्भीर तथा भयंकर परि-णाम को टाला जाये।

इस हेतु विकट रास्ता को घोड़े से तय कर सहरसा पहुंच कर श्रीमान एस० पी० महोदय सहरसा को 12 बजे रात को जगा कर सारी घटना की जानकारी करा दी और साथ ही जुबानी जिलाबीश को भी इसका सूचना दे दी गयी।

ग्रतः श्रीमान से नम्प्र निवेदन है कि सरजमीन की जांच पड़ताल कर मुदालह को वाजिब सजा देने का कष्ट करें। निवेदक

> ह॰ तूल मोहन राम, संसद् सदस्य मिति 29-11-69

ANNEXURE III

व ईजलास एस० डी० म्रो० साहब सहरसा ।

मुदई का नाम—ठकन राम पे० चुनीत राम सा० सरौली थाना महशी जिला सहरसा ।

मुदालय—भुवनेश्वर मंडल पे० कालेश्वर मंडल 2 भुजदेव मंडल पे० वोना मंडल 3 हरदेव मंडल पे० नुनु मंडल 4—उमेश मंडल पे० जालेश्वर मंडल 5 दारोगा महंशी थाना जिसका नाम पीछे देखें. 6— जगदेव मंडल पे० पाचु मंडल ग्रनावा ग्रीर हसेरी मान करीब 4०/50 ग्रांदमी सभी का साकिनान सरौनी थाना महंशी जिला सहरसा ⊢

धारा-379/147/भा० द० वि० । घटना की तिथि---28-11-69 दिन शुक्रवार, समय 1-30 बजे पी० एम० ।

कैफियत गुजारीश है कि फिदवी को जगरनाथ प्रसाद वगैरह मुकदमा चला रहा

है। जिसमें कुछ जमीन तकरार के ग्रन्दर भीर कि॰ विगर जमीन जोतकरार जमीन के भलगवलग में है वो तकरार से बाहर है. तकरारी जमीन से जिलत मिलत है जिसमें फि॰ का लगा हम्राधान था। ता॰ वक्स्रा का फि सहरसा में था फि॰ के गायवाना हम्रा फसल काटने लगा कि फि॰ को म्रादमी नीकर छठ्राम ने रोक-थोक किया, कि इस मुदालह नम्बर 6 गाली देते हुये कहा कि इसकी पकड़ कर लान कर देंगे और दिगर मुदालह उसे गाली गलौज किये उसने परहेज किया इस म्दालहम की० का जमीन मुबाजीब 2 बिका ग्रारजी का धान लुट कर मोदालह कालेश्वर मंडल के यहां ले गया। जिस खेत का धान लुटा हुम्रा वह तकरार का बाहर का है। फि० के नौकर के कहने पर इस जमीन का धान क्यों काटते हैं तो मदालह ने कहा कि चुप रहो ग्रवश्य काटेंगे। फि॰ का भादमी भाज सुबह में खबर किया कि फि॰ वजह यह है दरोगा जी के विरुद्ध जावो का एक परचा निकला था जिसमें फि॰ का भाई तुलमोहन राम जी एम॰ पी॰ उनका नाम था जिस वजह से दरोगा फि॰ के परिवार रंज रहा करते भीर कहते हैं कि तुम्हारे परिवार बरबाद कर देंग कहो कितना मेरे खिलाफ परचा निकालेंगे भौर

एस० पी० साहब से आकर कहोगे वो दे दो बीचा धान करीब 21 सन (जिसका) मूल जिसका 450 रुपया क्षति हुआ तफसील जमीन का जो धान लूट कर ले गया खाता 2471 खसरा 176 रकवा 2 बीघा उतर कालेश्वर मंडल देखिन नीज । पूरव झगड़ा का जमीन पक्षिम राय सुन्दर मंडल धीर कालेश्वर मंडल ।

मर्जा फिदवी । भुदई ठकन राम दिनांक 29-11-69

Examination on S.A.

I complain against Bhubaneshwar Mandal and 6 others. On 28th November, 1969 at about 1½ P.M. the accused persons got my paddy out of two bighas. The S.I. Maheshi also accompanied the mob. My servant protested in vain. The S.I. threatened my men to arrest and abused them. Then they went away and reported the facts to me at Saharsa. And then I filed this case.

Sd/- J. N. SINHA, S D.O. Sadar. 1-12-1969.

ANNEXURE IV

To

The Supdt. of Police,

Ref.—Your Memo No. 2844/C dated 24th December, 1969.

Sub.—Privilege motion raised by Sri Tulmohan Ram, M.P.

Sir.

My point-wise reply is given below:-

A. The question of believing the statement of Sri Tulmohan Ram, M.P. did not arise. I had definite information that Sk. Ali Hassan, absconder in Mahishi p.s. case Nos. 8, 10, 11, 12 and 13(II)69 u/s 144/379 I.P.C. and also warrants of arrest issued against him in 110 and 107 Cr.P.C. proceedings from the competent court, was concealing at the house of Sri Tulmohan Ram, M.P. and sheltered by him. My information was found to be correct when I saw him escaping from his house on a horse when we were prevented by Shri Tulmohan Ram, M.P. and 18 others from taking any legal action at the point of three fire-arms and other deadly weapons.

B. It is not a fact that I had ever arrested Sri Tulmohan Ram, M.P. I asked him as the owner of the house to accompany me as I wanted to search his house for Sk. Ali Hassan. This cannot be inferred that I had arrested him.

C. It is also not a fact that I ever rebuked and insulted him in public rather he rebuked, insulted me, abused me filthily and prevented me from taking legal action.

- D. There was no occasion for me to make sweeping remarks against any member of the Parliament. I have actually high regards for them.
- E. It is not a fact that I planted a false case against Sri Tulmohan Ram, M.P. The case is under investigation and supervision by higher officers—As an accused in a criminal case, he may bring any allegation he likes. The veracity of the case will emerge on the conclusion of the investigation.
- F. The incident took place in village Sarauni in the evening of 28th November, 1969. I drew up my statement at the spot the same evening, i.e., 28th November, 1969 concluding it at 19.00 hrs. A formal F.I.R. was drawn up at the police station (Mahishi at Bangaon) on 29th November, 1969 at 09.00 hrs. on my return. There has been no delay in instituting this case.
 - G. It is a fact that the State is under President's Rule.
- 2. The above incident refers to Mahishi P.S. case No. 14 dated 29th November, 1969 u/s 144/216/353/504 IPC.

Yours faithfully, Sd. CHANDRIKA PRASAD. 24-12-1969.

S.I. Mahishi P.S.

ANNEXURE V

Secret Memo No. 2845/C Office of the Supdt. of Police, Saharsa, the 25th December, 1969.

 T_0

The District Magistrate, Saharsa.

Ref.: -Your note dated 24th December, 1969.

Sub.:—Allegation of Sri Tulmohan Ram, Congress M.P. regarding ill-treatment by Sri Chandrika Pd. Police Sub-Inspector, Mahishi P.S.

A parawise comment on the letter of Sri Tulmohan Ram, M.P. addressed to the Secretary, Lok Sabha, New Delhi regarding question of privileges is given below:—

Para 1:-No comment.

Para 2:—No comment is necessary except on the point that the M.P. nourishes a wrong grievance against prominent political leaders and Government officials including police officer in his area that they have turned to be the greatest enemy of his life. His suspicion is not based on facts and it may be called only hallucination. So far he has never suspected intention of any officer and it is not known how far it is correct on his part to hold such a view in the context of the incident which has unfortunately taken place.

Para 3:—I have not come across the leaflet referred to by the M.P. The S.I. has not sent a copy of that leaflet to me. This, however, does not mean that I have any doubt about such a leaflet having come out.

Para 4:—There is no material to show that S.I. Sri Chandrika Prasad was told by his political opponents that it was Sri Tulmohan Ram, M.P. who had printed and circulated that leaflet. There is nothing to show that publication of the leaflet invited displeasure of the said Sub-Inspector.

Para 5:- The incident of 28th November, 1969 has come up in different versions. One of the versions of the incident finds mention in a written report given to me by Sri Tulmohan Ram, M.P. himself (copy enclosed) in which he has said that altercation started as the S.I. suspected Sri Ram to be behind all the forcible harvesting of paddy in his area and the S.I. arrested him by saying "Apko Giraftar Karta Hun". He was let off when his uncle and other relations made a request to the S.I. after this incident, the S.I. made an attempt to go to his house with a view to search his house when he stood at the gate of his house with his rifle in his hand and told them that if they try to enter his house without showing a search warrant, he (M.P.) and his men would give their life one by one and they would finish their (the police parties) life also. In his letter addressed to the Secretary, Lok Sabha, Sri Tulmohan Ram has given an altogether different version. He has not shown his arrest at the first place where he had been arrested earlier but he now says that he was arrested by the S.I. at his door when he was opposing ingress of the S.I. in his house where ladies and children were living. All the expressions which have been quoted in his letter below are quite new. Neither he nor his men had said to me that these expressions had been used by the S.I. Sri Ram was actually arrested at his own house, when he had reached his door, the S.I. would have searched his house for which he was trying so much. Sri Ram does not say what made the S.I. desist from house search when the M.P. had been arrested and he was under his custody for half-an-hour. The third version of the incident will be found in the complaint case lodged before the Sub-divisional Officer, Sadar Saharsa by Sri Thakkan Ram S/o Sri Chumit Ram, own brother of Sri Tulmohan Ram, M.P. In this complaint no allegation has been made that Sri Ram had been arrested. The complaint is that the S.I. threatened one Chhattu Ram, a servant of Sri Tulmohan Ram with arrest. A copy of this complaint is also enclosed herewith. This has been specially reported and it refers to Saharsa S.R. 248669. Yet another version of the incident has come in a petition filed by Sri Parmeshwar Kaur of the S.S.P., Ex-M.L.A. His petition contains some extraneous matters particularly on the point of telephone to the S.P. from Shri L. N. Mishra. He has indulged in wide imagination and said that the circle Inspector, Sadar (I.O. of the case) and all other officers of Saharsa have been influenced to help Sri Tulmohan Ram, M.P. I do not agree with Sri Kuar that Sri Kaleshwar Mandal is as respectable person as Sri Kuar has tried to paint him. A copy of his petition is enclosed herewith.

Para 6:—The line quoted from the F.I.R. of Mahisi p.s. case No. 14. dt. 29-11-69 u/s 144/353/216/504 I.P.C. do not lead to any adverse inference against the S.I. Sri Ram has inferred from the following lines in the F.I.R. that the S.I. had taken him in custody: -"I asked Tulmohan Ram to accompany me as I wanted house". The S.I. was very discreet and judicious when requested Sri Ram to accompany him while he was going to search that Sri Ram had a wrong impression that It seems he had been arrested because the S.I. had asked him to accompany him at the time of his house search. It is this argument which leads me to believe that no word or expression had been used by the S.I. no demeanour shown which could constitute arrest of a person. Sri Ram has had a wrong impression that he had been arrested while the S.I. had only asked him to accompany him during house search.

Para 7:—It was not at all necessary for the S.I. to take any gazetted officer with him when he was going to search his house for the arrest of a person wanted in several cases and against whom Warrant of Arrest issued by competent court was with the S.I. Under Sections 47 and 48 of the Cr. P.C. action of the S.I. is fully justified.

Para 8:—It is not a fact that the S.I. did not believe truthful statement of Sri Tulmohan Ram, M.P. It may be true that the S.I. did not agree to drop legal action which he was duty bound to take.

B. The S.I. did not arrest him, as a matter of fact, he failed to arrest him which the S.I. should have done and had the S.I. actually arrested Sri Tulmohan Ram, M.P. we would have definitely informed the hon'ble Speaker of the Parliament.

- C. It is not a fact.
- D. It is not supported by facts or statements of any witness for the prosecution or the defence.
 - E. The case instituted by the S.I. is true.
- F. The case is not a concocted one and the argument given to prove that the case is concocted is not correct. Village Sarauni is about 6-7 miles away from the P.S. The S.I. drew up a Fardbeyan at the spot on 28th November, 1969 and he drew up a formal F.I.R. on 29th November, 1969 when he reached the P.S.
 - G. No comment.

44.3

A copy of the report of the S.I. is enclosed herewith.

Sd/-U. SNARMA, 25th November, 1969. Supdt. of Police, Saharsa.

Copy with a copy of enclosures forwarded to the Inspector-General of Police, Bihar, Patna/D.I.G., C.I.D., S.B., Bihar, Patna/D.I.G. of Police, E. R. Bhagalpur for information.

ANNEXURE VI

In the court of Sri P. K. Ghosh, Magistrate 1st Class, Saharsa:

Jaganath Prasad—1st Party.

Vg

Thakkan Ram and others—2nd Party. U.S. 145 Cr. P.C.

Sir,

I beg to report to your honour that I have been appointed receiver of the standing paddy crops of the attached lands of the aforesaid proceeding by your honour through a Parwana on 6-11-1969. I had been to the spot to see the standing paddy crops on 11th November, 1969.

That I found the paddy green and not fit for harvesting so in anticipation of your honour's order, I engaged the sepoy Sri Jagdish Singh s/o Riku Singh of Ishaur to watch the paddy of the attached lands.

That, he has come to report today that the named accused persons variously armed with deadly weapons formed an unlawful assembly covering 100—150 persons are forcibly cutting paddy crops taking the law in their hands.

It is, therefore, prayed that your honour may kindly be pleased to receive a case u/s 147/148/379/188 I.P.C. against the named accused persons and the mob and further be pleased to order the Mahisi O.C. to proceed with armed police to control the lawlessness and to arrest the unruly mob and forward them in custody and for this be pleased to order the O/C Mahisi to depute constable in help to get the rest of the paddy harvested. For this I shall be very obliged.

Sd/- H. K. SINGH, Advocate. Receiver 28-11-1969.

O/C Mahisi p.s. will please enquire into the matter immediately and report for immediate action. He will please see that no breach of peace takes and also assist Receiver of the court to comply with courts order whenever assistance is needed in lawful discharge of his duty entrusted.

Sd/- P. K. GHOSH. 28-11-1969.

ANNEXURE VII

In the Court of Sri P. K. Ghosh, Magistrate 1st Class, Saharsa.

Jaganath Pd.—1st Party

Vя

Thakkan Ram and others-2nd Party-145 Cr. P.C.

Sir,

I beg to report in continuation of my former report that I had been to the spot on 29-11-1969 in village Sarauni, p.s. Mahishi where there are the attached lands containing standing paddy crop in the aforesaid case which was under your honour's order entrusted to me in the capacity of Receiver to get it harvested, thrashed and sold and deposit the sale proceeds in the Treasury.

I, on reaching spot at 10.30 A.M. found nearly 15—20 bighas of the paddy already looted and removed out of the attached lands worth Rupees nearly 4000 (four thousand).

That, I gathered from the persons noted below that the noted below persons invited one Ali Hassan s/o Guddar Mian who came with a mob of numerous persons all armed with deadly weapons like unlicensed gun, fire, blow, bhala, Bana, hand vinv etc. It is with the help of that Ali Hassan and his mob, the noted below persons taking law in their hands intentionally and deliberately disobeying the courts order committed theft of paddy of the attached lands worth as said above.

That, I further gathered that one Sri Tulmohan Ram said to be M.P. is behind the same and it is at his instance and under his leadership and invitation that Ali Hassan came along with his mob to commit such high-handedness.

That it is further gathered that the O. C. Mahishi who was also already informed by me to help me came on the spot on 28-11-1969 chasing Ali Hassan to arrest him in some other cases and he also found the high-handedness of the persons noted below.

Thus they made themselves liable to be prosecuted u.s. 144/379 I.P.C. and 188 I.P.C.

It is, therefore, prayed your honour may kindly be pleased after satisfying yourself proceed legally against the persons noted below:—

Names of persons to be prosecuted: -

- 1. Ali Hassan s/o Guddar Mian of Bahurwa.
- 2. Tulmohan Ram s/o Chumit Ram.
- 3. Hari Mohan Ram, s/o Chumit Ram.
- 4. Kewal Ram, s/o Samar Ram.

- 5. Guneshwar Ram, s/o Samar Ram.
- 6. Satto Ram. s/o Nirty Ram.
- 7. Achcho Ram, s/o Nirty Ram.
- 8. Mudai Ram, s/o Nirty Ram.
- 9. Jogendra Ram. s/o Satto Ram.
- 10. Chhatar Mandal, s/o Suven Mandal.
- 11. Mangal Tanti, s/o Bansi Tanti.
- 12. Kusum Tanti, s/o Baldeo Tanti.
- 13. Asharfi Mandal, s/o Sukkan Mandal.
- 14. Tanti Mandal, s/o Chhattar Mandal and numerous persons armed with deadly weapons and labourers whose name transpired or be named by the witnesses.

Names of the witnesses:-

- 1. Kauleshwar Mandal.
- 2. Sukhdeo Mandal.
- 3. Umesh Mandal.
- 4. Laxmi Mandal.
- 5. Dipnarain Mandal.
- 6. Banarsi Mandal.
- 7. Hardeo Yaday.
- 8. Balbhadra Yadav.
- 9. Jogeshwar Yadav.

11.

10. Jugeshwar Mandal and many others.

Tahsil

Arabi.

Khata

Khesra.

217-142 Part from South.

253--50 Whole.

257. 139. Whole.

11.181 Whole.

247-128. Part.

Sd. H. K. SINCH, Advocate, 1-12-1969.

Send the copy of the petition to C.I. Sadar for favour of immediate enquiries and report by 16-12-1969 positively till the petition be kept with the record and put up when C.I's report is received.

Sd. P. K. GHOSH.

APPENDIX V

Copy of statement of Shri Kaleswar Mandal recorded by Inspector of Police (I.O.) Saharsa in course of investigation of Mahisi P.S. case No. 14 dated 29-11-1969 u/s 144/353/216/504 IPC in C.D. No. 2 dated 7-12-1969.

13. P.W. Kauleshwar Mandal s/o Gossain Mandal (Mukhiya G. P. Sarauni) was examined. He stated that on the day of occurrence at about 4 P.M. he was at his Baithak and notice some people on the embankment and also noticed the police party coming to his house (Baithak and the O/C came and requested him to accompany the Police party upto the house of Tulmohan Ram for search as Ali Hassan was kept concealed in his house. He claimed identification of Ali Hassan who had been seen frequently in the land had seen him on that morning as well. He. Thakur Pd. Mandal, Laxmi Mandal, Dipan Mandal, Umesh Mandal, Sukhdeo Mandal, Bailbhadar Mandal, Kumar Kirihar and others accompanied by the O/C proceeded towards the house of Tulmohan Ram on the village road. When they reached in front of the house of Tulmohan Ram the inmates of the house came out of the house and the police party was made to halt at the point of guns. He identified Tulmohan Ram. Harimohan Ram, Kewal Ram all with guns, Guneshwar Ram, Janardan Ram. Bhagwat Ram. Mudai Ram. Achhev Ram. Sattoo Ram. Bhola Ram. Kusum Khatwe, Mandal Khatwe, Chhatar Mandal, Asharfi Mandal, Jinilal Mandal s/o Taran Mandal, Jinilal Mandal s/o Raghu Mandal, Arjun Jha, Sitaram Missir. They were variously armed. There were other outsiders as well who were armed with bows and arrows. Sri Tulmohan Ram had threatened the police party that there would be serious bloodshed if he proceeded ahead and they had pointed out the gun in aiming position. In the meantime Ali Hassan was seen going towards the north escaping from the house on horse-back.

True copy

Sd/- 27-8-1970

Supdt. of Police, Saharsa.

*****(), ()

Attested

Sd/-

Section Officer,

Political (Police) Deptt.

BIHAR, Patna

True copy

Sd/-

R. C. Iyer

Under Secretary (Poll-I)
Ministry of Home Affairs

APPENDIX VI

Copy of the statement of Shri Thakur Prasad Yadav recorded by Inspector, Police (I.O.) Saharsa in course of investigation of Mahisi p.s. case No. 14 dated 29-11-1969 U/s 144/353/216/504 IPC in C.D. No. 2 dated 7-12-1969.

14. P.W. Thakur Pd. Yaday s/o Gokul Mandal of Sarauni P.S. Mahisi on being examined stated that on the date of occurrence at about 4-30 P.M. he was on the embankment near the Machn wherefrom he had seen Sk. Ali Hassan coming from Badhar from western side and going towards Tulmohan's house on horse. Then just after a few minutes. Tulmohan Ram was seen by him going on horse towards west of the embankment. He saw the S.I. accompanied with force and than constables coming from the west of the embankment and the S.I. met Tulmohan Ram. He could not say what talks were held between the S.I. and Tulmohan Ram and in the meantime he proceeded towards the embankment. He heard that the S.I. was saying to Tulmohan Ram that he had kept concealed Sk. Ali Hassan in his house and wanted him to accompany him as he (SI) wanted to search his house with a view to arrest Sk. Ali Hassan. This annoyed Tulmohan Ram and he abused the S.I. in filthy language saying he being M.P. would put him in trouble. Tulmohan Ram left the embankment for his house with his uncle, Achhey Ram. The S.I. along with the force then came to the village near the Darwaza of Mukhia, Sri Kauleshwar Mandal and requested Sri Kauleshwar Mandal, Dipan Mandal, Laxmi Mandal, Deepnarain Mandal, Hardeo Mandal including himself to accompany the police party upto the house of Tulmohan Ram with a view to search the house of Tulmohan Ram for arresting Sk. Ali Hassan who had been kept concealed in his house by Tulmohan Ram. They all accompanied the police party and proceeded towards west towards the house of Tulmohan Ram and when reached near the house of Tulmohan Ram the police party was made to halt at the point of guns in aiming position by Tulmohan Ram, Hari Mohan Ram, and Kewal Ram. He also identified accused Achhey Ram, Satto Ram, Janardhan Ram, Bhagwat Ram, Mudai Ram, Chhattar Mandal, Asharfi Mandal, Thakkar Ram, Jini Mandal s/o Raghu Mandal, Jini Mandal s/o Taran Mandal, Arjun Jha, Mangal Khatwe, Bhola Chamar, Sitaram Missir and Kishun Khatwe all armed with bows, arrows and Bhalas and in the meantime Sk. Ali Hassan was made to come out from the house of Tulmohan Ram and fled away towards north on a horse.

Attested
Sd. Section Officer
Political (Police) Deptt.
BIHAR, Patna.
28-8-1970.

True copy
Sd. Illegible
27-8-1970.
Supdt. of Police, Saharsa.
True Copy
Sd. R. C. IYER,
Under Secretary (Poll-I)
Ministry of Home Affairs,

APPENDIX VII

Attested copies of the relevant entries in the Police Station Diary and Personal Diary of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station Mahesi (Bihar).

> भी चिन्त्रका प्रसाद, सब इन्सपेक्टर ग्राफ पुलिस, थाना, महेसी (बिहार) की निजी डायरी से दिनांक 21-11-69 को प्रविध्टिकी प्रति।

12. 5 थाना से साथ का० 8 मो० इसहाक खां के केस नं० 7(11) 79 धारा 302 भा दं० वि० के ग्रन्संधान में रवाना हए।

15 बजे से 1900

घटनास्थल सनहक का टोला मौजे धोधरेपुर पहुंचे तथा उपर में जांच किया।

> झखरा में हौलट किया। डायरी बंद किया।

> > ह० चन्द्रिका प्रसाद

(Copy of entry from the Personal diary of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector, of Police, Police Station, Mehesi (Bihar) Dated 21.11.69.

1215 hours.

Proceeded from Police Station with Constable No. 8 Mohd. Ishak Khan for investigation of case No. 7(11)79 registered under Section 302 of Indian Panel Code.

1500 hours to 1900 hours. Arrived at 'Sanhak Ka Tola' village Khokhrepur where the incident took place and conducted inquiry in the above case. Halt at Jhakhra.

Completed entries in the diary.

Sd/- CHANDRIKA PRASAD.

श्री चन्त्रिका प्रसाद, सब-इंस्पेक्टर ग्राफ पुलिस, याना, महेजी (विहार) की निजी डायरी से दिनांक 21-11-69 की प्रविद्धिकी प्रति।

डायरी मारम्भ किया ।

13 बजे से 15.45 बजे तकः

कुमरा

गुप्त रूप से पता चला कि शैख मली हसन सा० बहु मरबा/जलैप पुनरदास का मपने गैंग के साथ सरौनी गया हुमा है तथा श्री तुल मोहन राम ने वहां बुलाया है घारा 145 का जप्ती धान काटने वो कटवाने के लिए चूंकि यह सक्स बहुत मुकदमें में फिरार है मैं घपने बी एम० बी० एम० पी० फोर्स तथा का० 8 इसाहक खां को का० 179 राज किशोर सिंह के घली हसन को गिरफ्तार करने रवाना हए।

सरौनी में जो घटना श्री तुल मोहन वगैरह के साथ घटी वह मैंने एक ज्याई ज्यार केस नं 14(11) 69 धारा 144/353/216/504 भा द वि में दर्ज किया है । 16 बजे

. . .

डायरी बंद किया।

1 00 बजे 24.0 बज

ह० चित्रका प्रसाद

(Copy of entry from the Personal Diary of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station, Maheshi (Bihar) Dated 28-11-1969.

Started writing the diary-

Kumhara

13.00 hrs. to 15.45 hrs.

Come to know confidentially that Sheikh Ali Hasan, resident of Bahuarwa/Jalaith Punarwas has gone to Sarauni with his gang to harvest paddy of land attached under Section 145 on the invitation of Shri Tul Mohan Ram. As this man was absconding and was required for prosecution in several cases, I went to arrest Ali Hasan accompanied by B.M.P. (Bihar Military Police), Constable No. 8 Ishak Khan and Constable No. 179 Raj Kishore Singh.

I registered the incident which took place at Sarauni involving Shri Tul Mohan Ram under Sections 144/353/216/504 of Indian Penal Code as F.I.R. Case No. 14(11)/69.

16.00 hrs.

19.00 hrs.

24.00 hrs.

Completed entries in the diary.

Sd/- CHANDRIKA PRASAD.

भी चित्रका प्रसाद, सब-इंस्पेक्टर झाफ पुलिस, बाना, महेसी (बिहार) की निजी डायरी से बिनांक 28-11-69 की प्रविध्द की प्रति।

डायरी ग्रारम्भ किया ।

सरौनी

सरौनी से रवाने हुए साथ फोर्स वो का० 8 इस्हाक खां वो का० 179 राज किशोर सिंह के। 6 बजे

थाना उपर स्टाफ के साथ धाये वो भपने लिखित बयान के झाझार पर केस नं 14 धारा 144/353/216/504 भा विविक्त के कादम किया ।

9 बजे

14.45 बजे

थाना से सहरसा के लिए प्रस्थान किया।

15 45 बजे

सहरसा पहुंचे । सी० माई० से मुलाकात नहीं हुमा । डी० एस० पी० साहेब से बातचीत हमा ।

1630 बजे

सहरसा से रवाने हए।

1730 बजे

थाना वापस भ्राये।

डायरे। बन्द किया । ह० चन्द्रिका प्रसाद

(Copy of entry from the Personal diary of Shri Chandrika Prasad, Sub-Inspector of Police, Police Station, Mahishi (Bihar), dated 29.11.1969.

Sarauni 6.00 hrs.

Started writing the diary-

Proceeded from Sarauni with Force and Constable No. 8 Ishaq Khan and Constable No. 179 Raj Kishore Singh.

9.00 hrs

Arrived Saharsa. Could not see C.I. Head discusreferred to above and registered the case at Case No. 14 under Section 144/353/216/504 of the Indian Penal Code on the basis of my recorded statement.

14:45 hrs

Departure from Police Station to Saharsa.

15.45 hrs

Arrived Saharsa. Could not see C.I. Had discussions with Dy. S.P.

16.30 hrs

Departure from Saharsa.

17'30 hrs

Returned to the Police Station.

Completed entries in the diary).

Sd/- CHANDRIKA PRASAD.

318 12.15 बजे

पुलिस थाना, महेसी (बिहार) की डायरी से विनांक 21-11-69 की प्रविद्धि संख्या 318 की प्रविद्धि प्रति

रवानगी: मैं थाना प्रभारी साथ का० 8 इसहाक खां के केस नं० 7(11)69 धारा 302 भा० द० वि० के जांच के लिए रवाने हुए। साथ में झार्म फोर्स भी लिया। थाना का चार्ज सी० 82 सत्य देव नारायण लाल को दिया। का० 8 इस्हाक खां को पे दिया। 1268—EAR 29(9)69.

ह० चन्त्रिका प्रसाद

(Copy of entry from the Police Station Diary, Mahishi (Bihar).

Dated 21.11.1969, entry No. 318.

318 12.15 hrs

Departure. I, the In-Charge of Police-Station, accompanied by constable No. 8 Ishaq Khan, went for investigation of Case No. 7(11)/69 under Section 302 of Indian Penal Code. Armed Force also accompanied me. Charge of the Police Station who handed over to Constable No. 82 Satya Dev Narayan Lal. Pay given to Constable No. 8 Ishaq Khan. 12.68-EAR 29(9)/68.

Sd/- CHANDRIKA PRASAD

पुलिस याना, महेसी (बिहार), की डायरी से विनोक 29-11-69 की प्रविध्टि सं० 440 की प्रति।

440 मामद केस 09.00 बजे मैं थाना प्रभारी श्री चिन्त्रका प्रसाद साथ का० 8 मुहम्मद इस्हाक खां को साथ ग्रामं फोर्स थाना वापस ग्राये वो चार्ज लिये। वो हमा बयान पर महीषी थाना मु० नं० 14(11)69 धारा 144/353/216/504 भा० द० वि० खिलाफ तुलमोहन राम एम० पी० वगैरह के कायम किया।

(Copy of entry from the Police Station Diary, Mahishi (Bihar).

Dated 29.11.1969—entry No. 440.

440 09:00 hrs

Case received. I, Chandrika Prasad, In-Charge of the Police Station returned to the Police Station accompanied by Constable No. 8 Mohd. Ishaq Khan. Took over the charge. The report was registered against Shri Tul Mohan Ram, M.P., on the basis of my statement at Thana Mukam No. 14(11)/69 under Section No. 144/353/216/504 of the Indian Penal Code.

APPENDIX VIII

[Complaint filed by sepoy Jagdish Singh, watchman, appointed by Shri H. K. Singh, Receiver, to look after the disputed attached paddy fields].

श्रीमान् रिसीवर साहब, सहरसा

150 8

जगन्नाथ प्रसाद--- प्रथम प्रका

ठकन राम——द्वितीय पक्ष दफा 145 जाब्ता फौर्जदारी

दरखास्त मी० जा० सिपाही रिसीवर साहब

गुजारिश है कि भ्राप के हुक्म से हम उपरोक्त मुकदमा में जन्ती जमीन के धान की निगरानी करते थे कि जब पूरा भ्रान कट जायेगा तब भ्राप की कटवाने की खबर करेंगे।

माज रोज शकवार ता > 28-11-69 को 6 बजे सुबह हम खेत पर घूम रहे थे तो देखा कि:

- 1. हरि मोहन राम, पे॰ चुमित राम
- 2. केवल राम पिता समर राम
- 3. तूल मोहन राम पिता चम्मत राम
- 4. मंगल तांती पिता बंशी तांती
- 5. गुपेश्वर राम पिता सम्भर राम
- 6. प्रच्छो रात पिता बाबू राम
- 7. रसो राम पिता बाबू राम

- सरोनी <mark>याना, म</mark>हिशो

े लहुमार थाना महिशी

हरवे लाठी भाला वो बन्दूक वो किचया से लैस भन्दाजो 100—150 भादमी की जमात लिये हुए जप्ती जमीन पर भाया। हिरमोहन बोला कि भक्काल तुल मोहन का सब धान काट लो। यह सुन कर हम रोका कि हम को मार पोट को धमको दिया, जान मारने के लिये भाला हिरमोहन दिखाया। हम हल्ला करते हुए हट गये और हसेरी धान काटने लगा।

हल्ला पर गवाहन सुखदेव यादव, हरदेव यादव, उमा यादव वर्गेरह झाथे। धान काटते देख कर हम आप को खबर करने आये हैं। हमारे सामने करीब एक बीधा जमीन का धान लगभग 250-300 रु. का काट लिया। इसलिये जो मुनासिब कार्यवाही किया जाय ।

भापका विश्वासी

जगदीश सिंह पुत्र कीक सिंह सा॰ लहुमार, थाना महिशी, जिला सहरसा ।

(English Translation of Appendix VIII)

The Receiver

Saharsa

Jagannath Prasad-First Party.

Versus

Thakan Ram-Second Party.

(Section 145 of Criminal Procedure Code)

Application to Police Officer attached to the Receiver

I beg to submit that under your orders I was keeping a watch on the paddy crop in the land taken under control in the above mentioned case—and was required to intimate to you about the reaping of the crop after that operation was completed.

Today, Friday, the 28th November, 1969, at 6 A.M., when I was in the field, I saw that:—

- 1. Hari Mohan Ram S/o Chumit Ram
- 2. Kewal Ram S/o Samar Ram
- 3. Tulmohan Ram S/o Chumit Ram
- 4. Mangal Tanti S/o Banshi Tanti
- 5. Gupeshwar Ram S/o Sambhar Ram
- 6. Achho Ram S/o Babu Ram
- 7. Raso Ram S/o Babu Ram

Village, Saroni, Police Station, Mahishi.

Village Lahuar, Police Station, Mahishi.

equipped with sticks, spears, guns and daggars etc. came to the land taken under control alongwith a group of about 100—150 persons. Hari Mohan ordered to reap the entire paddy crop of Akbal Tulmohan. Hearing this, I asked them not to do so but I was threatened of beating by them. Hari Mohan threatened to kill me at the point of spear. I left the site making hue and cry. Harseri began to reap the paddy crop.

On hearing my hue and cry, Sukhdev Yadav, Hardev Yadav, Uma Yadav and other persons came on the spot who are witnesses to the incident there. On seeing that paddy crop was being reaped I have come here to inform you. Paddy crop in about a Bigha Land worth about Rs. 250—300 was reaped just in my presence there. Necessary action as may be deemed fit may therefore, kindly be taken.

Yours faithfully,

Sd/- Jagdish Singh,

S/o Keek Singh,

R/o V. Lahuar, Police Station Mahishi,

District Saharsa.